वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2012-2013

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs
भारत सरकार
Government of india

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 2:59 PM Page 67

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2012–13

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Minority Affairs

Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं.	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	1
1	प्रस्तावना	3-5
2	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	7-9
3	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	11-17
4	अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान	19-20
5	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	21-24
6	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	25
7	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	27
8	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	29
9	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	31
10	निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	33-34
11	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	35-36
12	प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	37-38
13	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	39-40
14	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	41
15	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	43-44
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	45-46
17	वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद	47-50
18	दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955	51
19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	53-54
20	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	55-57
21	जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग	59
22	सूचना का अधिकार अधिनियम	61
23	विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई	63
24	शासकीय लेखापरीक्षा	65
25	परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिको सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	67
अनुलग्नक I से XIII		69-105

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास) हेतु योजना का क्रियान्वयन आरंभ किया है। दिनांक 31.12.2012 तक, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना के तहत 36950 अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12 राज्यों में 64 संगठनों को ₹10.45 करोड़ रु0 की राशि निर्मुक्त की गई है।

- अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों, नामतः अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण, बहु–संस्कृतिवाद और कानून; अल्पसंख्यक अधिकारों को समझना, संविधान और कानून; तथा धर्मनिरपेक्षवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकार और संविधान के संबंध में क्रमशः अमेठी/सुल्तानपुर, अलीगढ़, देहरादून तथा हैदराबाद में चार राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाओं की स्वीकृति।

- मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं के अनुसंधानात्मक अध्ययन, अनुवीक्षण, मूल्यांकन और प्रभाव निर्धारण हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए 37 (सैंतीस) विशेषज्ञ अभिकरणों को पैनल में शामिल किया गया है।

- वर्ष 2012–13 के दौरान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बीच समझौता ज्ञापन को दिनांक 30.08.2012 को लोकसभा में और दिनांक 03.09. 2012 को राज्य सभा में रखा गया था।

- वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा आवधिक ऋण और लघु ऋण के तहत 50737 लाभार्थियों को ₹185.25 करोड़ की निर्मुक्ति की गई।

- दिनांक 31.12.2012 तक, 52.10 लाख मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹592.03 करोड़ की निर्मुक्ति की गई। निर्मुक्त की गईं छात्रवृत्तियों में से, 51.84% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्मुक्त की गईं थीं।

- दिनांक 31.12.2012 तक, 4.38 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹248.12 करोड़ की निर्मुक्ति की गई। निर्मुक्त की गईं छात्रवृत्तियों में से, 55.65% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्मुक्त की गईं थीं।

- दिनांक 31.12.2012 तक, 42,957 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹111.34 करोड़ की निर्मुक्ति की गईं।

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को पांच केंद्र अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख एवं पारसियों के कल्याण हेतु, अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर बल देने को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक ढांचे, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए किया गया था।

1.2 दिनांक 27.10.2012 तक माननीय श्री सलमान खुर्शीद तथा श्री विन्सेंट एच. पाला, अल्पसंख्यक कार्य मत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री थे। माननीय श्री के0 रहमान खान और श्री निनोंग ईरींग ने 28 अक्तूबर, 2012 को क्रमशः अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय का प्रभार ग्रहण किया। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु तीन संयुक्त सचिव तथा एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या 98 में से 66 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–I** तथा पदधारिता विवरण **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है।

कार्यों का आबंटन

1.3 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए कार्य इस प्रकार हैं :–

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंगलो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(ix) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(xiii) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त प्रबंध।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

(xviii) अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

(xix) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

सांविधानिक, सांविधिक और स्वायत्त निकाय

1.4 इस मंत्रालय के निम्नलिखित सांविधानिक/सांविधिक/स्वायत्त निकाय आदि हैं :–

(i) आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक (सीएलएम)।

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)।

(iii) केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)।

(iv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)।

(v) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)।

(vi) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर।

अधिनियमों का प्रशासन

1.5 यह मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है :–

(i) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

(ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

(iii) वक्फ अधिनियम, 1995

राजभाषा का प्रयोग

1.6 मंत्रालय द्वारा सभी महत्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की गई। मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2012 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा पुरस्कार भी वितरित किए गए। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। कर्मचारियों को अपना रोज़मर्रा का कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 16.11.2012 को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सतर्कता एकक

1.7 श्री वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किया गया है। उनके इस कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक उप सचिव तथा एक अवर सचिव हैं, जो अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त इन कार्यों को भी देख रहे हैं। मंत्रालय में 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.8 मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना विकसित करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2012 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) मनाया गया।

ई–गवर्नेंस

1.9 मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल www.minorityaffairs.gov.in पर है। मंत्रालय के कार्यकलापों और उसके कार्यक्रमों/स्कीमों, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से संबंधित सूचना तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, विविधता सूचकांक पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, समान अवसर आयोग पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट, भारत में अल्पसंख्यकों का भौगोलिक वितरण में अड़चनों के संबंध में, अन्तर–मंत्रालयीन कृत्यक बल की रिपोर्ट, सम्बद्ध संगठन, निविदा सूचनाएं, रोजगार संबंधी विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां, बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों के फोटोग्राफ, प्रगति रिपोर्टें और आंकड़े आदि से संबंधित आधारिक सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विभिन्न योजनाओं के अधीन जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं, उनके नाम भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रों की सहायतार्थ छात्रवृत्ति योजना के विस्तृत ब्यौरे के अतिरिक्त, बार–बार पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। वेबसाइट की विषय–वस्तु को लगातार अद्यतन किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.10 इस अधिनियम के अधीन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय जन सूचना प्राधिकारी के रूप में नौ पदनामित अधिकारी तथा तीन संयुक्त सचिवगण पदनामित अपीलीय अधिकारी हैं।

बजट

1.11 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹17,323 करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया है। वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान में ₹3135 करोड़ के योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹2200 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान में ₹19.70 करोड़ के गैर–योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में 2012–13 के संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर ₹18.26 करोड़ कर दिया गया था। बारहवीं योजना की योजना/कार्यक्रमवार परिव्यय, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2012–13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

फाइल ट्रैकिंग प्रणाली

1.12 मंत्रालय में, नवम्बर, 2010 से फाइल ट्रैकिंग प्रणाली कार्यरत है। इस प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मंत्रालय की फाइलों की एक स्तर से दूसरे स्तर तक के संचलन की स्थिति पर निगरानी रखी जा सकती है, मंत्रालय में प्राप्त सभी पत्रों की प्राप्ति और उनके निस्तारण और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं।

अध्याय–2

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

2.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई। इसमें निश्चित लक्ष्य के साथ कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों का प्रावधान है, जिसे निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्व–रोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना; (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

2.2 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसुविधाप्राप्त लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचें, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.3 इस कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं– मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, अधिसंख्य में है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं – जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

2.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में एक बार की जाती है तथा उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा इस नए कार्यक्रम की जून, 2006 में शुरूआत के बाद से कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा सात बार की जा चुकी है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है।

2.5 नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल एवं निर्धारण योग्य योजनाओं की सूची इस प्रकार है :–

- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (केजीबीवी) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

- आजीविका (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण (वित्तीय सेवा विभाग)
- इन्दिरा आवास योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

वर्ष 2012–13 के दौरान, (30 सितम्बर, 2012 की अवधि तक) योजनाओं की उपलब्धियां नीचे दर्शायी गई हैं –

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबंधित मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि(वास्तविक)
1.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
(i)	निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	40
(ii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की संख्या	17267
(iii)	खोले गए नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	78
(iv)	खोले गए नए उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	116
(v)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	6034
2.	आजीविका के तहत सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी। ग्रमीण विकास मंत्रालय	12283
3.	इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवार। ग्रमीण विकास मंत्रालय	269770
4.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थी (एसजेएसआरवाई)। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
(i)	शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के तहत इंडिविजुवल एंटरप्राइजेज (यूएसईपी)	2996
(ii)	शहरी निर्धनों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप)	15462
5.	एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2098

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबंधित मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वित्तीय) (करोड़ ₹ में)
1.	इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण विकास मंत्रालय	644.48
2.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	4.97
3.	आईटीआई को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जाना : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	8.08
4.	प्राथमिकता श्रेत्र ऋण : वित्तीय सेवाएं विभाग	171,960.71

कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण में से अल्पसंख्यकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के प्रतिशत में वर्ष 2007–08 में 10.61% से सितम्बर, 2012 में 15.01% की सतत् वृद्धि हुई है।

2.6 वर्ष 2012–13 के दौरान, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गयी उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है, नीचे दर्शायी गयी हैं :–

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबंधित मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वित्तीय) कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत।
1.	शहरी निर्धनों को आधारभूत सेवाएं : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	17 नगरों के लिए ₹7254.84 करोड़
2.	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	103 शहरों/नगरों के लिए ₹2235.83 करोड़
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): पेय जल आपूर्ति विभाग (डीडब्ल्यूएस)	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में 1713 परिवारों को कवर करने हेतु कुल स्वीकृति 371.05 करोड़ रु0।

2.7 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2010–11 के दौरान 70 मंत्रालयों/विभागों, 121 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों आदि ने 23,569 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है, जो की गई कुल भर्ती का 11.55% बनता है। कुल भर्ती में अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों का प्रतिशत वर्ष 2006–07 में 6.93% की तुलना में वर्ष 2010–11 में बढ़कर 11.55% हो गया है।

2.8 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2009 में, सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति में लोक सभा से दो सांसद और राज्य सभा से एक सांसद को शामिल करने तथा राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के दो विधायकों को नामित करने की मंजूरी दी थी। तथापि, राज्य स्तरीय समिति में शामिल किए गए सदस्यों में लोक सभा के एक तथा विधान सभा के सदस्य को उन राज्यों के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले में से चुना हुआ होना चाहिए, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक सदस्य जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, के अलावा उस जिले के सभी संसद सदस्य और विधायक इस जिला स्तरीय समिति में शामिल किए जाएंगे।

अध्याय–3

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े/जानकारी एकत्र करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट (सच्चर समिति की रिपोर्ट के रूप में प्रसिद्ध) प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2006 को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर कई निर्णय लिए और इस संबंध में एक विवरण दिनांक 31.08.2007 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया।

सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :–

3.1 वित्तीय सेवाएं विभाग :

अल्पसंख्यकों को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007–08 से ऐसे जिलों में 5954 शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2012–13 के दौरान, 30 सितम्बर, 2012 तक 288 शाखाएं खोली गई हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 2 जुलाई, 2012 को संशोधित किया है। दिनांक 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार ₹1,71,960.71 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 15.01% है।

(iii) प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शी समितियां (डीसीसी) अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित मॉनीटरिंग कर रही हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2012–13 में सितम्बर, 2012 तक अल्पसंख्यक महिलाओं के 6,00,285 खाते खोले गए तथा ₹3702.99 करोड़ का लघु ऋण दिए गए।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2012–13 में सितम्बर, 2012 तक ऐसे क्षेत्रों में 4146 जागरूकता अभियान चलाए गए।

(vi) अग्रणी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में सितम्बर, 2012 तक 1911 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और लाभार्थियों की संख्या 33751 है।

3.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई गई है। अल्पसंख्यकों का शैक्षिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई उपायों की शुरूआत की है, जैसा कि नीचे दिया गया है :–

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों (53.67% : वर्ष 2001 की जनगणना) को योजना में शामिल किया जा सके। योजना के तहत, वर्ष 2012–13 के दौरान, 9 विद्यालयों के लक्ष्य की तुलना में 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता देने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक–एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं।

(घ) सब–मिशन ऑन पालीटेक्नीक्स के तहत अ–सेवित और अल्प–सेवित जिलों में पालिटेक्निक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक 57 जिलों में से 49 जिलों में पालिटेक्निक्स की स्थापना के लिए आरम्भिक अनुदान के रूप में ₹291.06 करोड़ की राशि जारी की गई है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों की व्यवस्था करने को वरीयता दी जाती है। यूजीसी ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों/क्षेत्रों में 285 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है तथा 27 सितम्बर, 2012 तक ₹203.69 करोड़ रू0 की राशि निर्मुक्त की है।

(च) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) की शुरूआत की गई थी। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने आदि जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल है। वर्ष 2012–13 के दौरान, 4568 मदरसों तथा 9720 शिक्षकों की सहायता के लिए ₹175 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में 30 सितम्बर, 2012 तक ₹80.62 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है। दूसरी योजना, जो सहायता–प्राप्त/सहायता–रहित अल्पसंख्यकों के निजी संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, की भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरूआत की गई थी। वर्ष 2012–13 के दौरान, 123 संस्थानों की सहायता के लिए ₹50.00 करोड़ के बजटीय परिव्यय की तुलना में 30 सितम्बर, 2012 तक ₹15.34 करोड की राशि निर्मुक्ति की गयी हैं।

(छ) परिवर्ती उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को तत्संबंधी राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड के समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया

विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमियां स्थापित की गईं हैं। 11वीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तीनों अकादमियों को हरेक को 4 करोड़ रु0 की राशि मंजूर की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उर्दू माध्यम में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए 416 शिक्षकों को शामिल करते हुए प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के लिए 17 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की अकादमी ने 1675 तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने 3083 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।

(झ) संशोधित योजना के तहत, ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य/सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है, साक्षर भारत क्रियान्वित किया जा रहा है। साक्षर भारत के अंतर्गत, मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया है।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008–09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है तथा इसमें उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा – 2005 (एनसीएफ) के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। 14 राज्यों ने एनसीएफ, 2005 के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि 9 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अपवर्जन और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत की है।

3.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। विविधता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग के प्रारूप विधेयक पर संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है तथा समान अवसर आयोग विधेयक का संशोधित मसौदा विधि एवं न्याय मंत्रालय को पुनरीक्षा हेतु भेजे जाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

(ख) लोक सभा द्वारा यथा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010, दिनांक 31.8.2010 को राज्य सभा की प्रवर

समिति को भेजा गया। राज्य सभा की प्रवर समिति की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित रिपोर्ट राज्य सभा के पटल पर दिनांक 16.12.2011 को रखी गयी। वक्फ (संशोधन) विधेयक का मसौदा मंत्रालयों/विभागों राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियां मंगाने के लिए परिचालित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और वक्फ (संशोधन) विधेयक से संबंधित मंत्रिमंडल नोट 8 फरवरी, 2013 को मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा गया है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को "सिद्धान्ततः" स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया था। फर्म ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसकी मंत्रालय में जांच की गई। सचिव (अ0 का0) तथा आरबीआई, नाबार्ड के अधिकारियों को मिलाकर गठित समिति ने एनएमडीएफसी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया तथा ईएफसी ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल अभिज्ञात 338 नगरों के विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएच0डी तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और पूर्व–स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत, वर्ष 2012–13 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 55.56 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹879.06 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

(च) मौलाना आजाद अध्येतावृत्ति योजना, जो एम0फिल तथा पीएचडी छात्रों के लिए शुरू की गई है, के तहत यूजीसी द्वारा 2266 नई अध्येतावृत्तियों और 2268 पूर्ववर्ती मामलों के नवीकरण के लिए ₹141.40 करोड़ रु0 की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान, ₹66 करोड़ रु0 की निधियां यूजीसी को निर्मुक्त की गई हैं।

(छ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत, वर्ष 2007–08 से, 419 गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु सहायता–अनुदान दिया गया है और कक्षा–XI और XII की मेधावी छात्राओं को 48471 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। वर्ष 2012–13 के दौरान, 31.12.2012 तक 94 शैक्षणिक संस्थानों को ₹12.46 करोड़ का सहायता–अनुदान प्रदान किया गया था।

(ज) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2012–13 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य की तुलना में 31 जनवरी, 2013 तक अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 4896 छात्रों/अभ्यर्थियों को ₹9.33 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता दी गयी।

(झ) वर्ष 2008–09 में 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की शुरुआत की गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 11वीं योजना के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ₹893.84 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक ₹504.94 करोड़ की निधियां निर्मुक्त की गईं।

3.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न समाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है। जनसंख्या संबंधी 37 तालिकाओं (जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011) का प्रथम सैट सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं।

3.5 योजना आयोग :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया था। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने कुछ बैठकें आयोजित की हैं। कार्यनीति तैयार करने के लिए, योजना आयोग ने तीन कार्य समूहों का गठन किया है। **कार्यसमूह** I तथा **कार्यसमूह** II की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं तथा उनकी रिपोर्टों का **कार्यसमूह** III द्वारा उसकी अनुशंसायें तैयार करने हेतु अनुसरण किया जाएगा।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी अवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त 1453 आईटीआई/आईटीसी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हैं, जिनमें 2,28,840 सीटों की क्षमता है।

3.6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिशा–निर्देश जारी कर राज्यों/संघ राज्यों से ऐसी ही कार्रवाई करने की सलाह दी है।

3.7 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामियों के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यसमूह द्वारा "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2011" शीर्षक से विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। विधेयक के प्रारूप की समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

3.8 शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय :

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवायें (बीएसयूपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों।

(क) आईएचएसडीपी के तहत 30 सितम्बर, 2012 तक ₹2235.83 करोड़ लागत की परियोजनायें अल्पसख्यक बहुल आबादी वाले 103 नगरों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

(ख) बी0 एस0 यू0 पी0 के तहत, 17 नगरों के लिए ₹7254.84 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं (30 सितम्बर, 2012 तक)।

(ग) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, पुडूचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ परिसंपत्ति नहीं है।

3.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है।

3.10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाली वक्फ परिसंपत्तियों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं।

3.11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

3.12 पंचायती राज मंत्रालय :

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्यों में जिला और पंचायत स्तर पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि यह मामला विचाराधीन है।

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य सरकारों ने दिशा–निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया है।

3.13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फिल्म–चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन फिल्म–चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

अध्याय–4
अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचान

4.1 वर्ष 1987 में, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किसी जिले में 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की अल्पसंख्यक आबादी मात्र के एकल मानदंड के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 41 जिलों की सूची तैयार की गई थी, ताकि इन जिलों में सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर विशेष बल दिया जा सके।

4.2 सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ समाज के सापेक्ष रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2001 की जनगणना में अल्पसंख्यक आबादी और पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर जिलों की पहचान की जाय। इसलिए, वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों तथा जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर नए सिरे से कार्य किया गया :

जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;
(ii) महिला साक्षरता दर;
(iii) कार्य में भागीदारी दर; और
(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता;
(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों की प्रतिशतता;
(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; और
(iv) जल सुविधा युक्त शौचालय वाले मकानों की प्रतिशतता

4.3 यद्यपि, समग्र साक्षरता और कार्य भागीदारी दर में महिला साक्षरता और कार्य भागीदारी को शामिल किया गया है, फिर भी इन पर अलग–अलग विचार किया जाना महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये विकास स्तर मुख्यतः जेन्डर इक्विटी के स्वतंत्र संकेतक का निर्माण करती है।

4.4 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान का कार्य निम्नानुसार किया गया है :–

(i) (क) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आबादी के कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ख) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों और 20% से अधिक किन्तु 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की पहचान की गई।

(ग) अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता वाले 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन जिलों की पहचान की गई जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 15% तक है तथा अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में है, किन्तु वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदाय की दृष्टि से बहुसंख्यक हैं।

(ii) इसके बाद, "पिछड़ेपन" के संदर्भ में इन जिलों की स्थिति का मूल्यांकन सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतकों के दो मानकों को ध्यान में रखकर किया गया। वर्ष 2007 में, वर्ष 2001 की जनगणना में पिछड़ेपन के मानकों और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है तथा जो सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा संकेतक की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे और अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, की पहचान की गई। अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 53 जिलों को "ए" श्रेणी में रखा गया है। "ए" श्रेणी के जिले सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानक दोनों दृष्टि से पिछड़े हैं। शेष 37 जिले "बी" श्रेणी में हैं जिनमें से 20 जिले सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से और 17 जिले आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से पिछड़े हैं। इन्हें क्रमशः उपश्रेणी "बी1" और "बी2" में रखा गया है। इन जिलों की सूची **अनुलग्नक–IV (क), IV (ख) और IV (ग)** में है।

4.5 अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 90 जिलों की पहचान–कार्य को अनुमोदित करते समय सरकार ने विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया था।

4.6 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने और अन्य पात्र क्षेत्रों को लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों और नगरों की पहचान करने का प्रस्ताव है।

4.7 इन जिलों में 'अपर्याप्त विकास' के निर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली को आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। आईसीएसएसआर, नई दिल्ली से सम्बद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

अध्याय–5

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

5.1 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आधारभूत सुविधा के सामाजिक–आर्थिक मानदंडों में सुधार लाना तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में असंतुलन को कम करना है। अभिनिर्धारित "अपर्याप्त विकास" की समस्या का समाधान जिला विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से स्कूल और माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकानों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के लिए बेहतर अवसंरचना के प्रावधान के साथ–साथ आय सृजक गतिविधियों के लिए लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। विकास प्रक्रिया को गति देते हुए आय सृजक गतिविधियों और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपेक्षित सम्पर्क सड़क, आधारभूत स्वास्थ्य अवसंरचना, समन्वित बाल विकास सेवा केन्द्र, कौशल विकास और विपणन सुविधा आदि जैसे नितांत आवश्यक और अवसंरचना शृंखला को योजना के तहत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है।

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, खानपुर घाटी, मेवात में स्कूल के निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण।

मंत्रालय के कार्यक्रम के योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु डीआरडीए भवन, मेवात में सार्वजनिक बैठक।

5.2 इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कार्य/कल्याण कार्य से जुड़े विभाग द्वारा किया जाता है। बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए जहां कहीं तंत्र स्थापित किया जाता है, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया जाता है। तथापि, राज्य यह निर्णय ले सकता है कि परियोजना का संचालन अर्हता प्राप्त, ख्याति प्राप्त और अनुभव प्राप्त एजेंसी के साथ–साथ विख्यात एवं स्वीकार्य गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कराए, जिसके औचित्य से संबंधित विवरण का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन का दायित्व है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित परिसंपत्तियों के संचालन हेतु उन्हें अपेक्षित स्टॉफ मुहैया कराए जाएं।

5.3 जहां तक संभव होता है, कार्यक्रम के तहत उपयुक्त सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभार्थी को लक्षित करने पर। यदि कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए योजनाओं को शुरू किया जाता है तो जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची से लाभार्थियों के चयन हेतु वर्तमान मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा ताकि अतिरिक्त धनराशि से गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को लाभ हो, न कि केवल चयनित अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को।

5.4 सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को वित्तीय सहायता दो किश्तों में 100% अनुदान आधार पर स्वीकृत की जाती है, जो स्वीकृत अनुमोदित योजना के अनुसार की गई संतोषजनक प्रगति से जुड़ी होती है। कार्यक्रम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि केवल स्वीकृत जिला विकास योजनाओं के आधार पर जारी की जाती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु एक बार प्रस्ताव के अनुमोदित हो जाने पर पहली किश्त जारी की जाती है। राज्य का हिस्सा, जहां कहीं लागू हो, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

निगरानी तंत्र

5.5 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति तथा उपायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति इस कार्यक्रम के लिए समितियों के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तरीय समिति अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विकास योजना तैयार करेगी। जिला और राज्य स्तरीय दोनों समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि योजनाओं की द्विरावृत्ति नहीं है, निधि का विचलन नहीं है और इस कार्यक्रम की धनराशि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त है।

5.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में 'अधिकार–प्राप्त समिति' योजनाओं के तहत परियोजनाओं का आकलन और अनुमोदन करती है। अधिकार–प्राप्त समिति केन्द्र स्तर पर निगरानी समिति के रूप में भी कार्य करती है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निगरानी समिति का कार्य करती है।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन

5.7 11वीं पंचवर्षीय योजना की निष्पादन की समीक्षा करने तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति एवं कार्यक्रमों को भी बनाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्य देख रहे राज्यों के मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 07 तथा 08 जून, 2012 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उपयोग 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्शन हेतु एक मंच के रूप में भी किया गया था।

5.7.1 इसके अलावा, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ दिनांक 16.08.2012 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का बेहतर और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पटना, लखनऊ, कोलकाता में क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे।

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, मेवात में स्कूल के निर्माण स्थल पर सार्वजनिक बैठक।

कार्यान्वयन की स्थिति

5.8.1 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ₹3780 करोड़ आबंटित किए गए थे। 31 मार्च, 2012 तक 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में ₹3733.90 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे और 31 मार्च, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹2935.93 करोड़ निर्मुक्त किए गए थे। यह कार्यक्रम 2012–13 के दौरान जारी रखा गया है। ₹893.85 करोड़ की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹504.94 करोड़ निर्मुक्त किए गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अक्तूबर, 2008 से, जब पहली बार धनराशि जारी की गयी थी, बजटीय प्रावधान, जारी की गयी धनराशि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित व्यय के ब्यौरे नीचे की सारणी में दिए गए हैं :–

(करोड़ ₹ में)

		व्यय		उपयोग	
वर्ष	**संशोधित अनुमान**	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा**	**प्रतिशत**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा**	**प्रतिशत**
2008–09	280	270.85	96.73	269.24	99.41
2009–10	990	971.94	98.18	848.50	87.30
2010–11	1327.32	913.23	68.80	603.94	66.14
2011–12	1136.36	779.91	68.63	107.71′	13.81
2012–13 (31 दिसम्बर, 2012 तक)	535.20	504.94	94.34	12.74′′	2.52
योग	–	**3440.87**	**80.60**	**1842.13**	**53.54**

′′वर्ष 2011–12 के दौरान, निर्मुक्त निधियों के उपयोग प्रमाण–पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च, 2013 तक नियत है।

′′वर्ष 2012–13 के दौरान, निर्मुक्त निधियों के उपयोग प्रमाण–पत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च, 2014 तक नियत है।

5.8.2 31 मार्च, 2012 तक अनुमोदित की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति निम्नलिखित है:–

एमएसडीपी के अंतर्गत अनुमोदित कार्य की मदें	अनुमोदित ईकाइयों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्य (सी)	प्रगति में कार्य (डब्ल्यूआईपी)	(सी)+(डब्ल्यूआईपी) का %
इंदिरा आवास योजना	301221	168370	37416	68.31%
स्वास्थ्य सुविधाएं सीएचसी, पीएचसी, पीएचसीएस, प्रसूति गृह	2531	1411	579	78.62%
आंगनवाड़ी केंद्र	27595	14927	5335	73.42%
पेयजल आपूर्ति हैंडपम्प, कुएं, पाईप वाटर	35775	18094	2564	57.74%
शिक्षा ➢अतिरिक्त कक्षा–कक्ष ➢स्कूल भवन ➢छात्रावास का निर्माण	13508 662 334	6234 237 44	2887 350 114	67.52% 88.67% 47.30%
	14504	6515	3351	68.02%
कौशल उन्नयन आईटीआई/पालिटेक्निक संस्थानों का निर्माण/उन्नयन	71 आईटीआई 31 पालिटेक्निक	3 –	16 15	26.76% 48.38%

इसके अतिरिक्त, 8019 इंदिरा आवास योजना के मकान, 144 स्वास्थ्य केंद्र, 1790 आंगनवाड़ी केंद्र, 15165 पेयजल आपूर्ति कार्य, 27 स्कूल भवन, 918 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 102 छात्रावास, 39 आईटीआई और 12 पोलिटेक्निक, वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक अनुमोदित किए जा चुके हैं।

5.9 12वीं पंचवर्षीय योजना की ओर कदमः

11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभव और विभिन्न स्रोतों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर मंत्रालय कार्यक्रम को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में और अन्य सुपात्र क्षेत्रों जैसे अल्पसंख्यक बहुल नगर/शहरों में और अधिक प्रभावी और केंद्रित करने की प्रक्रिया में है।

अध्याय–6

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

6.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 2 करोड़ नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण हेतु ₹5000 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के दौरान ₹592.03 करोड़ की राशि जारी की गई तथा 52.10 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से 51.84 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

6.3 मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता की स्थिति में सुधार लाया जाए। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रत्येक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की सूची को उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेबसाइटों को मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। छात्रों की सहायतार्थ एक हेल्पलाइन की व्यवस्था की गयी है, जो कार्य दिवसों के दिन कार्य करती है।

6.4 इस योजना के तहत राज्य–वार एवं समुदाय–वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–V** में हैं।

अध्याय–7

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

7.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत नवम्बर, 2007 में 100ः केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थीं, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा पारदर्शी ढंग से अधिसूचित चुनिंदा एवं पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए दी जाती है। पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो। 30ः छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

7.2 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की योजना अवधि के दौरान 25 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए ₹2850.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के दौरान, 3.03 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹175.69 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है। इनमें से 55.65% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

7.3 राज्य–वार एवं समुदाय–वार वास्तविक एवं वित्तीय दोनों उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक– VI** पर हैं।

अध्याय–8

मेधा–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

8.1 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका संपूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

8.2 छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राओं के अनुपलब्ध होने पर इनका उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है।

8.3 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ₹20,000/– वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

8.4 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50: से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपलब्धि

8.5 इस योजना की शुरूआत के समय से 31 दिसम्बर, 2012 तक की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि इस प्रकार रही –

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक रूप से स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या				धनराशि (करोड़ ₹में)
		नये	नवीकरण	योग	छात्राओं को दी गई छात्रवृत्तिया (%)	
2007–08 (शुरू)	20,000	17258	0	17258	5009 (29.02%)	40.90
2008–09	35,000	17099	9096	26195	8660 (33.06%)	64.73
2009–10	42,000	19285	16697	35982	11684 (32.47%)	97.51
2010–11	55,000	19518	21538	41056	14077 (34.29%)	108.75
2011–12	55,000	19505	22929	42476	15640 (36.82%)	115.72
2012–13'	60,000	40310	2647	42957	11881 (27.66%)	111.34
योग	**2,67,000**	**132975**	**72907**	**205924**		**538.95**

* आंकड़े दिनांक 31.12.2012 तक के हैं। राज्य–वार/समुदाय–वार उपलब्धि के ब्यौरे **अनुलग्नक–VII** में हैं।

अध्याय 9

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

9.1 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति को अनुमोदन 1 अगस्त, 2009 को मिला था। इस योजना को 11 अप्रैल, 2009 को केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर प्रारंभ किया गया था। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 100: केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जैसे कि एम. फिल और पीएच.डी. जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एकीकृत पांच वर्षीय अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करवाना है। अध्येतावृत्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुसंधान छात्रों को नियमित और पूर्ण कालिक एम0फिल और पीएच0डी0 करने के लिए दी जाने वाली अध्येतावृत्त के परिमान पर आधारित है। जेआरएफ/एसआरएफ के पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु पूर्व–एम0फिल और पूर्व–पीएच0डी0 चरणों पर यूजीसी के प्रतिमानक, क्रमश:, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना शामिल है, लागू होंगें। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा ₹2.5 लाख प्रति वर्ष होगी।

9.2 योजनावधि (2012–17) के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3780 नई अध्येतावृत्तियों और नवीकरण प्रदान करने के लिए ₹430 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है। छात्राओं के लिए 30% अध्येतावृत्ति निर्धारित की गई है। दिनांक 31.12.2012 तक ₹66.00 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई थी।

9.3 अध्येतावृत्ति योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय निरंतर प्रयासरत रहा है। इस उद्देश्य हेतु अध्येतावृत्ति योजना से संबंधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न और आनलाईन आवेदन करने में मदद, यूजीसी की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। इसी तरह, यूजीसी द्वारा प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की सूची इसकी वेबसाइट अर्थात www.ugc.ac.in पर अपलोड की जा रही है।

अध्याय–10

निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

10.1 ''अल्पसंख्यक समुदाय से अभ्यर्थियों के लिए "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गयी। इस योजना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसे दिनांक 16.10.2008 से संशोधित किया गया था।

10.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें तथा पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग प्राप्त कर सकें।

10.3 इस योजना के तहत, सरकारी और निजी क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

10.4 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों/अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। उनके माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों/अभ्यर्थियों के पास उस पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जिस पाठ्यक्रम की कोचिंग वह लेना चाहता/चाहती है।

10.5 इस योजना के अंतर्गत, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 24,760 छात्रों/अभ्यर्थियों को परिधि में लेने के लिए ₹63 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसके विपरीत 11वीं योजना के दौरान उपलब्धि 27876 छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए ₹54.60 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, इस योजना में ₹14.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस मंत्रालय की चयन समिति ने 83 संस्थानों का चयन वित्त वर्ष 2012–13 में इस योजना के तहत 6000 छात्रों/अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लिए किया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक, वर्ष के दौरान ₹7.82 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है, जिसमें 3826 अभ्यर्थियों के लिए 27 संस्थानों को प्रथम किश्त निर्मुक्त किया जाना शामिल है।

10.6 इस योजना से संबंधित सभी सूचनाएं इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

10.7 कोचिंग के प्रकार और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में है:–

क्र. सं.	कोचिंग/प्रशिक्षण/ सुधारात्मक कोचिंग के प्रकार	कोचिंग/प्रशिक्षण/सुधारात्मक कोचिंग शुल्क	प्रतिमाह वृत्तिका राशि
1.	ग्रुप 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000/– के अध्यधीन।	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹1500 और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹750
2.	ग्रुप 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹15,000/– के अध्यधीन।	–– तदैव ––
3.	ग्रुप 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹10,000/– के अध्यधीन।	–– तदैव ––
4.	पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000/– के अध्यधीन।	–– तदैव ––
5.	निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000/– के अध्यधीन।	–– तदैव –
6.	पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए सुधारात्मक कोचिंग/शिक्षण	संस्थान द्वारा तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अति. रिक्त टयूशन कक्षाओं के लिए यथाप्रभारित	लागू नहीं
7.	रेलवे तथा पुलिस/सुरक्षा बलों में आरक्षी और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कोचिंग (अधिकतम पाँच दिन की अवधि के लिए)	समिति द्वारा निर्धारित और संस्थान द्वारा यथाप्रस्तावित सामान्य दरों पर	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹100/– प्रतिदिन और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹50/– प्रतिदिन

अध्याय–11
अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

महिला सशक्तीकरण क्षेत्र में "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास" योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक नई पहल है।

11.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से इस योजना का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना का लक्ष्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं का सशक्तीकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सके और नेतृत्व की भूमिका निभा सकें तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास करें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें।

11.2 लक्षित समूह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसियों से संबंधित पात्र महिलाएं हैं। समाज में बहुलता के स्वरूप को सुदृढ़ करने तथा अपना भाग्य संवारने के उनके स्वयं के प्रयासों के माध्यम से समैक्य एवं एकता लाने के उद्देश्य से यह योजना गैर–अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं, जो परियोजना प्रस्ताव के 25% से अधिक न हो, को शामिल करने की हिमायत करती है।

11.3 योजना का कार्यान्वयन पंजीकृत सिविल सोसायटियों, पब्लिक ट्रस्टों लाभ न कमाने वाली निजी लिमिटेड कम्पनियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थानों एवं केंद्रों और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाता है।

11.4 पात्र संगठनों को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव हेतु मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय/राज्य समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। योजना दिशानिर्देशों के पैरा 14.1, 14.2, 14.3 एवं 14.4 के अनिवार्य मापदंडों के संबंध में, संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को महत्व देते हुए समिति द्वारा इन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध होने के लिए संगठनों को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करना अपेक्षित है। यह विशेष मापदंड पर आधारित है। अतः इससे यह योजना उद्देश्यपरक बनती है। मंत्रालय की वेबसाइट में स्वीकृत और अस्वीकृत संगठनों की सूची प्रदर्शित की जाती है। इसके पश्चात, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह आग्रह किया जाता है कि वह सूचीबद्ध संगठनों की विश्वसनीयता की जांच यथार्थ रूप में करें और उनके परियोजना प्रस्तावों को निर्धारित आरूप और समय–सीमा में मंत्रालय को अग्रेषित करें। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उचित अनुशंसाओं के साथ प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर सचिव (अ.का.) की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी संस्वीकृत समिति द्वारा विचार किया जाता है।

11.5 नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण मापदंड निरपवाद रूप से संविधान और विभिन्न अधिनियमों के तहत महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, आजीविका आदि से जुड़े अधिकारों एवं समस्याओं तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्रतिरोधक क्षमता, परिवार नियोजन, रोग नियंत्रण, उचित दर दुकान, पेय जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सफाई, आवास, स्व–रोजगार, दैनिक मजदूरी, कौशल प्रशिक्षण अवसर, महिलाओं पर अपराध आदि क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर, सुविधाएं और सेवाएं शामिल होंगे।

11.6 योजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन को प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला वर्ग को पोषक/हैंडहोल्डिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए समय–समय पर गांवों/क्षेत्रों का दौरा करना आवश्यक होगा ताकि उन्हें सिखाए गए यंत्रों और तकनीकों के इस्तेमाल की जानकारी दे सकें और वे अपने प्रयास से लाभ प्राप्त कर सकें।

11.7 नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संगठनों द्वारा अल्पसंख्यक आबादी की पर्याप्त प्रतिशत वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के गांवों/शहरी स्थानों का चयन किया जाता है।

11.8 अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण संचालन हेतु चयनित संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले गांवों/क्षेत्रों से योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु महिलाओं को प्रेरित, पहचान एवं चयन करें। यद्यपि वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है, फिर भी उन महिलाओं को चयन में वरीयता दी जाएगी जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो। वह 18 वर्ष से 65 वर्ष आयु वर्ग के बीच की होनी चाहिए।

11.9 संगठन द्वारा वहां से आधार नम्बर एकत्र करना अपेक्षित है, जहां से जारी किए जा चुके हैं तथा प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला के नाम के सामने इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। मंत्रालय आधार नम्बर को अनिवार्य बनाने हेतु योजना बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

11.10 इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय की सहायता से दो तरह के प्रशिक्षण नामतः गैर–आवासीय एवं आवासीय प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जिसमें प्रति बैच 25 महिलाएं होती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक हफ्ते का होता है।

11.11 मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी प्रशिक्षण के प्रति बैच ₹71550/– तथा आवासीय प्रशिक्षण के प्रति बैच ₹221250/– वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

11.12 प्रशिक्षण संगठन, जिलाधीश/उपायुक्त/उप–संभागीय अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के सहयोग से जिला, उप–संभाग/ब्लॉक स्तर आदि पर पंचायती राज संस्थाओं सहित सरकारी संस्थाओं, बैंकरो आदि को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशाला भी आयोजित कर सकता है। यह उनके द्वारा इस योजना के तहत चलाए जा रहे महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम से संबंधित होना चाहिए।

11.13 अनुवीक्षण मंत्रालय के अधिकारियों, राज्य अधिकारियों तथा मंत्रालय द्वारा लगाई गई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाता है। संगठनों को मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट और परियोजना पूरा होने के आशय का रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, संगठन को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) आधारित मोबाइल फोन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी मुख्य क्रियाकलापों की फोटो भेजना अपेक्षित होता है।

11.14 वर्ष 2012–13 के दौरान अब तक के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (31.12.2012 तक)
2012–13	15.00	12.80	10.45

11.15 वर्ष 2012–13 के दौरान (31.12.2012 तक), 36950 महिलाओं को नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण देने के लिए 12 राज्यों के 64 (चौंसठ) संगठनों को ₹10.45 करोड़ निर्मुक्त किये गये हैं। इन संगठनों तथा इनको निर्मुक्त निधियों का राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VIII** में है।

अध्याय–12

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन

12.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत उन संस्थानों/संगठनों को व्यावसायिक प्रभार प्रदान करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है और आधारभूत सर्वेक्षण/सर्वेक्षणों सहित अधिसूचित अल्पसंख्यकों की समस्याओं, मुद्दों और अपेक्षाओं पर प्रवीणता एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करने तथा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समवर्ती निगरानी करने के इच्छुक हैं।

12.2 संगठनों को कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन के विषय का मंत्रालय के अधिदेश से प्रत्यक्ष संबंध हो।

12.3 इस योजना के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं एवं पहलों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर पब्लिसिटी सहित मल्टीमीडिया अभियान का प्रावधान है।

12.4 वर्ष 2012–13 के दौरान, मंत्रालय के कार्यक्रमों का अनुसंधान अध्ययन, आधारभूत सर्वेक्षण, समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रभावी मूल्यांकन के लिए 37 (सैंतीस) विशेषज्ञ संगठनों को पैनल में लिया गया है।

12.5 चालू वित्त वर्ष के दौरान 31.12.2012 तक, राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः अमेठी, अलीगढ़, देहरादून तथा हैदराबाद में अल्पसंख्यक महिला सशक्तीकरण, बहु–सांस्कृतिक एवं विधि, अल्पसंख्यकों के अधिकार को समझना, संविधान एवं विधि तथा धर्मनिरपेक्षवाद, अल्पसंख्यक अधिकार एवं संविधान नामतः विषयों पर चार कार्यशालाएं आयोजित की गई है। अमेठी में कार्यशाला राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टलैंड एंड रूरल डेवलपमेंट, सुल्तानपुर और शेष तीन कार्यशालाएं रूरल लिटिगेशन एवं एनटाईटलमेंट केंद्र, देहरादून द्वारा आयोजित की गई थीं।

12.6 वर्ष 2012–13 के दौरान अनुमोदित मीडिया योजना के अनुसार मल्टी–मीडिया अभियान शुरू कर दिया गया था। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा अन्य स्थानीय भाषाओं सहित 1154 समाचार पत्रों में 31.12.2012 तक प्रिंट विज्ञापन दिये गये है। पूरे भारत में आकाशवाणी (एआईआर) एवं निजी एफएम चैनलों पर मंत्रालय की योजनाओं के बारे में श्रव्य–दृश्य स्पॉट्स एवं जिंगल्स प्रसारित कराए गए हैं। मंत्रालय की योजनाओं पर टीवी कामर्शियल क्षेत्रीय एवं उत्तर पूर्वी केंद्रों सहित दूरदर्शन नेटवर्क पर तथा उत्तर पूर्व में 61 थिएटर सहित पूरे भारत में 4475 थिएटरों के माध्यम से डिजिटल सिनेमा प्रसारित किये गये थे।

12.7 नैशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन ने अल्पसंख्यकों पर प्रासंगिक 5 (पांच) डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण पूरा कर लिया है। दूरदर्शन नेटवर्क पर 27/08/2012, 01/09/2012 तथा 02/11/2012 को मदर टेरेसा एवं सूफी संस्कृति पर डाक्यूमेंटरी फिल्मों का प्रसारण किया गया था।

12.8 बड़ी संख्या में वितरण करने के लिए मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ संगठनों की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सूचना देने के लिए अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में नई पैंफलेट का मुद्रण किया गया है।

12.9 वर्ष 2012–13 के दौरान, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा अब तक निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			व्यय(31.12.2012 तक)		
	अनुसंधान घटक	मीडिया घटक	कुल	अनुसंधान घटक	मीडिया घटक	कुल	अनुसंधान घटक	मीडिया घटक	कुल
2012–13	7.30	32.70	40.00	2.30	31.00	33.30	0.18	23.42	23.60

12.10 इस मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं को विशेष रूप से लक्षित समूहों तक और सामान्य जनता तक पहुंचाने एवं सुलभ बनाने हेतु सभी प्रयास किए गए हैं।

12.11 वर्ष 2012–13 के दौरान (31.12.2012 तक), योजना के तहत अनुसंधान/अध्ययन तथा मल्टी–मीडिया अभियान के लिए विभिन्न एजेंसियों/संगठनों को ₹23.60 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये है। एजेंसी/संगठन–वार ब्यौरे तथा उनको निर्मुक्त निधियां **अनुलग्नक–IX** में है।

अध्याय–13

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

13.1 मंत्रालय को वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान में विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए ₹3135 करोड़ आबंटित किए गए हैं, जिसे वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹2200 करोड़ कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए योजना–वार निर्धारित धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्रम सं.	योजना का नाम	निर्धारित राशि (करोड़ ₹ में)	
		बजट अनुमान 2012–13	संशोधित अनुमान 2012–13
1.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजना	2.00	1.40
2.	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	0.20	0.06
3.	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना (व्यावसायिक सेवा)	0.30	0.30
4.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	7.00	6.60
5.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.50	0.16
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	1.50	1.30
7.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	90.00	75.00
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	50.00	32.50
9.	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	111.10	70.00
10.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	22.00	14.00
11.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	10.00	10.00
12.	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	0.20	0.01
13.	कौशल विकास संबंधी पहलें	2.00	0.01
14.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	0.50	0.01
15.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	0.50	0.02
16.	251 नगरों/शहरों में से अभिज्ञात पिछड़े 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	5.00	0.01
17.	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों द्वारा कवर न किये गये गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5.00	0.01
18.	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता	2.50	0.01
19.	9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिलें	0.50	0.01
	योग	**310.80**	**211.41**

13.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों को सुलभता से ऋण उपलब्ध कराने पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम विशेष ध्यान देता है। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में एनएमडीएफसी की योजनाओं का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। आवधिक ऋण और सूक्ष्म ऋण योजनाओं के अंतर्गत, प्रारंभ से लेकर दिनांक 31.12.2012 तक सम्पूर्ण देश में अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गए ₹2078.46 करोड़ के ऋण में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के 45,000 लाभार्थियों को ₹139.81 करोड़ (6.72%) प्रदान किये गये। वर्तमान वर्ष में, सम्पूर्ण देश के लिए किये गये कुल ₹440.05 करोड़ के आवंटन में से ₹43.94 करोड़ (9.98%) का आवंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिनांक 31 दि. सम्बर, 2012 तक ₹9.50 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

अध्याय–14

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

14.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। ये एजेंसिया सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामित की जाती हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिस कारण उनकी वितरण प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

14.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत सहायता मैचिंग आधार पर प्रदान की जाती है, केंद्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में अंशदान करती हैं। मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए आबंटित और निर्मुक्त राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त राशि
2007–08	10.00	10.00	10.00
2008–09	5.00	2.30	0.00
2009–10	2.00	2.00	2.00
2010–11	4.00	4.00	3.83
2011–12	2.00	2.00	1.35
2012–13	2.00	0.60	0.00

अध्याय–15

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

15.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। अब तक भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की 48 रिपोर्टों को संसद में पेश किया गया है।

श्री के. रहमान खान, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार,
आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन के संबंध में डॉ0 नन्दलाल जोतवाणी की पुस्तक का विमोचन करते हुए

15.2 नोडल अधिकारियों और शिक्षा सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

"व्यापक विकास एवं राष्ट्रीय एकता हेतु भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का क्रियान्वयन" के संबंध में नोडल अधिकारियों और शिक्षा सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यापक विकास एवं राष्ट्रीय एकता के लिए बहु–भाषावाद एवं बहु–संस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए देश के भाषाजात अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर प्रकाश डाला गया।

उच्च–न्यायालय इलाहाबाद के पूर्व न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय तथा पूर्व न्यायमूर्ति एन.एन. गांगुली ने भारत में भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में सीएलएम के प्रयासों की सराहना की।

15.3 अन्य क्रियाकलापः–

श्री के. रहमान खान, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 08.11.2012 को नई दिल्ली में आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक की पुस्तक ''सीएलएम संगठन का परिचय'' का विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय मंत्री ने सीएलएम के कार्यों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

15.4 आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक ने कम प्रचलित भाषाओं, कला एवं संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाजात अल्पसंख्यक एसोसिएशन को संबोधित किया।

15.5 आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक ने भाषाजात अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के क्रियान्वयन का मौके पर निरीक्षण करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने 12वीं पंचवर्षीय योजना को बनाते समय 'अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण' के संबंध में कार्य समूह तथा योजना आयोग, भारत सरकार की संचालन समिति की विभिन्न बैठकों में भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया।

अध्याय–16

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

16.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे पुनः ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

16.2 पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था।

16.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

16.4 आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

16.5 वर्तमान आयोग का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके किया गया हैः–

1.	श्री वजाहत हबीबुल्लाह	:	अध्यक्ष
2.	डॉ एच० टी० संगलियाना	:	उपाध्यक्ष (कार्यकाल 14.12.2012 को समाप्त हो गया)
3.	रिक्त	:	05.03.2012 से
4.	श्री अजायब सिंह	:	सदस्य
5.	श्री विनोद शर्मा	:	सदस्य
6.	सुश्री सईदा बिलग्रामी इमाम	:	सदस्य (कार्यकाल 31.12.2012 को समाप्त हो गया)
7.	श्री केकी एन. दारूवाला	:	सदस्य

16.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,

1992 की धारा 9 (3) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। वर्ष 2010–11 के लिए आयोग की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

16.7 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक पूर्ववर्ती अल्पसंख्यक आयोग की 1978–79 से 1992–93 तक की चौदह (14) वार्षिक रिपोर्टें और सांविधिक आयोग की वर्ष 1993–94 से 2009–10 तक की सत्तरह (17) रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 13 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ संसद में रखा गया था। वर्ष 2010–11 के लिए आयोग की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

16.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब राज्य सरकार ने असांविधिक आयोग का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

16.9 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दिसम्बर, 2004 में संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 लोक सभा में प्रस्तुत किये गये। इसे संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि बाल पाटिल बनाम संघ सरकार के मामले में उच्चम न्यायालय द्वारा की गयी समग्र टिप्पणियों को सरकार संविधान का एक सौ तीसरा (संशोधन) विधेयक, 2004 को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखे।

16.10 भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के संबंध में दिनांक 08.08.2005 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्णय दिया है :

"अधिनियम की धारा 2(ग) के अधीन 'अल्पसंख्यक' होने के जैनों के दावों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से पूर्व अब इसकी पहचान राज्य आधार पर करनी है।" उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, स्थायी समिति की रिपोर्ट की जांच विधि और न्याय मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से की गयी। तत्पश्चात, विधेयक में आधिकारिक संशोधन किया गया। आधिकारिक संशोधनों को प्रस्तुत करने तथा इन विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने की नोटिस प्रारंभिक तौर पर दिनांक 11.05.2007 को लोक सभा में दी गयी।

इसी बीच संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में प्रस्तावित आधिकारिक संशोधनों के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें संशोधनों के प्रति चिंता व्यक्त की गयी थी। इन अभ्यावेदनों की जांच विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श में की गयी। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिए लोक सभा को दिनांक 05.2.2009 को पुनः नोटिस दी गयी। तथापि, 14वीं लोक सभा भंग हो जाने से इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं हो पायी और आधिकारिक संशोधनों सहित ये दोनों विधेयक व्यपगत हो गये।

16.11 इसके अलावा, एनसीएम के अध्यक्ष ने एनसीएम अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के अध्याय–III और IV को समाविष्ट करने का प्रस्ताव भेजा है, ताकि इसे और कारगर बनाया जा सके और अनुरोध किया कि संवैधानिक दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जाए।

अध्याय–17
वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद

17.1 यह मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995 (पहले वक्फ अधिनियम, 1954) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जो 01 जनवरी, 1996 से लागू है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू–कश्मीर को छोड़कर जिसका अपना अधिनियम है, 30 राज्यों ने वक्फ बोर्ड स्थापित कर लिए हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गठित राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्डों की सूची **अनुलग्नक–X** पर है।

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना

राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ संवादात्मक बैठक।

17.2 वक्फ परिसंपत्तियां पूरे देश में फैली हैं, किन्तु अधिकांश राज्यों में वक्फ परिसंपत्तियों का प्रभावी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करने हेतु वक्फ परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से विकसित करने की संभावनाएं हैं।

17.3 वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपने नौवें प्रतिवेदन में राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्प्यूटरीकण की अनुशंसा की थी।

17.4 वक्फ भूमि के रिकार्डों के रख–रखाव को कारगर बनाने, सामाजिक लेखा–परीक्षा शुरू करने और पारदर्शिता लाने तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा एकल वेब आधारित केंद्रीकृत अनुप्रयोग विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता से जम्मू और कश्मीर सहित राज्य वक्फ बोर्डों, के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को 25

नवम्बर, 2009 को स्वीकृति मिली थी।

17.5 वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंध के कम्प्यूटरीकरण की योजना के व्यापक उद्देश्य हैं, जो इस प्रकार हैं –

क. परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध;
ख. मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट;
ग. परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध;
घ. वाद निस्तारण प्रबंध;
ङ. प्रलेख आदान–प्रदान प्रबंध;
च. वक्फ परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी प्रबंध; मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामों, मुअज्जिनों, विधवाओं, बालिका विवाहों, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, मुसाफिरखानों, कौशल विकास केन्द्रों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंध; और
छ. शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंध।

17.6 कम्प्यूटरीकरण की योजना एक समान रूप से जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड सहित सभी 29 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए लागू होगी, जिसके लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तपोषण के लिए विशेष अनुरोध किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यों को वास्तविक रूप से संभालने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों को किराये पर लेने तथा नई प्रणाली को स्थिर करने और वक्फ बोर्डों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें न्यूनतम वित्तीय सहायता देते हुए दो वर्षों की अवधि के लिए हैंड–होल्डिंग सहायता दी जाएगी। दिनांक 31.12.2012 तक वर्ष के दौरान, योजना के अधीन ₹0.70 करोड़ की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। केन्द्रीय गणक सुविधा केंद्र (सीसीएफ) की व्यवस्था 25 राज्य वक्फ बोर्डों में की गयी है तथा डाटा प्रविष्टि का कार्य भी प्रगति पर है। केंद्रीय डाटा बेस में 1,82,233 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है। 77,826 वक्फ अभिलेखों के अंकीकरण की तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है तथा 2 राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का अंकीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 2 राज्य वक्फ बोर्डों में सीसीएफ स्थापित करने का कार्य पूरा होने वाला है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद

17.7 देश में औकाफ के समुचित संचालन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुददों पर भारत सरकार को सलाह देने के मुख्य उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1954 (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1 के रूप में पठित) की धारा 8क के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। परिषद का एक अध्यक्ष है, जो केंद्रीय वक्फ प्रभारी मंत्री हैं। इस समय श्री के0 रहमान खान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद में वक्फ अधिनियम में यथा उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों से 20 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान परिषद का गठन दिनांक 12.05.2011 को पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया था।

संकल्पना

17.8 वक्फ की सुरक्षा, संरक्षण, प्रभावी संचालन, ई–मानीटरिंग तथा पोषणीय उपयोग।

मिशन

17.9 वक्फ की सुरक्षा, वक्फ संपत्तियों की पुनः पारित, वक्फ के विकास हेतु योजना का सुदृढ़ीकरण, नए वक्फ की बेहतरी और सृजन हेतु कानून बनाने में पूर्व–सक्रिय भूमिका निभाना।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सलाहकारी भूमिका

17.10 राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत, केंद्रीय वक्फ परिषद को राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय से भारत सरकार में वक्फ प्रबंध प्रणाली (वामसी) के संबंध में सुग्राहक की भूमिका निभाने का अधिदेश प्राप्त है। परिषद में संस्थापित केंद्रीय गणक सुविधा–केंद्र (सीसीएफ) का माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं अध्यक्ष, केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा दिनांक 28.12.2012 को उद्घाटन किया गया था।

17.11 परिषद अपने उद्देश्यों के अनुसार, मुद्दों पर कार्रवाई करने के साथ–साथ निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में भी भाग लेता आ रहा है:–

(i) शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना:

परिषद के उद्देश्यों के अनुसार, मुद्दों पर कार्रवाई करने के साथ–साथ, यह समुदाय की बेहतरी के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से समुदाय की विकास प्रक्रिया में भी भाग लेता आ रहा है।

1975 से, परिषद ने वक्फ संस्थानों के संसाधनों में वृद्धि करने, समुदाय के लाभार्थ अपने कल्याण कार्यकलापों को बढ़ाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक तर्ज़ पर वक्फ संपत्तियों का विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से प्राप्त सहायता–अनुदान की योजना की शुरूआत की। ये परियोजनायें कई राज्यों में चलाई गईं। योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ₹39.85 करोड़ की राशि का कुल सहायता–अनुदान निर्मुक्त किया।

(ii) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हुई प्रगति

निम्नलिखित औकाफ को दिनांक 31.12.2012 तक ₹2.88 करोड़ की राशि का सहायता–अनुदान जारी किया गया है:–

क्रम सं0	परियोजनाओं के नाम	राशि (लाख ₹ में)
1.	डॉ0 ज़ाकिर हुसैन कॉलोनी, मुस्लिम जमात, मुलगुंडा, नाका गदग (कर्नाटक) की विकास परियोजना	27.00
2.	मिल्लत सोशल वेल्फेयर एंड एज्यूकेशन सोसायटी, बेतगिरी, गदग (कर्नाटक) की विकास परियोजना	45.00
3.	अज़ीज़र्रहमान खान वक्फ नं0 19–क, रामपुर (उत्तर प्रदेश) की विकास परियोजना	27.00
4.	इंजीनियरिंग कॉलेज नूह, मेवात, हरियाणा की विकास परियोजना	65.00
5.	मुस्लिम हॉस्टल, सरस्वतीपुरम, कर्नाटक की विकास परियोजना	22.00
6.	महमूदा शिक्षा और ग्रामीण विकास बहु–उद्देश्यीय वक्फ संस्था, नागपुर, महाराष्ट्र की विकास परियोजना	35.00
7.	हैदरिया मस्जिद महल्लू कमेटी ओट्टपालम, केरल की विकास परियोजना	12.00
8.	वक्फ अखाड़ा मस्जिद, देवास (मध्य प्रदेश) की विकास परियोजना	20.00
9.	मस्जिद–ए–उम्मुल हुसनैन, इंदिरा नगर, बंगलुरू (कर्नाटक) की विकास परियोजना	35.00
	योग	**288.00**

(iii) लघु परियोजनाएंः

शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना में ऋण अदायगी तथा बकाया ऋण पर 4% की दर पर दान देने की परिकल्पना की गई है। वापस चुकाई गई ऋण राशि से परिषद की परिक्रामी निधि का निर्माण होता है, जिसे पुनः ₹50.00 लाख तक की लघु परियोजनाओं के लिए ऋण देने में उपयोग में लाया जाता है। परिषद राज्य वक्फ बोर्डों को ₹50.00 लाख तक के ऋण वाली और विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। योजना के अंतर्गत, परिषद ने 91 परियोजनाओं के लिए ₹5.29 लाख की राशि का ऋण दिया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, पट्टीहारा जुम्मा मस्जिद, ओट्टपालम, पालक्कड, केरल की विकास परियोजना के लिए उक्त योजना के अंतर्गत ₹25.00 लाख की राशि मंजूर की है।

(iv) शैक्षिक योजनाएंः

केंद्रीय वक्फ परिषद गैर–सरकारी संगठनों तथा तकनीकी संस्थानों को अनुदान देते हुए, स्कूल पुस्तकालयों आदि में पुस्तक बैंक का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण सरीखे विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का संचलान करते हुए समुदाय के सामाजिक और कल्याण संबंधी कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ₹49.60 लाख का अनुदान स्वीकृत/निर्मुक्त किया गया था।

अध्याय–18

दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955

18.1 राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत, दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति के रूप में विदित है। उक्त अधिनियम और उसके उपनियम वेबसाइट www.gharibnawaz.in पर उपलब्ध हैं। दरगाह समिति का गठन 24 अगस्त, 2007 को किया गया था, जिसका कार्यकाल दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अनुसार 05 वर्षों की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् 23 अगस्त, 2012 को समाप्त हो गया है। नई समिति का गठन किया जा रहा है।

18.2 दरगाह समिति के कार्य और शक्तियां

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ की चार दीवारी के भीतर के भवनों तथा सभी मकानों, दुकानों की उचित देखभाल तथा उन्हें अच्छी हालत में रखना।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की समस्त राशि और अन्य आय प्राप्त करना।
- यह देखना कि धर्मार्थ प्राप्त दान की राशि दानदाताओं की इच्छा के अनुरूप खर्च की जाती हैं।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की आय अथवा राजस्व की ओर से देय या उस पर प्रभारित सभी अन्य का भुगतान करना और वेतन भत्ते तथा अनुलाभ का भुगतान करना।
- खादिमों के विशोषाधिकारों को निर्धारित करना तथा यदि समिति इसे आवश्यक मानती है तो उन्हें उनकी ओर से लाईसेंस प्रदान कर दरगाह में उनकी उपस्थिति नियमित करना।
- सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना।
- दरगाह के साथ मिलकर सजदानशीन द्वारा प्रयोग की जानी वाली शक्तियों और कार्यप्रणाली का निर्धारण।
- दरगाह के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलंबन तथा उनकी बर्खास्तगी।
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गरीब वंशजों और उनके परिवारों तथा भारत में रह रहे गरीब खादिमों और उनके परिवारों को शिक्षा और गुजारा के लिए वे प्रावधान करना जिसे समिति दरगाह की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सुसंगत समझे।
- जैसा समिति उचित समझे, नाजिम को कार्य और शक्तियां प्रदान करना।
- अन्य सभी कार्य करना जो दरगाह के दक्ष प्रशासन के लिए अनुषंगी अथवा सहायक हों।

18.3 उर्स तथा धर्म संघों का प्रबंधन :

मई, 2012 के वार्षिक उर्स और दिसम्बर, 2012 के लघु उर्स (मुहर्रम) का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया। दरगाह समिति, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा अवसंरचनात्मक प्रबंध किया गया था।

अध्याय–19

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

19.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का गठन अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत गैर–लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया था। एनएमडीएफसी दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे की पारिवारिक आय, जो इस समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹55000 वार्षिक और ₹40000 वार्षिक है, वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को स्व–रोजगार क्रियाकलापों और आय सृजक क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है। एनएमडीएफसी निम्नलिखित के द्वारा ऋण उपलब्ध कराता है (i) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और (ii) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से। एनएमडीएफसी द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं निम्नलिखित है:–

(i) वैयक्तिक लाभग्राही के लिए सावधि ऋण योजना का कार्यान्वयन एससीए के माध्यम से किया जाता है, जबकि ₹5.00 लाख तक की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए 3% की ब्याज दर पर एससीए को निधि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लाभार्थियों को 6% की दर से और ऋण दिया जा सके।

(ii) एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से शैक्षिक ऋण योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत एनएमडीएफसी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए योग्य अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को 3% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर ₹2,50,000 उपलब्ध कराता है। शैक्षिक ऋण के लिए एससीए को 1% पर निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं, जिसे वह आगे लाभार्थी को 3% की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं।

(iii) माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत, ₹25,000 तक के माइक्रो ऋण, एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक स्व–सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को दिए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए एनजीओ/एससीए को 1% की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से आगे ऋण के रूप में दिया जाता हैं।

(iv) इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के लिए लक्षित समूहों के क्षमता निर्माण हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और विपणन सहायता की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

19.2 अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, एनएमडीएफसी के पास ₹1500 करोड़ की प्राधिकृत अंशपूंजी है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹975.00 करोड़ है (65%) और राज्य सरकारों का हिस्सा ₹390.00 करोड़ (26%) है, जबकि शेष ₹135.00 करोड़ (9%) अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा अंशदान दिया जाना होता है।

19.3 भारत सरकार ने शुरुआत से 31.12.2012 तक एनएमडीएफसी की इक्विटी में ₹975 करोड़ (100%) का अंशदान दिया है, जबकि ₹219.47 करोड़ (56.27%) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया है। अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा ₹0.01 करोड़ दिया गया है।

19.4 उपलब्धियां

क. प्रारंभ से दिनांक 31.12.2012 तक एनएमडीएफसी ने 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में **3,77,575 लाभार्थियों** को **₹1589.67 करोड़** की लघु ऋण सहायता दी है। मौजूदा वित्त वर्ष 2012–13 में 31 दिसम्बर, 2012 तक **9739 लाभार्थियों** को **₹93.00 करोड़** की राशि संवितरित की गयी है।

ख. प्रारंभ में वर्ष 1998–99 से माइक्रो वित्त प्रबंध नामक योजना का एनएमडीएफसी द्वारा कार्यान्वयन एनजीओ के माध्यम से किया गया और बाद में इसके कार्यान्वयन में एससीए को शामिल किया गया। इसके गठन से दिनांक 31.12.2011 तक **4,76,469** लाभार्थियों को माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत कुल **₹488.82** करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2012–13 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक **40998 लाभार्थियों** के लिए एनजीओ/एससीए को **₹92.25 करोड़ का माइक्रो ऋण** संवितरित किया जा चुका है।

ग. अपने गठन से लेकर 31 दिसम्बर, 2012 तक, निगम द्वारा **8,54,046 लाभार्थियों को ₹2078.49 करोड़** की समेकित राशि संवितरित की गई है। चालू वित्त वर्ष में दिनांक 31.12.2012 तक 50737 लाभार्थियों के लिए **₹185.25 करोड़** की समेकित राशि वितरित की गई है।

घ. वर्ष 2007–08 में मंत्रालय द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को उनकी अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान देने की एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सहायता जागरूकता अभियानों, वितरण प्रणाली में सुधार, मानव शक्ति को प्रशिक्षण, ऋण वसूली आदि के लिए एससीए को सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, सहायता बराबर आधार पर है, केन्द्र और राज्य सरकारों को 90:10 अनुपात में अंशदान करना होता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ₹1.35 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2012–13 के लिए, इस योजना हेतु ₹2.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

ङ. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की वर्ष 2011–12 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को लोक सभा में 20 दिसम्बर, 2012 को और राज्य सभा में 17 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत किया गया था।

19.5 एनएमडीएफसी के कार्यक्रम और योजनाओं और इसके प्रचालन को और सुदृढ़ करने तथा कवरेज को और अधिक विस्तृत करने के लिए, मंत्रालय ने कैबिनेट के अनुमोदन से 'एनएमडीएफसी के पुनर्गठन' की कार्रवाई की है। पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विस्तार से कार्य करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। परामर्शदाता ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत कर दी थी। इसके पश्चात मंत्रालय ने कैबिनेट द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए सुझावों और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान नियमों और दिशा–निर्देशों ध्यान में रखते हुए, एनएमडीएफसी के पुनर्गठन को अंतिम रूप देने हेतु एक उच्च–स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की, जिसके सदस्य वित्त सेवाएं विभाग, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक से थे। एचएलसी की अंतिम रिपोर्ट उस समय के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा अनुमोदित की गई थी। एचएलसी की अनुशंसाओं के आधार पर, कैबिनेट के लिए एक ड्राफ्ट नोट अंतर–मंत्रालयीय विचार–विमर्श के लिए परिचालित किया गया था। तथापि, योजना आयोग और व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के सुझावों पर, की ईएफसी का अनुमोदन पहले प्राप्त किया जाना चाहिए, एक ईएफसी ज्ञापन बनाने की प्रक्रिया जारी है।

अध्याय–20

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

20.1 भूमिकाः

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–राजनैतिक, गैर–लाभकारी समाज सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1989 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था।

20.2 मुख्य उद्देश्यः

इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषतः शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है।

20.3 एमएईएफ की संरचनाः

अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान के सामान्य निकाय में 15 सदस्य हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इसके कार्यों का प्रबंधन इसके शासी निकाय के सुपुर्द है, जिसमें छः सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष–एमएईएफ, उपाध्यक्ष–एमएईएफ, खजांची–एमएईएफ, भी शामिल है और तीन सदस्य सामान्य निकाय में से चुने जाते हैं।

20.4 एमएईएफ के संसाधनः

इसके आय का एकमात्र साधन एमएईएफ की संचित निधि से निवेश पर अर्जित ब्याज है।

संचित निधिः

एमएईएफ ने भारत सरकार से संचित निधि के रूप में कुल 750 करोड़ ₹ प्राप्त किए हैं, जिन्हें बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेशित रखा गया गया है और इससे मिलने वाले ब्याज का उपयोग एमएईएफ की शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है।

एमएईएफ ने एचपीसीएल, सेल और आईडीबीआई बैंक से संचित निधि के लिए 12 लाख ₹ का अंशदान भी प्राप्त किया है।

20.5 मौजूदा शैक्षणिक योजनाएंः एमएईएफ निम्नलिखित दो मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः

20.5.1 एनजीओ को सहायता अनुदानः शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए एमएईएफ सहायता–अनुदान उपलब्ध कराता है।

- स्कूलों/बीएड कॉलेजों/वीटीसी/आईटीआई/पॉलिटेक्निक और छात्रावास भवनों का निर्माण/विस्तार
- विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण/फर्नीचर की खरीद।

- तीन साल से चल रहे और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, जिसमें 50% से अधिक अल्पसंख्यक छात्र हैं, का प्रबंधन करने वाले एनजीओ आवेदन कर सकते हैं।
- उच्चतम सीमा ₹ 30 लाख है।

20.5.2 मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अल्पसंख्यको से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए: छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्राओं को ₹12 हजार प्रति छात्रा की दर से (₹6,000 की दो किस्तों में) निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर दी जाती है।

- दसवीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना।
- 11वीं कक्षा में स्थायी दाखिला होना।
- माता/पिता की वार्षिक आय ₹1 लाख प्रतिवर्ष से कम होना।
- चयन राज्य–वार कोटे में मेरिट के आधार पर किया जाता है।

20.6 उपलब्धियां:

एमएईएफ की योजनाओं ने देश भर में बहुत ख्याति प्राप्त की है। एमएईएफ अपनी योजनाएं बिना किसी मध्यवर्ती एजेंसी के कार्यान्वित करती है। इसकी योजनाओं के लाभ भारत के लगभग प्रत्येक भाग में पहुंचे है।

20.6.1 सहायता अनुदान: 31.12.2012 तक एमएईएफ ने 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 1261 एनजीओ को ₹165.69 करोड़ के सहायता अनुदान स्वीकृत किए हैं। इसमें से, प्रतिष्ठान ने चालू वित्त वर्ष अर्थात 2012–13 के दौरान, 94 एनजीओ को ₹12.46 करोड़ स्वीकृत किए है। एमएईएफ द्वारा 31.12.2012 (शुरुआत से) और चालू वित्त वर्ष 2012–13 में स्वीकृत किए गए सहायता–अनुदान का राज्य–वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक XI** और **XII** में संलग्न है।

20.6.2 छात्रवृत्ति: मौलाना आजाद छात्रवृत्ति के अंतर्गत, 31.03.2012 तक एमएईएफ ने 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 77,003 छात्राओं को ₹90.24 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। प्रतिष्ठान ने 2003–04 से 2011–12 तक अल्पसंख्यकों से संबंधित 77,003 मेधावी छात्राओं के लिए ₹90.24 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 2011–12 तक स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियों का राज्य–वार सारांश **अनुलग्नक–XIII** में संलग्न है।

20.7 2012–13 के दौरान अन्य उपलब्धियां:

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, एमएईएफ ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान अपनी वेबसाइट को और गतिशील तथा एमएईएफ के बारे में पूर्ण सूचना देने वाली बनाने हेतु पुनः संरचित किया है।
- सहायता–अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, नए आवेदन हेतु नए माड्यूल भी प्रारंभ किए गए हैं।
- चालू वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान, एमएईएफ ने छात्रवृत्तियों के लिए 30,585 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए हैं। इसी तरह, सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, एमएईएफ द्वारा 68 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।
- सहायता–अनुदान के लिए लंबित प्रस्तावों की स्थिति वेबसाइट पर है, जिसे निरंतर रूप से अद्यतन किया जाता है।

20.8 जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 की अवधि की अनंतिम सूचनाः

- चालू वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान, छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं और इनके जल्द स्वीकृत किए जाने की आशा है।
- मौजूदा वर्ष (2012–13) के लिए छात्रवृत्तियों के लिए कुल कोटे को ₹12000 की दर से, पिछले वर्ष के कोटे 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है।
- 25,000 छात्राओं (अर्थात् ₹12,000 की दर से) को ₹30 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
- एनजीओ के सहायता–अनुदान के लिए 150 से अधिक प्रस्ताव अभी प्रक्रिया में हैं और यह संभव है कि मार्च, 2013 तक 100 एनजीओ को ₹15 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जा सकती है।

20.9 एमएईएफ द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रः

प्रतिष्ठान महिलाओं के लिए अजमेरी गेट, दिल्ली में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा है, जहां पर लड़कियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कटिंग एण्ड टेलरिंग, टैक्सटाईल डिजाईनिंग, ब्यूटी कल्चर, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स और कम्प्यूटर्स के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

20.10 भविष्य के कार्यक्रमः

- मौलाना आजाद पब्लिक स्कूलों की स्थापना।
- आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।
- मौलाना आजाद पीठों की स्थापना।
- पुस्तकालयों की स्थापना।
- पांच अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार करना।

अध्याय–21

जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग

21.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास" की एक विशेष योजना का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं में सरकारी तंत्रों, बैंकों और सभी स्तर पर मध्यस्थों के साथ संपर्क करने के साधन, तकनीकें और जानकारी उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास की भावना भरना और उन्हें सशक्त बनाना है। दिनांक 31.12.2012 तक, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना के तहत 36950 अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12 राज्यों के 64 संगठनों को ₹10.45 करोड़ की निर्मुक्ति की गई है।

21.2 देश में अल्पसंख्यकों के बीच महिलाएं सबसे कमजोर वर्ग हैं, इस तथ्य के आलोक में एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों की निर्धन महिलाओं के लिए माइक्रो वित्त योजना चला रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लघु ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को अनौपचारिक ढंग से गैर–सरकारी संगठनों/स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी ने गठन के समय से 31 दिसम्बर, 2012 तक 4,76,469 लाभार्थियों को ₹488.82 करोड़ का लघु ऋण उपलब्ध कराया है, जिसमें से लगभग 90% लाभार्थी महिलाएं हैं।

21.3 महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना नामक एक विशेष योजना भी लागू की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को छह माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹25,000 तक का लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय–22

सूचना का अधिकार अधिनियम

22.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, इस मंत्रालय ने सभी आवश्यक सूचना अर्थात् मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज आदि को आम जनता की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर अपलोड किया है। इसमें, मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

22.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं और उसे मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि पूर्ण हुए और चल रहे कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होता है। मंत्रालय ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्प लाइन की भी व्यवस्था की है।

22.3 मंत्रालय द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और सिविल समाज की महती भागीदारी की दिशा में किए गए सकारात्मक पहल के कारण ही मंत्रिमंडल सचिवालय ने 14 जनवरी, 2011 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से यह अनुरोध किया है कि वे भी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रक्रियाओं को अपनाएं।

22.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नौ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और तीन संयुक्त सचिवों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। वर्ष 2012–13 में (31.12.2012 तक) इस अधिनियम के तहत 272 आवेदन और 16 अपील प्राप्त हुए थे, जिन्हें निस्तारित कर दिया गया। आर. टी. आई. आवेदनों और अपीलों से संबंधित स्थिति की तिमाही रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयुक्त की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।

अध्याय–23

विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और की गई कार्रवाई

23.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थ समग्र नीति एवं नियोजन की तैयारी, समन्वय, मूल्यांकन और विनियामक ढांचे की समीक्षा तथा विकास कार्यक्रम की तैयारी कार्य को सुगम बनाने के लिए अस्तित्व में आया। मंत्रालय एक छोटा संगठन है जिसमें स्वीकृत अधिकारियों और स्टॉफ की संख्या केवल 98 है, जिनमें 1 सचिव, 3 संयुक्त सचिव, 1 संयुक्त सचिव–सह–वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) हैं। यह मंत्रालय विशेषकर अधिकारी उन्मुख है तथा मध्यम स्तर के अधिकांश अधिकारी डेस्क अधिकारी पैटर्न पर कार्य करते हैं।

23.2 मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 98 पदों में से (जिनमें से अधिकांश संगठित सेवा से भरे जाते हैं) 66 पद भरे हुए हैं। मंत्रालय के गठन से अब तक सीधे तौर पर केवल 3 चपरासियों (अब एमटीएस के रूप में पदनामित) की ही भर्ती की गई है तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त एक सहायक निदेशक को मंत्रालय में आमेलित किया गया है। अधिकतर पद यथा सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक, वरिष्ठ पीपीएस, पीपीएस, पीएस, पीए, आशुलिपिक ग्रेड 'डी' कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से भरे गए हैं। शेष पदों को प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरा जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भविष्य में भर्ती करते समय विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण देने संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है, जिसका के0लो0नि0वि0 द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है और विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ दिशा–निर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन कदाचित के0लो0नि0वि0 द्वारा किया जा रहा है।

अध्याय–24

शासकीय लेखापरीक्षा

24.1 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मंत्रालय और एनएमडीएफसी के लेखाओं और कार्य–व्यवहारों, जिनमें उनकी आज की तारीख तक की स्थिति भी शामिल है, के संबंध में संसद में प्रस्तुत की गयी उनकी विभिन्न रिपोर्टों में दर्शाये गये लेखा–परीक्षा पैराग्राफों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:–

क्रम सं0	रिपोर्ट संख्या	पैरा सं0 और विषय	की गयी कार्रवाई
1.	2012–13 की रिपोर्ट सं0 8	पैरा सं0 9.4 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन सृजित सरकारी कंपनियों में "निधि प्रबंध"	वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, नई दिल्ली को दिनांक 06.03.2012 को उत्तर भेजा गया। वाणिज्यिक लेखा–परीक्षा के प्रधान निदेशक की ओर से संशोधित विषयक प्रारूप पैरा 17.4.2012 को प्राप्त हुआ। दिनांक 08.05.2012 को उत्तर भेजा गया।

अध्याय–25

परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिकों/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

25.1 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन में की गयी घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री ने 11 सितम्बर, 2009 को सरकारी विभागों के लिए निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा के मसौदे को अनुमोदित कर दिया।

इस प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि वह सरकार द्वारा समय–समय पर संसूचित घोषणा कार्यसूची, राष्ट्रपति के संबोधन, संबंधित मंत्री द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार करे। इस मंत्रालय ने 30 नवम्बर, 2009 को वर्ष 2009–10 के लिए अपना प्रथम परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए "सरकार की घटती क्वांटिटी" से "सरकार की बढ़ती गुणवत्ता" में अंतरण की दिशा में इस कार्य की शुरूआत थी।

वर्ष 2009–10 के दौरान, मंत्रालय के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर, मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस मंत्रालय को 92.76% समग्र संयुक्त अंक प्रदान किया जो 59 सरकारी विभागों को प्राप्त 89.40% औसत संयुक्त अंकों की तुलना में अधिक रहा।

25.2 वर्ष 2011–12 के लिए मंत्रालय का नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर, जो 'सवोत्तम' हेतु अनुवर्ती एवं अनिवार्य आवश्यकता है, तैयार कर लिया गया है और 2 मई, 2011 को मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए मंत्रालय का आरएफडी भी मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आरएफडी 2012–13 के अधीन मध्यावधिक उपलब्धियां भी 29 अक्तूबर, 2012 को अपलोड कर दी गई हैं। वर्ष 2011–12 के कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के सुझावों के अनुसार और तथ्संबंधी उपलब्धि तथा समेकित अंक निम्नलिखित हैं।

25.3 मंत्रिमंडल सचिवालय में निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक वाले एक स्क्रीन शॉट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 69

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

के लिए

परिणाम–ढांचा दस्तावेज

(आरएफडी)

(2011–12)

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 71

परिच्छेद 1:
संकल्पना, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य

संकल्पना

अल्पसंख्यक समुदायों का सुदृढ़ीकरण करना तथा हमारे राष्ट्र के बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी तथा बहु–धार्मिक अभिलक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुकुल वातावरण सृजित करना।

मिशन

सकारात्मक कार्रवाई तथा व्यापक विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में बेहतरी लाना ताकि प्रत्येक नागरिक को मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो सके। अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुकर बनाना तथा उनके उत्थान को सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

1. अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तिकरण
2. क्षेत्र विकास
3. संस्थागत सुदृढ़ीकरण
4. अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण

कार्य

1. नीतिगत कार्य
2. सम्मेलनों; पुनरीक्षण तंत्रों, नियमित बैठकों; आदि के माध्यम से निगरानी कार्य
3. विकास पहलें (क्षेत्र विकास; अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास; शिक्षा के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास)
4. विनियामक कार्य (एनसीएम अधिनियम, वक्फ अधिनियम, दरगाह अधिनियम)

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 72

परिच्छेद 2:
महत्वपूर्ण उद्देश्यों, सफलता संकेतकों और लक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तीकरण	40.00	(1.1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.1.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	15.00	27	25	23	21	19
		(1.2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.2.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	13.00	5.25	4.80	4.40	4.20	3.80
		(1.3) मेरिट–सह–साधन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.3.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या हजारों में	4.00	20	18	16	14	12
		(1.4) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए सहायता	(1.4.1) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	2.00	5760	5184	4608	4032	3456
		(1.5) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां	(1.5.1) अध्येतावृत्तियों की संख्या	संख्या	4.00	756	680	574	452	326
		(1.6) छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट	(1.6.1) प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	2.00	16.1.2012	01.2.2012	29.2.2012	15.3.2012	01.3.2012
(2) क्षेत्र विकास	31.00	(2.1) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए जिला योजनाओं का समग्र रूप में अनुमोदन।	(2.1.1) समग्र रूप में अनुमोदित जिला योजनाओं की संख्या	जिला योजनाओं की संख्या	15.00	44	43	42	41	40
		(2.2) पूर्ववर्ती वर्ष की जिले–वार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की प्रलेखन रिपोर्ट	(2.2.1) प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	6.00	1.10.2011	1.11.2011	1.12.2011	2.1.2012	1.2.2012
		(2.3) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय एकको का निर्माण	(2.3.1) एककों की संख्या	संख्या	2.00	25086	22577	20069	17560	15052
		(2.4) प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का निर्माण	(2.4.1) एककों की संख्या	संख्या	1.00	136	122	109	95	82
		(2.5) मौजूदा प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण	(2.5.1) एककों की संख्या	संख्या	1.00	1846	1661	1477	1292	1108

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 73

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त
						100%	90%	80%	70%	60%
		(2.6) आंगनवाड़ियों का निर्माण	(2.6.1) एककों की संख्या	संख्या	1.00	1144	1030	915	801	686
		(2.7) हैंड पम्प रिंग वेल्स का निर्माण	(2.7.1) एककों की संख्या	संख्या	1.00	2127	1914	1702	1489	1276
		(2.8) बजट में निर्धारित राशि के प्रतिशत के रूप में निधियों की निर्मुक्ति	(2.8.1) प्रलेखन रिपोर्ट	%	2.00	100	90	80	70	60
		(2.9) विचारार्थ विषयों का निरूपण	(2.9.1) प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	2.00	30.5.2011	15.6.2011	30.6.2011	15.7.2011	1.8.2011
(3) संस्थागत सुदृढ़ीकरण	4.00	(3.1) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – केन्द्रीय कंप्यूटिंग सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूरा करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।	(3.1.1) राज्य वक्फ बोर्डों की संख्या	संख्या	4.00	5	4	3	2	1
(4) अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक –आर्थिक सशक्तिकरण	10.00	(4.1) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	(4.1.1) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	3.00	56850	51165	46048	41444	37300
		(4.2) सच्चर समिति–क की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.2.1) रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	1.50	15.5.2011	31.5.2011	15.6.2011	30.6.2011	15.7.2011
		(4.3) सच्चर समिति–ख की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.3.1) रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	1.50	15.12.2011	16.1.2012	31.1.2012	15.2.2012	29.2.2012
		(4.4) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम–क के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.4.1) रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	2.00	30.6.2011	15.7.2011	31.7.2011	16.8.2011	31.8.2011
		(4.5) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम–ख के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.5.1) रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	2.00	15.12.2011	16.1.2012	31.1.2012	15.2.2012	29.2.2012
✶आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्य करना	3.00	अनुमोदन के लिए समय पर मसौदे का प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	07.3.2011	08.3.2011	09.3.2011	10.3.2011	11.3.2011

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 74

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त
						100%	90%	80%	70%	60%
		परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	01.5.2012	03.5.2012	04.5.2012	05.5.2012	06.5.2012
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/अनुक्रियाशीलता/सेवा डिलिवरी में सुधार लाना	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	सिटिजन/क्लाइंट चार्टर का संशोधित मसौदे को पुनःप्रस्तुत किया जाना	दिनांक	2.0	15.12.2011	20.12.2011	25.12.2011	28.12.2011	31.12.2011
			शिकायत निपटान–तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	95	90	85	80
		आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के अनुसरण को सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिन पर सूचना 10 फरवरी, 2012 तक अपलोड किया है	संख्या	2.0	16	15	14	13	12
		विभागीय कार्रवाईयों के संबंध में भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों की पहचान करना तथा उसे कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करना	भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों को कम करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.0	10.2.2012	15.2.2012	20.2.2012	24.2.2012	29.2.2012
		आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का विकास करना	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.0	10.2.2012	15.2.2012	20.2.2012	24.2.2012	29.2.2012
* आर्थिक जवाबदेही ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा पैराओं पर एटीएनएस को यथासमय प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित दिनांक (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत किए एटीएनएस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी को एटीआर का यथासमय प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 महीने) के अंतर्गत प्रस्तुत किए एटीआर का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60
		दिनांक 31.03.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के लेखा पैरा पर लंबित एटीएनएस का समय से पूर्व निपटाना	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60
		दिनांक 31.03.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 75

परिच्छेद 3:
सफलता संकेतकों का रूझान मूल्यांकन

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 11/12	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 12/13	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 13/14
(1) अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तीकरण	(1.1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.1.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	15	20	25	28	30
	(1.2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.2.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	3	4	4.80	5.75	6.50
	(1.3) मेरिट–सह–साधन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की मंजूरी देना	(1.3.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या हजारों में	20	20	18	20	20
	(1.4) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए सहायता	(1.4.1) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	5760	5760	5184	5760	5760
	(1.5) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां	(1.5.1) अध्येतावृत्तियों की संख्या	संख्या	–	756	680	756	756
	(1.6) छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट	(1.6.1) प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	–	–	01.2.2012	–	–
(2) क्षेत्र विकास	(2.1) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए जिला योजनाओं का समग्र रूप में अनुमोदन।	(2.1.1) समग्र रूप में अनुमोदित जिला योजनाओं की संख्या	जिला योजनाओं की संख्या	13	15	43	–	–
	(2.2) पूर्ववर्ती वर्ष की जिले–वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि की प्रलेखन रिपोर्ट	(2.2.1) प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	–	1.10.2010	1.11.2011	–	–
	(2.3) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय एककों का निर्माण	(2.3.1) एककों की संख्या	संख्या	–	50000	22577	–	–
	(2.4) प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का निर्माण	(2.4.1) एककों की संख्या	संख्या	–	550	122	–	–
	(2.5) मौजूदा प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	(2.5.1) एककों की संख्या	संख्या	–	2000	1661	–	–
	(2.6) आंगनवाड़ियों का निर्माण	(2.6.1) एककों की संख्या	संख्या	–	6000	1030	–	–
	(2.7) हैंड पम्प रिंग वेल्स का निर्माण	(2.7.1) एककों की संख्या	संख्या	–	–	1914	–	–
	(2.8) बजट में निर्धारित राशि के प्रतिशत के रूप में निधियों की निर्मुक्ति	(2.8.1) प्रलेखन रिपोर्ट	%	–	–	90	–	–
	(2.9) विचारार्थ विषयों का निरूपण	(2.9.1) प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	–	–	15.6.2011	–	–

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 76

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 11/12	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 12/13	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 13/14
(3) संस्थागत सुदृढ़ीकरण	(3.1) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – केन्द्रीय आकलक सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूरा करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।	(3.1.1) राज्य वक्फ बोर्डों की संख्या	संख्या	–	15	4	–	–
(4) अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण	(4.1) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	(4.1.1) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	–	56850	51165	56850	56850
	(4.2) सच्चर समिति–क की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.2.1) रिपोर्ट भेजना है	दिनांक	–	15.11.2010	31.5.2011	15.2.2012	–
	(4.3) सच्चर समिति–ख की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.3.1) रिपोर्ट भेजना है	दिनांक	–	–	16.1.2012	–	–
	(4.4) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम–क के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.4.1) रिपोर्ट भेजना है	दिनांक	–	31.12.2010	15.7.2011	02.7.2012	–
	(4.5) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम–ख के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने	(4.5.1) रिपोर्ट भेजना है	दिनांक	–	–	16.1.2012	–	–
*आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्य	अनुमोदन के लिए समय पर मसौदे का प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	–	05.3.2010	07.3.2011	–	–
	परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	25.5.2010	02.5.2011	03.5.2012	–	–
*मंत्रालय/विभाग का आंतरिक दक्षता/अनुक्रियशीलता/सेवा डिलिवरी में सुधार लाना	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	सिटिजन/क्लाइंट चार्टर का संशोधित मसौदे को पुनःप्रस्तुत किया जाना	दिनांक	–	–	20.12.2011	–	–
		शिकायत निपटान–तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	–	–	95	–	–
	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के अनुसरण को सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिस पर सूचना 10 फरवरी, 2012 तक अपलोड किया है	संख्या	–	–	15	–	–
	विभागीय कार्रवाईयों के संबंध में भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों को पहचानना तथा उसे कम करने के लिए कार्य योजना का विकास करना	भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों को कम करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	–	–	15.2.2012	–	–

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 77

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 09/10	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 10/11	लक्षित मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 11/12	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 12/13	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 13/14
	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का विकास करना	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	–	–	15.2.2012	–	–
*आर्थिक जवाबदेही ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखा पैराओं पर एटीएनएस का यथासमय प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित दिनांक (4 महीने) के अंतर्गत प्रस्तुत किए एटीएनएस का प्रतिशत	%	–	100	90	–	–
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी को एटीआर का यथासमय प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 महीने) के अंतर्गत प्रस्तुत किए एटीआर का प्रतिशत	%	–	100	90	–	–
	दिनांक 31.03.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखाकार के रिपोर्ट के लेखा पैरा पर लंबित एटीएनएस का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	–		90	–	–
	दिनांक 31.03.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	–	100	90	–	–

* अनिवार्य उद्देश्य

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 79

परिच्छेद 4:

सफलता संकेतकों की परिभाषा और विवरण एवं प्रस्तावित मापक कार्य प्रणाली

प्रस्तावित मापक प्रणाली, प्रत्येक कार्रवाई बिंदु के लिए और प्रत्येक सफलता सूचक, प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत संक्षिप्त है और उपर्युक्त परिच्छेद 2 और 3 में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की गई है।

योजनाओं का समीक्षा बैठकों के जरिये अनुवीक्षण करना और चूंकि उनके कार्यान्वयन ने मंत्रालय की प्रस्तावित मापक कार्यप्रणाली को स्वीकार किया है और यही वास्तविक रूप से मापी जा सकती है, इसलिए यह सुस्पष्ट है।

2.3.1 परिच्छेद 2 का संदर्भ लेः– इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय ईकाईयों पर पैरा : एमएसडीपी विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो देशभर में अतिरिक्त धन के माध्यम से 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हुए अपर्याप्त विकास का निवारण करता है। एमएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत और सृजित की गई परिसंपत्तियां, मौजूदा मामले में इंदिरा आवासीय योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत और सृजित की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त है। यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है और लक्ष्य में कमी, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों द्वारा कम मांग की वजह से है।

2.4.1 परिच्छेद 2 का संदर्भ लेः– प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केंद्रो के निर्माण लक्ष्यों में कमी पर पैराग्राफ जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एमएसडीपी एक मांग आधारित, विशेष क्षेत्र विकास, कार्यक्रम है, जो देशभर में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हुए अपर्याप्त विकास का निवारण करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केंद्रो के निर्माण लक्ष्यों में कमी एमएसडीपी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्ध पर्याप्त निधियों की वजह से की गई कम मांगों के कारण है।

आईटीआई का निर्माणः– 'आईटीआई निर्माण' शीर्षकयुक्त मद 2010–11 और 2011–12 के आरएफडी के परिच्छेद 2 में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, आईटीआई के निर्माण के लिए निधियों की अनंतिम जरूरतों का पूर्वानुमान और आकलन करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अपितु इकाईयों की वास्तविक संख्या पर आधारित पूर्वानुमान और आकलन अधिक उचित और परिणामोन्मुख होगा। इसलिए, अनुमानित जरूरतों के संबंध में निमुर्क्त की गई निधियों का प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण के लिए मानक नहीं बन सकेगा।

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 81

परिच्छेद 5:

अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन मांग

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय के कैलेंडर वर्ष, 2011 के ग्राहक/नागरिक चार्टर में दिए गए अनुसार मंत्रालय को समय पर प्रस्ताव भेजने अपेक्षित होंगें, ताकि समय पर निधियों की निर्मुक्ति की जा सके।

2. योजनाओं/कार्यक्रमों की सफलता के लिए संबंधित विभागों/लाभार्थियों/एनजीओ को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के साथ निधियों की समय से निर्मुक्ति एक पूर्वापेक्षा है।

3. प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई निधियों के प्रमाण–पत्र का समय से प्रस्तुतीकरण मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों और किस्तों पर त्वरित कार्रवाई और निर्मुक्ति में मदद मिलेगी।

4. संबंधित मंत्रालयों के मूल्यांकन और अभिमत उनके कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित परियोजनाओं से प्राप्त किये जाएंगे।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरंतर अनुवीक्षण करना और उसकी रिपोर्ट देना।

6. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत 20,000 नई छात्रवृत्तियों की उपलब्धि का लक्ष्य, बौद्धों/ईसाइयों के लिए निर्धारित कोटे के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त प्रस्तावों पर आधारित है, क्योंकि अप्रयुक्त कोटे का अंतर–समुदायी विपथन को नियमों के अंतर्गत अनुमति नहीं है।

7. आरएफडी के अंतर्गत उपलब्धियां और निष्पादन स्वीकृत पदों के कम–से–कम 85 प्रतिशत समय पर भरे जाने के अध्यधीन होगा।

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 83

परिच्छेद 6:

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	इस निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से निम्न. लिखित विभाग/मंत्रालय जिम्मेवार	सफलता संकेतक	यूनिट	वित्तीय वर्ष 09/10	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14
1. अल्पसंख्यकों के लिए 'मानव विकास सूचकांक' (एचडीआईएमआईएन) को विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जो कि टास्क फोर्स द्वारा पूर्व में सुझाये गये सभी निष्कर्षों की जगह ले लेगा।	पीएमडी अल्पसंख्यकों के लिए एचडीआईएमआईएन तैयार करने हेतु उचित तंत्र/अभिकरण को तलाशने के लिए विश्व बैंक/यूएनडीपी के अधिकारियों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।	अल्पसंख्यकों के लिए मानव विकास सूचकांक का विकास (एचडीआईएम आईएन)	अभी विकसित किया जाना है।					

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 84

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (2011–12)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त		अपक्व स्कोर	भारी अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
1. अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तीकरण	40.00	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	15.00	27	25	23	21	19	55.29	100.0	15.0
		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	13.00	5.25	4.80	4.40	4.20	3.80	7.02	100.0	13.0
		मेरिट–सह–साधन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या हजारों में	4.00	20	18	16	14	12	42.5	100.0	4.0
		निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए सहायता	लाभार्थियों की संख्या	संख्या	2.00	5760	5184	4608	4032	3456	7830	100.0	2.0
		अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां	अध्येतावृत्तियों की संख्या	संख्या	4.00	756	680	574	452	326	755	99.87	3.99
		छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट	प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	2.00	16.1.2012	01.2.2012	29.2.2012	15.3.2012	01.3.2012	12.3.2012	0.0	0.0
2 क्षेत्र विकास	31.00	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए जिला योजनाओं का समग्र रूप में अनुमोदन।	समग्र रूप में अनुमोदित जिला योजनाओं की संख्या	जिला योजनाओं की संख्या	15.00	44	43	42	41	40	24	0.0	0.0
		पूर्ववर्ती वर्ष की जिले–वार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की प्रलेखन रिपोर्ट	प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	6.00	1.10.2011	1.11.2011	1.12.2011	2.1.2012	1.2.2012	19.5.2011	100.0	6.0
		इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय एकको का निर्माण	एककों की संख्या	संख्या	2.00	25086	22577	20069	17560	15052	38738	100.0	2.0
		प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केन्द्रों का निर्माण	एककों की संख्या	संख्या	1.00	136	122	109	95	82	309	100.0	1.0
		मौजूदा प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	एककों की संख्या	संख्या	1.00	1846	1661	1477	1292	1108	2796	100.0	1.0
		आंगनवाड़ियों का निर्माण	एककों की संख्या	संख्या	1.00	1144	1030	915	801	686	4400	100.0	1.0
		हैंड पम्प रिंग वेल्स का निर्माण	एककों की संख्या	संख्या	1.00	2127	1914	1702	1489	1276	3654	100.0	1.0
		बजट में निर्धारित राशि के प्रतिशत के रूप में निधियों की निर्मुक्ति	प्रलेखन रिपोर्ट	%	2.00	100	90	80	70	60	69.13	69.13	1.38

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 85

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (2011–12)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त		अपक्व स्कोर	भारी अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
		विचारार्थ विषयों का निरूपण	प्रलेखन रिपोर्ट	दिनांक	2.00	30.5.2011	15.6.2011	30.6.2011	15.7.2011	1.8.2011	1.9.2011	0.0	0.0
3 संस्थागत सुदृढ़ीकरण	4.00	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – केन्द्रीय आकलक सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूरा करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।	राज्य वक्फ बोर्डों की संख्या	संख्या	4.00	5	4	3	2	1	1	60.0	2.4
4 अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक –आर्थिक सशक्तिकरण	10.00	अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व–क्षमता विकास	लाभार्थियों की संख्या	संख्या	3.00	56850	51165	46048	41444	37300	0	0.0	0.0
		सच्चर समिति–क की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाने वाले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन	रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	1.50	15.5.2011	31.5.2011	15.6.2011	30.6.2011	15.7.2011	13.5.2011	100.0	1.5
		सच्चर समिति–ख की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाने वाले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन	रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	1.50	15.12. 2011	16.1.2012	31.1.2012	15.2.2012	29.2.2012	23.12.2011	97.5	1.46
		प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम–क के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे जाने वाले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन	रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	2.00	30.6.2011	15.7.2011	31.7.2011	16.8.2011	31.8.2011	19.5.2011	100.0	2.0
		प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम–ख के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे जाने वाले अर्धवार्षिक प्रतिवेदन	रिपोर्ट अभी भेजी जानी है	दिनांक	2.00	15.12. 2011	16.1.2012	31.1.2012	15.2.2012	29.2.2012		लागू नहीं	लागू नहीं
*आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्य करना	3.00	अनुमोदन के लिए समय पर मसौदे का प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	7.3.2011	8.3.2011	9.3.2011	10.3.2011	11.3.2011	7.3.2011	100.0	2.0
		परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	01.5.2012	03.5.2012	04.5.2012	05.5.2012	06.5.2012	30.4.2012	100.0	1.0
*मंत्रालय/ विभाग की आंतरिक दक्षता/ अनुक्रियशीलता /सेवा डिलिवरी में सुधार लाना	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	सिटिजन/क्लाइंट चार्टर के संशोधित मसौदे का पुनःप्रस्तुत किया जाना	दिनांक	2.0	16.1.2012	18.1.2012	20.1.2012	23.1.2012	25.1.2012	16.1.2012	100.0	2.0

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 86

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (2011–12)

उद्देश्य	भार	जकार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त		अपक्व स्कोर	भारी अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
			शिकायत निपटान–तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	90	80	70	60	39.2	0.0	0.0
		आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) के अनुसरण को सुनिश्चित करना	मदों की संख्या जिन पर सूचना 10 फरवरी, 2012 तक अपलोड की गई है	नहीं	2.0	16	15	14	13	12	14	80.0	1.6
		विभागीय कार्रवाईयों के संबंध में भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों को पहचानना तथा उसे कम करने के लिए कार्य योजना का विकास करना	भ्रष्टाचार के संभाव्य क्षेत्रों को कम करने के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.0	26.3.2012	27.3.2012	28.3.2012	29.3.2012	30.3.2012	10.4.2012	0.0	0.0
		आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना का विकास करना	आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	2.0	16.4.2012	17.4.2012	18.4.2012	19.4.2012	20.4.2012		लागू नहीं	लागू नहीं
* आर्थिक जवाबदेही ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखा पैराओं पर एटीएनएस का यथासमय प्रस्तुत करना		%	0.5	100	90	80	70	60	100.0	100.0	0.5

* अनिवार्य उद्देश्य

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 87

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (2011–12)

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलब्धि	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त		अपक्व स्कोर	भारी अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी को एटीआर का यथासमय प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तिथि (6 महीने) के अंतर्गत प्रस्तुत किए एटीआर का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		दिनांक 31.03.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखाकार के रिपोर्ट के लेखा पैरा पर लंबित एटीएनएस का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		दिनांक 31.03.2011 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5

कुल समेकित 67.34

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:30 AM Page 88

अनुलग्नक-I

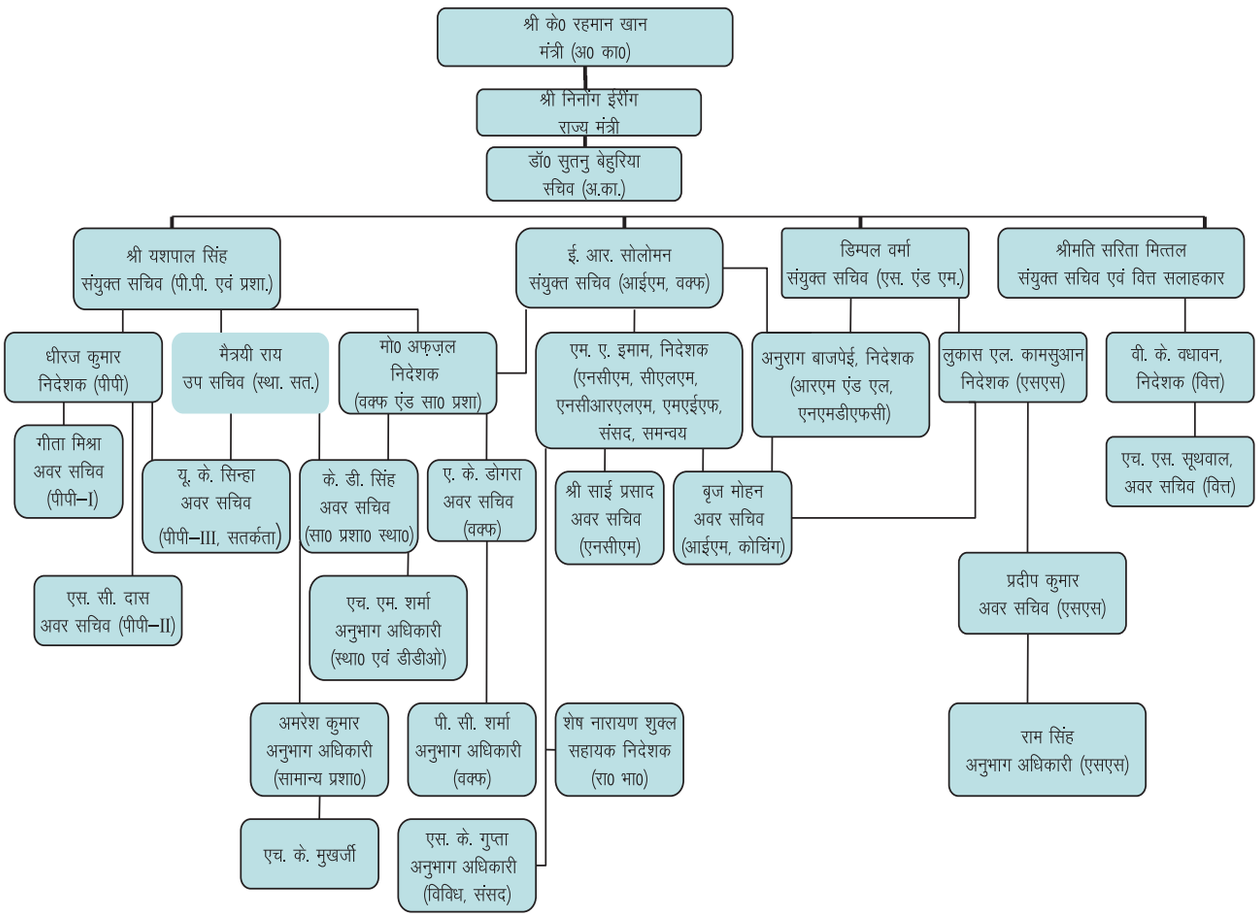

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 89

क्र.सं.	पद/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव/₹80,000/– निर्धारित/ ग्रुप 'ए'	01	01	शून्य
2.	संयुक्त सचिव/ग्रे.वे. ₹10,000/– ग्रुप 'ए'	03	03	शून्य
3.	निदेशक/उप सचिव/ग्रे.वे. ₹8,700/–/7,600/ ग्रुप 'ए'	07	07	00
4.	अवर सचिव/ग्रे.वे. ₹6,600/–/ग्रुप 'ए'	10	9	01
5.	सहायक निदेशक/ग्रे.वे. ₹5,400/–/ ग्रुप 'ए'	03	शून्य	03
6.	अनुसंधान अधिकारी/ग्रे.वे. ₹5,400/–/ ग्रुप 'ए'	01	शून्य	01
7.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे.	01	शून्य	01
8.	सहायक निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. ₹5,400/–/ ग्रुप 'बी'	01	01	शून्य
9.	अनुभाग अधिकारी/ग्रे.वे. ₹4,800/–5400/–/ ग्रुप 'बी'	08	06	02
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ग्रे.वे. ₹7,600/– ग्रेड 'ए'	01	01	शून्य
11.	प्रधान निजी सचिव	03	02	01
12.	सहायक/ग्रे.वे. ₹4,600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	10	09	01
13.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक/ग्रे.वे. ₹4,600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	01	03
14	वरिष्ठ अन्वेषक/ग्रे.वे. ₹4,200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	01	03
15.	लेखाकार/ग्रे.वे. ₹4,200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	शून्य
16.	निजी सचिव/ग्रे.वे. ₹4,800/–/ ग्रुप 'बी'	04	04	शून्य
17.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' /ग्रे.वे. ₹4,600/–/ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	07	07	शून्य
18.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. ₹4,600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	शून्य
19.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. ₹4,200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	03	02	01
20.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'/ग्रे.वे. ₹2,400/–/ ग्रुप 'सी'	05	शून्य	05
21.	उच्च श्रेणी लिपिक/ग्रे.वे. ₹2,400/–/ ग्रेड 'सी'	01	शून्य	01
22.	स्टाफ कार चालक/ग्रे.वे. ₹1,900/–/ग्रेड 'सी'	02	02	शून्य
23	चपरासी ग्रेड/ग्रे.वे. ₹1,800/–/ ग्रुप 'डी'	14	08	06
24	सहायक निदेशक (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹5,400/– ग्रुप 'बी'	01	शून्य	01
25.	अनुवादक (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹4,200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	शून्य	01
26.	टाइपिस्ट (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹1,900/–/ ग्रुप 'सी'	01	शून्य	01
योग :		**98**	**66**	**32**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 90

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) परिव्यय, वर्ष 2012–13 के दौरान बजट, अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय (31.12.2012 तक) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	बारहवीं योजना परिव्यय	बजट अनुमान 2012–13	संशोधित अनुमान 2012–13	वास्तविक व्यय 2012–13 (31.12.2012 तक)
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	1500.00	100.00	0.01	0.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	120.00	20.00	14.42	7.82
3.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	600.00	100.00	99.64	99.64
4.	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	220.00	40.00	33.30	23.60
5.	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	10.00	2.00	0.66	0.00
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	75.00	15.00	12.80	10.45
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	430.00	70.00	66.00	66.00
8.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	17.00	5.00	1.65	0.70
9.	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में आर्थिक सहायता	10.00	2.00	0.02	0.00
10.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	10.00	2.00	0.01	0.00
11.	कौशल विकास संबंधी पहलें	60.00	20.00	0.05	0.00
12.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	18.00	4.00	0.02	0.00
13.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	35.00	5.00	0.10	0.00
	उप–योग (केन्द्रीय योजनाएं)	**2105.00**	**385.00**	**228.68**	**208.21**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 91

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	बारहवीं योजना परिव्यय	बजट अनुमान 2012–13	संशोधित अनुमान 2012–13	वास्तविक व्यय 2012–13 (31.12.2012 तक)
ख.	**केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**				
1.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	1580.00	220.00	184.07	111.35
2.	चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5788.00 (क्रम सं0 5 से 9 सहित)	999.00	649.56	504.94
3.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	5000.00	900.00	795.78	592.53
4.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2850.00	500.00	340.75	175.76
5.	251 नगरों/शहरों में से अभिज्ञात पिछड़े 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन योजना	उपर्युक्त क्रम सं0 2 में शामिल	50.00	0.04	0.00
6.	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों द्वारा कवर न किये गये गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम	– तदैव –	50.00	0.04	0.00
7.	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता	– तदैव –	25.00	0.04	0.00
8.	9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिलें	– तदैव –	5.00	0.04	0.00
9.	सचिवालय (सूचना प्रौद्योगिकी)	– तदैव –	1.00	1.00	0.44
	उप–योग (सीएसएस)	**15218.00**	**2750.00**	**1971.32**	**1385.02**
	सकल योग (क+ख)	**17323.00**	**3135.00**	**2200.00**	**1593.23**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 92

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची (श्रेणी 'क' और 'ख')

श्रेणी 'क'			
सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधाओं दोनों मानदंडों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे के जिलों की सूची			
क्र.सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	1	अरूणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
2.	2	अरूणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
3.	3	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
4.	4	अरूणाचल प्रदेश	तिरप
5.	5	असम	कोकराझार
6.	6	असम	डुबरी
7.	7	असम	गोलपारा
8.	8	असम	बोगांईगांव
9.	9	असम	बारपेटा
10.	10	असम	दारंग
11.	11	असम	मारीगांव
12.	12	असम	नागांव
13.	13	असम	कछार
14.	14	असम	करीमगंज
15.	15	असम	हैलाकांडी
16.	16	असम	कामरूप
17.	17	बिहार	अररिया
18.	18	बिहार	किशनगंज
19.	19	बिहार	पुर्णिया
20.	20	बिहार	कटिहार
21.	21	बिहार	सीतामढ़ी
22.	22	बिहार	पश्चिम चम्पारन
23.	23	बिहार	दरभंगा
24.	24	झारखंड	साहिबगंज
25.	25	झारखंड	पाकुर
26.	26	महाराष्ट्र	परभनी
27.	27	मणिपुर	थौबल
28.	28	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
29.	29	ओडिशा	गजपती
30.	30	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
31.	31	उत्तर प्रदेश	बदायूं
32.	32	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
33.	33	उत्तर प्रदेश	खीरी
34.	34	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
35.	35	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
36.	36	उत्तर प्रदेश	रामपुर
37.	37	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 93

क्र.सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
38.	38	उत्तर प्रदेश	बरेली
39.	39	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
40.	40	उत्तर प्रदेश	बहराईच
41.	41	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
42.	42	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
43.	43	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
44.	44	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
45.	45	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
46.	46	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
47.	47	पश्चिम बंगाल	मालदा
48.	48	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
49.	49	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
50.	50	पश्चिम बंगाल	नादिया
51.	51	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24–परगना
52.	52	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
53.	53	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 94

श्रेणी 'ख'			
उप–श्रेणी 'ख 1'			
सामाजिक–आर्थिक मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे के जिलों की सूची			
क्र.सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
54.	1	अरूणाचल प्रदेश	तवांग
55.	2	अरूणाचल प्रदेश	वेस्ट कामेंग
56.	3	अरूणाचल प्रदेश	पापम पारे
57.	4	दिल्ली	नॉर्थ ईस्ट
58.	5	हरियाणा	मेवात
59.	6	हरियाणा	सिरसा
60.	7	कर्नाटक	गुलबर्ग
61.	8	कर्नाटक	बीदर
62.	9	मध्य प्रदेश	भोपाल
63.	10	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
64.	11	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
65.	12	उत्तर प्रदेश	मेरठ
66.	13	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
67.	14	उत्तर प्रदेश	बागपत
68.	15	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
69.	16	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर
70.	17	उत्तरांचल	हरिद्वार
71.	18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
72.	19	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
73.	20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 95

उप–श्रेणी 'ख 2'			
आधारभूत सुविधा मानदंड की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से नीचे के जिलों की सूची			
क्र.सं.	उप–समूह क्र.सं.	राज्य	जिला
74.	1	अण्डमान	निकोबार
75.	2	असम	नॉर्थ कछार हिल्स
76.	3	जम्मू व कश्मीर	लेह (लद्दाख)
77.	4	झारखंड	रांची
78.	5	झारखंड	गुमला
79.	6	केरल	वायनाड
80.	7	महाराष्ट्र	बुलदाना
81.	8	महाराष्ट्र	वाशिम
82.	9	महाराष्ट्र	हिंगोली
83.	10	मणिपुर	सेनापति
84.	11	मणिपुर	तमेंगलांग
85.	12	मणिपुर	चूड़चांदपुर
86.	13	मणिपुर	उखरूल
87.	14	मणिपुर	चंदेल
88.	15	मिजोरम	लांगटलाई
89.	16	मिजोरम	ममित
90.	17	सिक्किम	नॉर्थ

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 96

अनुलग्नक–V

अल्पसंख्क समुदाय से संबंधित छात्रों को वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां																		
क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	वित्ती आबंटन (करोड़ ₹ में)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि					
1	आंध्र प्रदेश	147400	230209	24800	17053	600	270	600	222	18	30	173418	247784	119018	128766	51.97	38.45	32.74
2	अरूणाचल प्रदेश	400		4200		55		3000		18		7673	0			#DIV/0!	2.08	
3	असम	174000	174000	20800	6881	400	89	1000	297	18	0	196218	181267	76129	105138	58.00	53.32	37.64
4	बिहार★	289600	36484	1200	15	400	0	400	0	18	0	291618	36499	17575	18924	51.85	64.66	
5	छत्तीसगढ़	8600	13782	8400	1974	1400	2184	1400	295	18	0	19818	18235	8720	9515	52.18	4.39	4.33
6	गोवा	2000		7601		55		36		120		9812	0			#DIV/0!	2.18	
7	गुजरात	97000		6000		1000		400		120		104520	0			#DIV/0!	23.18	
8	हरिणा	25800	26625	600	53	24800	16681	200	3	18	0	51418	43362	25712	17650	40.70	11.40	2.65
9	हिमाचल प्रदेश	2600		200		1600		1600		18		6018	0			#DIV/0!	1.33	0.52
10	जम्मू और कश्मीर	143400		400		4400		2400		18		150618	0			#DIV/0!	33.40	
11	झारखंड	78800	17519	23000	2455	1800	124	200	2	18	0	103818	20100	9106	10994	54.70	23.02	8.76
12	कर्नाटक	136400	330442	21200	45961	400	362	8400	1405	18	35	166418	378205	171383	206822	54.69	36.90	39.02
13	केरल	166000	530053	127691	339695	55	55	36	36	18	18	293800	869857	399311	470546	54.09	65.14	65.89
14	मध्य प्रदेश	81200		3600		3200		4400		18		92418	0			#DIV/0!	20.49	10.20
15	महाराष्ट्र	216800	482659	22400	22892	4600	6608	123000	215790	476	592	367276	728541	342606	385935	52.97	81.44	54.14
16	मणिपुर	4000	4845	15599	9540	55	0	36	0	18	0	19708	14385	7538	6847	47.60	5.36	4.95
17	मेघालय	2000	242	34399	19407	55	2	36	0	18	0	36508	19651	8600	11051	56.24	9.92	2.71
18	मिजोरम	200	129	16400	23263	55	0	1600	2091	18	0	18273	25483	12578	12905	50.64	4.96	6.18
19	नागालैंड	800	314	37799	18365	55	0	36	0	18	0	38708	18679	8965	9714	52.00	10.52	4.00
20	ओडिशा	16200	23235	19000	11341	400	48	200	49	18	0	35818	34673	16440	18233	52.59	7.94	3.97
21	पंजाब	8000		6200		307240		800		18		322258	0			#DIV/0!	71.45	
22	राजस्थान	101000	174141	1600	285	17400	25428	200	31	18	0	120218	199885	109598	90287	45.17	26.66	22.56
23	सिक्किम	200	0	800	1095	55	0	3201	2898	18		4274	3993	1960	2033	50.91	1.16	0.70
24	तमिलनाडु	73200	157076	79800	163668	200	0	200	0	18	0	153418	320744	147126	173618	54.13	34.02	33.81
25	त्रिपुरा	5400		2200		55		2000		18		9673	0			#DIV/0!	2.63	
26	उत्तर प्रदेश	649000	876715	4400	209	14400	3777	6400	2049	18	4	674218	882754	491084	391670	44.37	149.50	142.29
27	उत्तराखंड	21400		600		4400		200		18		26618	0			#DIV/0!	5.90	2.95
28	पश्चिम बंगाल	427200	1130986	10800	20180	1400	2595	5200	11625	18	0	444618	1165386	535508	629878	54.05	98.58	111.87
29	अंडमान एवं निकोबार	600		1600		55		36		18		2309	0			#DIV/0!	0.79	
30	चंडीगढ़	800		200		3000		36		18		4054	0			#DIV/0!	1.38	
31	दादर एवं नगर हेवली	200		200		55		36		18		509	0			#DIV/0!	0.17	
32	दमन एवं ीव	200	485	55	15	55	0	36	0	120	0	466	500	233	267	53.40	0.16	0.15
33	दिल्ली	34200		2800		11800		600		18		49418	0			#DIV/0!	6ण64	
34	लक्षद्वीप	1200		55		55		36		18		1364	0			#DIV/0!	0.46	
35	पुडुचेरी	1200		1400		55		36		18		2709	0			#DIV/0!	0.36	
योग		2917000	4209941	507999	704347	405610	58223	167997	236793	1394	679	4000000	5209983	2509190	2700793	51.84	900.00	592.03

★ पिछले वर्षों के अप्रयुक्त धन का समाजन

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 97

अनुलग्नक–VI

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		छात्रवृत्तियों की संख्या			स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	पुरूष	महिला	महिला का %	
1	आंध्र प्रदेश	35008	8005	5890	230	143	9	143	1	4	0	41188	8245	2631	5614	68.09	10.20
2	बिहार	68780	23961	285	8	95	9	95	52	4	1	69259	24031	12821	11210	46.65	7.90
3	छत्तीसगढ़	2043		1995		333		333		4		4708	0				1.21
4	गोवा	475		1805		13		9		29		2331	0				0.61
5	गुजरात	23038	17586	1425	475	238	23	95	6	29	0	24825	18090	9344	8746	48.35	9.70
6	हरिाणा	6128	9	143	0	5890	15	48	0	4	0	12213	24	12	12	50.00	
7	हिमाचल प्रदेश	618		48		380		380		4		1430	0				0.31
8	जम्मू एवं कश्मीर	34055		95		1045		570		4		35769	0				
9	झारखंड	18715		5463		428		48		4		24658	0				4.19
10	कर्नाटक	32395	24882	5035	4518	95	4	1995	41	4	2	39524	29447	8697	20750	70.47	15.87
11	केरल	39425	37050	30327	31587	13	2	9	20	4	4	69778	68663	24206	44457	64.75	17.55
12	मध्य प्रदेश	19285	11622	855	203	760	357	1045	159	4	2	21949	12343	4275	8068	65.36	6.95
13	महाराष्ट्र	51490		5320		1093		29213		113		87229	0				9.99
14	ओडिशा	3848	267	4513	5	95	0	48	6	4	0	8508	278	138	140	50.36	0.50
15	पंजाब	1900		1473		72969		190		4		76536	0				
16	राजस्थान	23988	17990	380	144	4133	2631	48	12	4	0	28553	20777	9264	11513	55.41	13.61
17	तमिलनाडु	17385	14695	18953	18493	48	1	48	16	4	2	36438	33207	9512	23695	71.36	7.53
18	उत्तर प्रदेश	154135		1045		3420		1517		4		160121	0				22.23
19	उत्तराखंड	5083		143		1045		48		4		6323	0				1.64
20	पश्चिम बंगाल	101460	67687	2565	1464	333	185	1235	873	4	2	105597	70211	32181	38030	54.17	30.58
21	दिल्ली	8123	327	665	0	2803	11	143	0	4	0	11738	338	117	221	65.38	0.17
22	पुदूचेरी	285		332		13		9		4		643	0				
23	अंडमान एवं निकोबार	142		380		13		9		4		548	0				
24	चंडीगढ़	190		48		713		9		4		964	0				
25	दादरा एवं नगर हवेली	47		47		13		9		4		120	0				
26	दमन एवं दीव	47	48	13	4	13	0	9	0	28	0	110	52	29	23	44.23	0.05
27	लक्षद्वीप	283		13		13		9		4		322	0				
28	अरूणाचल प्रदेश	95		993		13		713		4		1818	0				
29	असम	41325	12364	4940	167	95	18	238	16	4	2	46602	12567	7483	5084	40.46	8.52
30	मणिपुर	950		3705		13		9		4		4681	0				1.49
31	मेघाल	475		8170		13		9		4		8671	0				0.19
32	मिजोरम	48	23	3895	4092	13	0	380	214	4	0	4340	4329	2143	2186	50.50	4.32
33	नागालैंड	190		8977		13		9		4		9193	0				
34	सिक्किम	48	0	190	186	13	0	760	378	4	0	1015	564	226	338	59.93	0.39
35	त्रिपुरा	1283		523		13		475		4		2298	0				
	योग	**692785**	**236516**	**120649**	**61576**	**96336**	**3265**	**39907**	**1794**	**323**	**15**	**950000**	**303166**	**123079**	**180087**	**59.40**	**175.69**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 98

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2012–13 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और समुदाय–वार लक्ष्य (केवल 60,000 नई छात्रवृत्तियों के लिए) और उपलब्धि (नए और नवीकरण दोनों)

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि★	लक्ष्य	उपलब्धि★	लक्ष्य	उपलब्धि★	लक्ष्य	उपलब्धि★	लक्ष्य	उपलब्धि★	लक्ष्य	उपलब्धि★				
1	आंध्र प्रदेश	2211	1212	372	48	9	5	9	0	0	0	2601	1265	814	451	35ण65	3.45
2	आंध्र प्रदेश	6	0	63	0	0	0	45	0	0	0	114	0			0.00	
3	असम	2610	1523	312	44	6	6	15	9	0	0	2943	1582	1233	349	22.06	4.42
4	बिहार	4344	4344	18	2	6	6	6	1	0	0	4374	4353	3962	391	8.98	11.98
5	छत्तीसगढ़	129	0	126	0	21	0	21	0	0	0	297	0			0.00	0.00
6	गोवा	30	0	114	0	0	0	0	0	3	0	147	0			0.00	0.00
7	गुजरात	1455	1658	90	81	15	12	6	1	3	1	1569	1753	1232	521	29.72	4.16
8	हरिणा	387	387	9	6	372	236	3	0	0	0	771	629	536	93	14.79	1.68
9	हिमाचल प्रदेश	39	34	3	2	24	27	24	7	0	0	90	70	43	27	38.57	0.20
10	जम्मू एवं कश्मीर	2151	1965	6	0	66	66	36	5	0	0	2259	2036	1428	608	29.86	5.22
11	झारखंड	1182	854	345	28	27	14	3	1	0	0	1557	897	758	139	15.50	2.28
12	कर्नाटक	2046	2046	318	318	6	4	126	26	0	0	2496	2394	1177	1217	50.84	6.33
13	केरल	2490	559	1917	469	0	0	0	0	0	0	4407	1028	342	686	66.73	2.65
14	मध्य प्रदेश	1218	1362	54	59	48	57	66	2	0	0	1386	1480	930	550	37.16	3.95
15	महाराष्ट्र	3252	3252	336	335	69	69	1851	111	12	5	5520	3772	2541	1231	32.64	9.82
16	मणिपुर	60	60	234	143	0	0	0	0	0	0	294	203	112	91	44.83	0.52
17	मेघालय	30	17	516	233	0	0	0	0	0	0	546	250	118	132	52.80	0.75
18	मिजोरम	3	2	246	36	0	0	24	6	0	0	273	44	25	19	43.18	0.11
19	नागालैंड	12	4	567	464	0	0	0	0	0	0	579	468	290	178	38.03	1.39
20	ओडिशा	243	264	285	55	6	3	3	3	0	0	537	325	241	86	26.46	0.94
21	पंजाब	120	0	93	0	4620	0	12	0	0	0	4845	0			0.00	0.00
22	राजस्थान	1515	1609	24	25	261	266	3	3	0	0	1803	1903	1475	428	22.49	4.87
23	सिक्किम	3		12	12	0	0	48	39	0	0	63	51	21	30	58.82	0.14
24	तमिलनाडु	1098	1098	1197	1197	3	0	3	1	0	0	2301	2296	854	1442	62.80	5.52
25	त्रिपुरा	81	0	33	0	0	0	30	0	0	0	144	0			0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	9735	10541	66	44	216	232	96	35	0	0	10113	10852	8493	2359	21.75	26.90
27	उत्तराखंड	321	164	9	2	66	37	3	0	0	0	399	203	154	49	24.14	0.61
28	पश्चिम बंगाल	6408	4536	162	52	21	21	78	71	0	0	6669	4618	3998	682	14.57	12.40
29	अंडमान एवं निकोबार	9	0	24	0	0	0	0	0	0	0	33	0			0.00	0.00
30	चंडीगढ़	12	4	3	0	45	7	0	0	0	0	60	11	1	10	90.91	0.08
31	दादरा एवं नगर हवेली	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0			0.00	0.00
32	दमन एवं दीव	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	1	1	50.00	0.01
33	दिल्ली	513	286	42	5	177	119	9	0	0	0	741	410	299	111	27.07	0.98
34	लक्षद्वीप	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0			0.00	0.00
35	पुदुचेरी	18	0	21	0	0	0	0	0	0	0	39	0			0.00	0.00
	ज्वजंस	**43755**	**37783**	**7620**	**3660**	**6084**	**1187**	**2520**	**321**	**21**	**0**	**60000**	**42957**	**31076**	**11881**	**27.66**	**111.34**

★ इसमें नवीकरण भी शामिल है।

लक्ष्य : केवल नई छात्रवृत्तियों के लिए

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 99

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास योजना

वर्ष 2012–13 (31.12.2012 तक) के दौरान गैर–सरकारी संगठनों/संस्थानों को राज्य–वार सहायता–अनुदान की निर्मुक्ति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	संगठन के नाम	प्रशिक्षण का स्थान (जिलों के नाम)	निर्मुक्त राशि (रु0 में)	लाभार्थियों की सं0
1	उत्तर प्रदेश	(i) ग्रोपियस सोसल वेलफेयर सोसाइटी,	बिजनौर	1967175	825
		(ii) सोसाइटी फॉर कम्प्यूटर एजुकेशन	बाराबंकी	5701920	1800
		(iii) मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी,	जलाउं	400680	200
		(iv) अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी	आगरा	851445	425
		(v) थारू जनजाति महिला विकास समिति	गोंडा, श्रावस्ती	1001700	500
		(vi) नेहरू युवा केंद्र	बाराबंकी	3756375	1875
		(vii) निर्मल इंडिया सेवा समिति	लखीमपुर खीरी	2504250	1250
		(viii) श्री भोलानाथ सेवा संस्थान	संत कबीर नगर	300510	150
		(ix) अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान	गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, सिद्वार्थनगर	1001700	500
		(x) गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद	गोरखपुर	710430	250
		(xi) मानव विकास एवं सेवा संस्थान	लखनऊ	4053000	1500
		(xii) बहिन	फतेहपुर	250425	125
		(xiii) पायोनीर फाउंडेशन	लखनऊ	3005100	1500
		(xiv) आंचल वूमेन वेलफेयर सोसाइटी	लखनऊ	1502550	750
		(xv) पूर्वाचंल सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी	महराजगंज	400680	200
		(xvi) यूनिटी टेक्नीकल इंस्टिट्यूट सोसाइटी	लखनऊ	250425	125
		(xvii) गोपाल शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	फतेहपुर	915390	300
		(xviii) प्रगति पथगामिनी	लखीमपुर खीरी	1552635	775
		(xix) सर्व सुखी उज्जवल ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	सिद्धार्थ नगर	1001700	500
		(xx) प्रेमलता मंजु तिवारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय समिति	मऊ	400680	200
		(xxi) सद्भावना समिति	लखनऊ	1001700	500
		(xxii) डेवलपमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल	गाजियाबाद, बुलंदशहर, जे. पी. नगर, फेक, दरंग	1930950	650
		(xxiii) साई सेवा संस्थान	सिद्धार्थ नगर, महराजगंज	2049600	500
		(xxiv) महिला एवं बाल विकास संस्थान	महराजगंज	765135	225
		(xxv) इंस्टिट्यूट फॉर सोशलिस्ट एजुकेशन	लखनऊ	500850	250
		(xxvi) शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान	गोरखपुर	1020180	300
		(xxvii) इंस्टिट्यूट ऑफ एंटरप्रोनयोरशिप डेवलपमेंट	रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, जेपी नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, बहराइच, बरेली, मेरठ, सिद्धार्थ नगर, पिलिभित, बागपत, गाजियाबाद, लखिमपुर, बाराबंकी, लखनऊ, बदायूं, बुलंदशहर, शाहजहांपुर	8198400	2000
		(xxviii) त्रिपाठी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	मेरठ	11275950	3850
		(xxix) बाल भारती एकेडमी	मेरठ	12605880	4200
			आनंद (गुजरात)		

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 100

2	**उत्तराखंड**	(i) इदारा शबाब–ए–इस्लामी	देहरादून	460005	125
		(ii) हिमालयन इंस्ट्यूट फोर रूरल अवेकनिंग	हरिद्वार	4099200	1000
		(iii) मानव सेवा समाज	देहरादून	150255	75
		(iv) बालाजी सेवा संस्थान	देहरादून	305130	100
		(v) ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति	टिहरी गढ़वाल	460005	125
3	**राजस्थान**	(i) सृजन संस्थान	भरतपुर	2800875	875
			धौलपुर		
			अलवर		
			दौसा		
		(ii) जयपुर सेवा फाउंडेशन	टोंक	929250	150
		(iii) विल एंड वे डेवलपमेंट इंस्ट्यूट	जयपुर	250425	125
		(iv) सेल्फ डेवलपमेंट इंस्ट्यूट,	नागौर	1024800	250
		(v) चाणकय युवा संघ,	जयपुर	250425	125
		(vi) आर.के. संस्थान	सवाई माधोपुर	250425	125
		(vii) नवजीवन सोसाइटी	भरतपुर	250425	125
4	**कर्नाटक**	(i) कनसोर्टियम ऑफ माइनोरिटी एसोशिएशन,	बेलगाम	1275225	375
		(ii) ममथा मक्कला मंदिर	रामनगर	450765	225
		(iii) परिवर्तना रूरल डेवलमेंट सोसाइटी	शिमोगा	464625	75
5	**ओडिशा**	(i) अरून इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल अफेयर	सम्बलपुर	400680	200
		(ii) सम्पर्क	पुरी	250425	125
		(iii) निलाचल सेवा प्रतिष्ठान	पुरी	869925	225
		(iv) निखिल उत्कल हरिजन आदिवासी सेवा संघ	भद्रक	250425	125
6	**गुजरात**	(i) नवजीवन ट्रस्ट	राजकोट	500850	250
		(ii) मातुश्री चंद्रमत प्रतिष्ठान	अहमदाबाद	250425	125
		(iii) रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, एआईटीसी	आनंद	300510	150
		(iv) ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट	कच्छ	400680	200
		(v) कैरा सोसल सर्विसिज सोसाइटी	आनंद	1010940	400
			खेरा		
7	**मध्य प्रदेश**	(i) ह्युमन वेलफेयर आर्गनाइजेशन	भोपाल	1994895	525
		(ii) इंडो–यूरोपियन चेम्बर ऑफ कोमर्स एंड इंडस्ट्री	भोपाल	1302210	650
		(iii) आश्रम शांति निकेतन शिक्षा समिति	ग्वालियर	601020	300
		(iv) सुमन शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	ग्वालियर, दातिया, भिंड	601020	300
		(v) श्री कृष्णा ग्रामोथान समिति	मेरेना, सेहोर, शिवपुरी	1452465	725
8	**केरल**	(i) जनश्री ससटेनेबल डेवलपमेंट मिशन	कोट्टयम, इडुक्की, त्रिसूर, एरणाकुलम, कोजीकोड, पालक्काड़, मलापुरम, वयनाड, अलप्पुजा, कोल्लम, तिरूवंतपुरम, पथनमतिट्टा, कन्नूर, कासरगोड	2168250	350
9	**महाराष्ट्र**	(i) जनकल्याण विकास मंडल	नांदेड	710430	250
		(ii) महमुदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास	नागपुर सिटी, तिमकी, अंसर नगर, दोबी नगर, भलदारपुरा, ताकिया दिवानशाह, जामा मस्जिद, हैदरी रोड, नया बाजार कामटी और बोरियापुरा	715050	200
10	**मणिपुर**	(i) कुकी क्रिस्चियन चर्च	सेनापति, सदर हिल्स, चंडेल, चुराचांदपुर, उखरूल, तमेंगलोंग, इम्फाल पूर्व	5538540	1300
11	**छत्तीसगढ़**	(i) समर्पित– सेंटर फोर पोपर्टी एलुवेशन एंड सोसल रिसर्च	बिलासपुर	450765	225
12	**तमिलनाडु**	(i) सेंटर फोर अल्टरनेट रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, (केयर)	नामक्कल	450765	225
		योग		**104519520**	**36950**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 101

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन

वर्ष 2012–13 के दौरान (31.12.2012 तक) विभिन्न एजेंसियों/संगठनों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

क्रम सं0	अवयव	एजेंसी/संगठन के नाम	उद्देश्य	स्थान	निर्मुक्त धनराशि में (31.12.2012 तक)
	अनुसंधान	राजीव गांधी इंस्टीटयूट ऑफ वेस्टलैंड्स एंड रूरल डेवलपमेंट, सुल्तानपुर	1 (एक) राष्ट्रीय कार्यशाला	अमेठी, सुल्तानपुर (उ0 प्र0)	567360
		रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, देहरादून	3 (तीन) राष्ट्रीय कार्यशालाएं	देहरादून, अलीगढ़ एंड हैदराबाद	1220400
	उप–योग	–	–	–	**1787760**
2	**मीडिया**	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रिंट विज्ञापन; डिजिटल सिनेमा के माध्यम से मल्टी मीडिया अभियान, निजी एफएम चैनेल, प्रदर्शनी वैन, एलसीडी, होर्डिंग/फ्लेक्स आदि और वेबसाइट	पूरे भारत में	138660015
		ऑल इंडिया रेडियो(भारतीय प्रसारण निगम)	योजनाओं/कार्यक्रमों पर जिंगल्स और ऑडियो स्पॉट प्रसारण	पूरे भारत में	56000000
		दूरदर्शन (भारतीय प्रसारण निगम)	योजनाओं/कार्यक्रमों पर टीवी कमिर्शियल/वीडियो स्पॉट्स	पूरे भारत में	37200000
		दूरदर्शन (भारतीय प्रसारण निगम)	मदर टेरेसा पर वृत्त चित्र का प्रसारण	पूरे भारत में	280900
		राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	5 (पांच) वृत्त चित्रों को पूरा करना	–	1991641
		निर्माण एडवर्टाइजिंग प्रा0 लि0, नई दिल्ली	विज्ञापनों की दो रचनाएं	–	64674
	उप–योग	–	–	–	**234197230**
	सकल योग	–	–	–	**235984990**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 102

अनुलग्नक–X

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1.	पंजाब वक्फ बोर्ड
2.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
4.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड
5.	तमिलनाडू वक्फ बोर्ड
6.	पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड
7.	असम वक्फ बोर्ड
8.	ओडिशा वक्फ बोर्ड
9.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड
10.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड
11.	यू0 पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड
12.	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड
13.	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड
14.	पुडूचेरी राज्य वक्फ बोर्ड
15.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड
16.	हरियाणा वक्फ बोर्ड
17.	मणिपुर वक्फ बोर्ड
18.	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
19.	दिल्ली वक्फ बोर्ड
20.	लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड
21.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वक्फ बोर्ड
22.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड
23	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड
24.	झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड
25.	मेघालय वक्फ बोर्ड
26.	यू0 पी0 शिया वक्फ बोर्ड
27.	आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड
28.	दादर एवं नगर हवेली वक्फ बोर्ड
29.	चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड
30.	गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 103

अनुलग्नक–XI

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

दिसम्बर, 2012 तक स्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्यवार सारांश (आरंभ से)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	अंडमान	3	35.00
2	आंध्र प्रदेश	71	1142.55
3	अरूणाचल प्रदेश	1	30.00
4	असम	20	304.00
5	बिहार	38	609.71
6	छत्तीसगढ़	1	25.00
7	दिल्ली	12	93.55
8	गोवा	3	53.00
9	गुजरात	71	1004.12
10	हरियाणा	32	400.10
11	हिमाचल प्रदेश	1	1.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	15	226.42
13	झारखंड	10	158.00
14	कर्नाटक	96	1381.06
15	केरल	69	1234.00
16	मध्य प्रदेश	44	489.78
17	महाराष्ट्र	170	2229.58
18	मणिपुर	18	258.00
19	मेघालय	2	30.00
20	नागालैंड	4	68.50
21	ओडिशा	8	47.62
22	पंजाब	6	61.67
23	राजस्थान	19	302.50
24	तमिलनाडु	31	465.78
25	उत्तरांचल	11	141.00
26	उत्तर प्रदेश	475	5360.91
27	पश्चिम बंगाल	30	416.40
	योग	**1261**	**16569.25**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 104

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्य–वार सारांश
(अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक)

क्रम सं.	राज्य का नाम	सहायता–अनुदान (लाख में)	गैर सरकारी संगठनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	86.00	5
2	गुजरात	50.00	5
3	झारखंड	25.00	2
4	कर्नाटक	52.90	6
5	केरल	132.00	9
6	मध्य प्रदेश	40.00	2
7	महाराष्ट्र	157.75	16
8	मेघालय	15.00	1
9	नागालैंड	40.00	2
10	राजस्थान	30.00	1
11	तमिलनाडु	27.00	2
12	उत्तर प्रदेश	384.00	31
13	पश्चिम बंगाल	15.00	1
14	उत्तराखंड	31.00	3
15	बिहार	75.00	3
16	हरियाणा	35.00	2
17	मणिपुर	40.00	2
18	ओडिशा	10.00	1
	योग	**1,245.65**	**94**

hindi Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:31 AM Page 105

अनुलग्नक–XIII

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

दिनांक 31.12.2011 तक स्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्यवार सारांश

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत राशि (लाख में)	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
1	अंडमान	35.00	3
2	आंध्र प्रदेश	1033.55	64
3	असम	266.00	18
4	बिहार	534.71	35
5	छत्तीसगढ़	25.00	1
6	दिल्ली	93.55	12
7	गोवा	53.00	3
8	गुजरात	948.12	65
9	हरियाणा	334.10	28
10	हिमाचल प्रदेश	1	1
11	जम्मू और कश्मीर	226.42	15
12	झारखंड	93.00	6
13	कर्नाटक	1317.16	88
14	केरल	1047.00	57
15	मध्य प्रदेश	434.78	41
16	महाराष्ट्र	1961.83	150
17	मणिपुर	188.00	15
18	मेघालय	15.00	1
19	नागालैंड	28.50	2
20	ओडिशा	37.62	7
21	पंजाब	61.67	6
22	राजस्थान	272.50	18
23	तमिलनाडू	438.78	29
24	उत्तरांचल	110.00	8
25	उत्तर प्रदेश	4873.91	435
26	पश्चिम बंगाल	401.40	29
	योग	**14831.60**	**1137**

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page i

Annual Report
2012-13

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site: www.minorityaffairs.gov.in

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page iii

Contents

Chapter No.	Chapter Titles	Page No.
	Executive Summary	1
1	Introduction	3-5
2	Prime Minister's New 15-Point Programme for the welfare of Minorities	7-10
3	Sachar Committee Report and follow-up action	11-16
4	Identification of Minority Concentration Districts(MCDs)	17-18
5	Schemes of Multi-Sectoral Development Programme(MSDP)	19-22
6	Pre-Matric Scholarship Scheme	23
7	Post-Matric Scholarship Scheme	25
8	Merit-cum-means based Scholarship Scheme	27
9	Maulana Azad National Fellowship	29
10	Free Coaching and Allied Scheme	31-32
11	Scheme for Leadership Development of Minority Women	33-34
12	Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity	35-36
13	Implementation of Minorities Welfare programmes/schemes in North-Eastern States and Sikkim	37-38
14	Grant in-aid Scheme to State Channelising Agencies of National Minorities Development and Finance Corporation	39
15	Commissioner for Linguistic Minorities	41-42
16	National Commission for Minorities	43-44
17	Waqf Administration and Central Waqf Council	45-48
18	The Durgah Khwaja Saheb Ajmer	49
19	National Minorities Development and Finance Corporation	51-52
20	Maulana Azad Education Foundation	53-55
21	Gender Specific Issues and Gender Budgeting	57
22	Right to Information Act, 2005	59
23	Policy decisions and activities undertaken during the year for the benefit of the persons with disabilities	61
24	Government Audit	63
25	Results-Framework Document, Citizen's Client's' Charters and Grievance Redressal mechanism	65
	Annex I to XIII	67-105

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 1

Executive Summery

Achievements of the Ministry of Minority Affairs

Ministry of Minority Affairs has started implementation of the scheme for "Leadership Development of Minority Women" from 2012-13. Till 31.12.2012, Rs. 10.45 Crore have been released to 64 organizations in 12 States for imparting leadership training to 36950 minority women under the Scheme for Leadership Development of Minority Women.

- Sanctions of four National Level Workshops on the themes relevant to minorities namely, Minorities' Women Empowerment; Multi-culturalism and Law; Understanding Minority Rights, Constitution and Law; and Secularism, Minority Rights and Constitution, at Amethi/ Sultanpur, Aligarh, Dehradun and Hyderabad respectively.

- 37 (Thirty seven) expert agencies have been empanelled for a period of two years for conducting Research studies, Monitoring, Evaluation and Impact assessment of programmes/schemes of the Ministry.

- Memorandum of Understanding between Ministry of Minority Affairs and the National Minorities Development And Finance Corporation (NMDFC) during the year 2012-13 was laid in the Lok Sabha on 30.8.2012 and in the Rajya Sabha on 3.9.2012.

- During 2012-13 (upto 31.12.2012) Rs. 185.25 crore released to 50737 beneficiaries under term loan and micro finance by NMDFC.

- Up to 31.12.2012, 52.10 lakh number of pre-metric scholarship awarded and Rs 592.03 crore released. Of the scholarships released, 51.84% was for girl students.

- Up to 31.12.2012, 4.38 lakh number of post metric scholarships awarded and Rs. 248.12 crore released. Of the scholarships released, 55.65% were for girl students.

- Up to 31.12.2012, 42,957 merit cum means scholarship awarded and Rs. 111.34 crore released.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 3

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was created on 29th January, 2006 for the welfare of the five centrally notified minorities i.e. Muslim, Christian, Budhist, Sikhs and Parsis and to ensure a more focused approach towards issues relating to the minorities and the formulation of overall policies, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory framework, schemes and development programmes for the benefit of the minority communities.

1.2 Till 27.10.2012 Shri Salman Khurshid and Shri Vincent H. Pala were the Minister of Minority Affairs and Minister of State, Ministry of Minority Affairs. Shri K. Rahman Khan and Shri Ninong Ering took over the charge of the offices of Minister of Minority Affairs and Minister of State, Ministry of Minority Affairs respectively on 28th October 2012. The Secretary of the Ministry is assisted by three Joint Secretaries and one Joint Secretary & Financial Adviser (additional charge). Against the sanctioned strength of 98 Officers/Staff, 66 officers/staff are in position. The Organizational Chart of the Ministry is given at **Annex-I** and the Incumbency Statement is at **Annexure-II.**

ALLOCATION OF BUSINESS

1.3 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are as under:-

(i) Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

(ii) All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

(iii) Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

(iv) Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

(v) Matters relating to National Commission for Minorities Act.

(vi) Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

(vii) Representation of the Anglo-Indian community.

(viii) Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(ix) Questions relating to the minority communities in neighboring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(x) Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

(xi) Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 4

(xii) The Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Waqf Council.

(xiii) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

(xiv) Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

(xv) Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

(xvi) Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

(xvii) National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

(xviii) Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

(xix) Any other issue pertaining to the minority communities.

CONSTITUTIONAL, STATUTORY AND AUTONOMOUS BODIES

1.4 The Ministry has the following constitutional/ statutory /autonomous bodies etc:-

i) Commissioner for Linguistic Minorities (CLM).

ii) National Commission for Minorities (NCM).

iii) Central Wakf Council (CWC).

iv) National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC).

v) Maulana Azad Education Foundation (MAEF).

vi) Durgah Khawaja Saheb, Ajmer

ADMINISTRATION OF ACTS

1.5 The Ministry is responsible for the administration and implementation of the following Acts:-

i) Durgah Khawaja Saheb Act, 1955.

ii) National Commission for Minorities Act, 1992.

iii) The Wakf Act, 1995.

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.6 The Ministry issued all important orders/notifications bilingually. The Ministry observed the Hindi fortnight from the 1st to 15th September, 2012. Several competitions were organized during the fortnight and the prizes were also distributed. The Hindi Salahkar Samiti has been constituted under the chairmanship of Hon'ble Minister of Minority Affairs. A workshop was organized in the Ministry on 16/11/2012 to sensitize staff to do their routine work in Hindi.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 5

VIGILANCE UNIT

1.7 Shri Y.P. Singh, Joint Secretary, has been appointed as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) of the Ministry. He is assisted by a Deputy Secretary and an Under Secretary, who discharge these functions in addition to their other duties. The Ministry observed the Vigilance Awareness Week from 25th October to 1st November, 2012.

NATIONAL INTEGRATION WEEK

1.8 The Ministry observed the Quami Ekta Week (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2012 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and integration.

E-GOVERNANCE

1.9 The web-site of the Ministry is on URL www.minorityaffairs.gov.in. Basic information about the activities of the Ministry and its schemes/programmes, the Prime Minister's new 15- Point Programme for the Welfare of Minorities, report of the High Level Committee on the Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India and the follow-up action taken thereon, report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, report of the expert group on diversity index, report of the expert group on Equal Opportunity Commission, report of the inter-ministerial task force on implications of the geographical distribution of minorities in India, linked Organizations, tender notices, employment advertisements, press releases, photographs of the work done under Multi Sectoral Development Plan, progress reports and statistics etc. are available on the web-site. Names of the students, who have been given scholarships under various schemes are also available on the website. In order to help the students, in addition to the details of the scholarship schemes, various Frequently Asked Questions (FAQs) have also been put on the website. The contents of the website are updated continuously.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

1.10 Under this Act, the Ministry of Minority Affairs has designated nine Officers as Central Public Information Officers (CPIO) and the three Joint Secretaries as Appellate Authorities.

BUDGET

1.11 An outlay of Rs. 17,323 crore has been allocated to this Ministry for the various Plan schemes/programmes in the Twelfth Five Year Plan (2012-17). Plan budget provision of Rs. 3135 crore was made in the Budget Estimates 2012-13, which was reduced in the Revised Estimates for 2012-13 to Rs.2200 crore. A non-plan provision of Rs. 19.70 crore was made in the Budget Estimates for the year 2012-13, which was reduced to Rs.18.26 crore in the Revised Estimates 2012-13. A statement showing the plan scheme/programme-wise Twelfth Plan outlay, Budget Estimates, Revised Estimates and the actual expenditure during the year 2012-13 (up to 31st December, 2012) is at Annex-III.

FILE TRACKING SYSTEM

1.12 In the Ministry, a File Tracking System has been functioning since November 2010. The software for this system was developed by NIC. This software allows the monitoring of the movement of files throughout the Ministry, captures details of all receipts and disposals of all correspondence received in the Ministry and action taken on these correspondences.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 7

CHAPTER 2

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

2.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

2.2 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

2.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis). In States, where one of the minority communities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States /UT are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

2.4 The progress of implementation of the programme is monitored by each of the Ministries/Departments concerned on a monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs reviews the overall progress on a quarterly basis with the Nodal officers of other Ministries. The progress is reviewed once in six months by the Committee of Secretaries, and thereafter, a report is submitted to the Union Cabinet. The Cabinet has already reviewed the progress of implementation seven times since the new programme was launched in June 2006. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are required to constitute the State Level Committees to monitor the progress. Similar mechanism has also been envisaged at the district level.

2.5 The list of schemes included in the New 15 Point Programme, which are amenable to earmarking, is as under:-

- Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres {Ministry of Women & Child Development}.
- Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme (KGBV) {Ministry of Human Resources Development}

- Aajeevika{Ministry of Rural Development}
- Swarnajayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) {Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}
- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) {Ministry of Labour & Employment}
- Bank credit under priority sector lending {Department of Financial Services}
- Indira Awas Yojana (IAY) {Ministry of Rural Development}

Achievements under these schemes during 2012-13 (for the period up to 30th September, 2012) are given below:-

Sl. No.	**Name of the scheme and Ministry/Dept. Concerned**	**Achievement (Physical)**
1.	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) D/o School Education & Literacy.	
(i)	No. of upper primary schools constructed.	40
(ii)	No. of additional classrooms constructed	17267
(iii)	No. of new primary schools opened.	78
(iv)	No. of new upper primary schools opened.	116
(v)	No. of teachers sanctioned.	6034
2.	Swarojgaris assisted under Aajeevika M/o Rural Development	12283
3.	Below Poverty Line (BPL) families assisted under Indira Awas Yojana (IAY). M/o Rural Development.	269770
4.	Beneficiaries assisted under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY). M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	
(i)	Individual enterprises Urban Self-Employment Programme (USEP).	2996
(ii)	Skill Training for Employment Promotion amongst Urban Poor (STEP-UP).	15462
5.	Operationalisation of Anganwadi Centres under ICDS. M/o Women & Child Development.	2098

Sl. No	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	**Achievement (Financial)** (Rs. in crore)
1.	Indira Awas Yojana (IAY): M/o Rural Development.	644.48
2.	Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	4.97
3.	Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) into Centres of Excellence. Ministry of Labour & Employment.	8.08
4.	Priority Sector Lending. D/o Financial Services.	171,960.71

The percentage of Priority Sector Lending (PSL) to minorities out of total PSL has shown steady increase from 10.60% in 2007-08 to 15.01% in September, 2012.

2.6 The achievements in 2012-13 under schemes included in the 15 Point Programme where the flow of funds/benefits to development projects in minority concentration areas is monitored are given below:

Sl. No	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	**Achievement (Financial)** Project cost sanctioned and number of cities / towns covered having a substantial minority population.
1.	Basic Services for Urban Poor (BSUP): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	Rs. 7254.84 crore for 17 towns.
2.	Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP), M/o HUPA.	Rs. 2235.83 crore for 103 cities /towns.
3.	National Rural Drinking Water Programme (NRDWP): D/o Drinking Water Supply (DWS).	Rs. 371.05 crore of the total sanctions covering 1713 habitations in districts having a substantial minority population.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 10

2.7 It has been reported by Department of Personnel and Training that during 2010-11, 70 Ministries/Departments, 121 PSUs, Public Sector Banks & Financial Institutions etc. have recruited 23,569 minority candidates, which works out to 11.55% of the total recruitments made. The percentage of minority candidates in the total recruitment has incresed from 6.93% in 2006-07 to 11.55% in 2010-11.

2.8 The monitoring mechanism for implementation of Prime Minister's New 15 Point Programme has been strengthened. In 2009, the Government approved inclusion of two Members of Parliament from Lok Sabha and one Member of Parliament from Rajya Sabha, two Members of the Legislative Assembly to be nominated by the State Government in the State Level Committees for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. However, one of the Members included in the State Level Committee from Lok Sabha and Legislative Assembly should have been elected from any of the minority concentration districts in those states which have minority concentration districts (MCDs). In respect of District Level Committee for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme, besides one Member of Parliament from Rajya Sabha representing the State to be nominated by the Central Government, all Members of Parliament and all Members of Legislative Assembly representing the district would be included in the District Committee.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 11

CHAPTER 3

SACHAR COMMITTEE REPORT & FOLLOW UP ACTION

A High Level Committee, constituted under the Chairmanship of Justice (Retired) Rajinder Sachar to gather data/ information for preparation of a comprehensive report on the social, economic and educational status of the Muslim community of India submitted its report (popularly known as Sachar Committee Report) on 17th November, 2006. This report was tabled in both the House of Parliament on 30th November, 2006. The Government took several decisions on the recommendations of the Sachar Committee and a statement in this regard was laid in both Houses of Parliament on 31.08.2007.

The status of implementation of the decisions taken by Government on the follow-up action on the recommendations of the Sachar Committee is as under:-

3.1 Department of Financial Services :

With a view to facilitate access to credit to minorities, following measures have been taken:

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. Since 2007-08, 5954branches were opened in such districts. During 2012-13, up to 30th September, 2012, 288 branches have been opened.

(ii) RBI revised its Master Circular on 2nd July, 2012 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. As on 30th September, 2012, Rs.1,71,960.71 crore, which is 15.01% of total PSL, was provided to minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications for minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 6,00,285 accounts have been opened for minority women with Rs 3702.99 crore as micro-credit in 2012-13 upto September, 2012.

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/districts/towns with substantial minority population. In 2012-13, 4146 awareness campaigns were organized in such areas upto September, 2012.

(vi) Lead banks have organized 1911 entrepreneurial development programmes in blocks/districts/towns with substantial minority population upto September, 2012 and the number of beneficiaries is 33751.

3.2 Ministry of Human Resource Development:

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted. With a view to ensure educational empowerment of minorities, the Government has initiated several measures as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy (53.67%: Census 2001). Under the scheme, 3 KGBVs out of the target of 9 KGBVs in 2012-13 are in minority concentration districts.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 12

b) Universalization of access to quality education at secondary stage called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been approved. The scheme envisages preference to minority concentration areas in opening of Government schools. State Governments have been advised to accord priority to setting up of new / upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme.

c) One model college each would be set up in 374 educationally backward districts (EBDs) of the country. Of 374 EBDs, 67 are among identified minority concentration districts.

d) Under the sub-Mission on polytechnics, financial assistance is provided to the States/UTs for setting up of polytechnics in un-served and under-served districts. 57 districts out of 90 minority concentration districts are eligible for consideration under the scheme. So far an amount of Rs.291.06 crore has been released as initial grants for setting up of polytechnics in 49 out of 57 Districts.

e) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. The UGC has sanctioned 285 Women's hostels and released Rs.203.69 crore till 27th Sept., 2012 in Minority Concentration Districts/areas.

f) The Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) had been launched in the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers and introduction of vocational subjects, etc. During 2012-13, an amount of Rs 80.62 crore has been released upto 30th September, 2012 against budget provision of Rs.175 crore, for assisting 4568 Madarasas and 9720 teachers.. The other scheme, which provides financial assistance for Infrastructure Development of Private aided/unaided Minority Institutes (IDMI), had also been launched in the Eleventh Five-Year Plan. During 2012-13, an amount of Rs15.34 crore has been released against budget outlay of Rs.50.00 crore upto 30th September, 2012 for assisting 123 institutes.

g) For subsequent access to higher education, the Certificates issued by the State Madarsa Boards, whose Certificates and qualifications have been granted equivalence by the corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/and by any other school examination board.

h) Academies for professional development of Urdu medium teachers have been set up at three Central Universities namely, Aligarh Muslim University (AMU), Jamia Milia Islamia University (JMIU), New Delhi and Maulana Azad National Urdu University (MAANU), Hyderabad. An amount of Rs. 4 crore for each of the three academies was sanctioned by UGC during the 11th Plan. The AMU conducted 17 Refresher Courses/workshops for primary/secondary schools teachers covering 416 teachers for teaching modern subjects in Urdu medium. The academy at JMIU has trained 1675 teachers and MAANU has trained 3083 teahcers.

i) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urdu teachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers.

j) The States/UTs have been advised to undertake community based mobilization campaigns in areas having a substantial population of Muslims. Saakshar Bharat is being implemented in

372 districts out of 410 eligible districts where adult female literacy is 50% or below as per 2001 Census. Out of 88 Muslim dominated districts, 61 districts have been covered under Saakshar Bharat.

k) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are envisaged in the revised schemes. At present, JSSs are imparting vocational training in 33 out of the 88 Muslim dominated districts in the country.

l) The mid-day meal scheme has been extended to all areas in the country from the year 2008-09 and also covers upper primary schools. Blocks with a concentration of Muslim population are being covered under this scheme.

m) All State Governments/UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

n) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005 (NCF). 14 States have revised their curriculum as per the NCF 2005 while 9 States are in the process of doing so. Ten States/UTs use textbooks of neighbouring States or NCERT textbooks.

o) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes.

3.3 Ministry of Minority Affairs:

(a) An expert group, constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008. The concept of diversity index has been subsumed in the EOC. The draft Bill for EOC is under consultation with other Ministries/Departments concerned. Comments received from Ministries/Departments have been examined and a modified draft EOC Bill is under formulation for being referred to the Ministry of Law & Justice for vetting.

(b) The Waqf (Amendment) Bill, 2010 as passed by the Lok Sabha was referred to Select Committee of the Rajya Sabha on 31st August, 2010. The Report of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Waqf (Amendment) Bill, 2010 was placed on the Table of the Rajya Sabha on 16th December, 2011. A draft of the Waqf (Amendment) Bill had been circulated to Ministries/Departments and State Governments/UTs for inviting their comments. The comments received have been examined and a Cabinet Note on the Wakf (Amendment) Bill has been sent on 8th February, 2013 for consideration of the Cabinet.

(c) The Government has accorded 'in-principle' approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). A consultancy firm which was appointed to study and work out the details for restructuring of NMDFC submitted its Reports which were examined in the Ministry. A Committee comprising Secretary (Minority Affairs) and Officers of RBI, NABARD finalized the proposal for restructuring of NMDFC and an EFC memorandum is under formulation.

(d) An inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, has submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority in the implementation of their schemes in these 338 towns.

(e) Three scholarship schemes for minority communities namely, pre-matric scholarship from class-I to X, post-matric scholarship from class XI to PhD and merit-cum-means scholarship for technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels have been

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 14

launched. Under these schemes, funds of Rs. 879.06 crore have been sanctioned for award of scholarships to 55.56 lakh students belonging to minority communities in 2012-13 up to 31st December, 2012.

(f) Under the Maulana Azad Fellowship scheme which has been launched for M.Phil and Ph.D scholars, 2266 fresh fellowships plus 2268 renewal of previous cases have been sanctioned for Rs.141.40 crore by UGC. During 2012-13, funds to the tune of Rs. 66 crore has been released to UGC.

(g) Under the schemes of MAEF, since 2007-08, 419 NGOs have been given grants-in-aid for infrastructure development of educational institutions and 48471 scholarships were awarded to meritorious girls in classes-XI and XII. During 2012-13, 94 educational institutions were given grants-in-aid amounting to Rs.12.46 crore upto 31.12.2012.

(h) A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07. Against the target of 6000 candidates for 2012-13, financial assistance has been given to the tune of Rs. 9.33 crore to 4896 students/candidates belonging to minority communities upto 31st January, 2013..

(i) A Multi-sectoral Development Programme(MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Plans of 90 minority concentration districts in Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Manipur, Bihar, Meghalaya, Jharkhand, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Uttrakhand, Mizoram, Jammu & Kashmir, Delhi Madhya Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh had been approved and Rs. 2941.60 crore released to State Governments and Union Territory Administrations during the Eleventh Plan. During 2012-13, plans for Rs.893.84 crore have been approved and funds of Rs.504.94 crore released upto 31st December, 2012.

3.4 Ministry of Statistics and Programme Implementation :

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and gramme Implementation (MoSPI). The first set of 37 tables on population (Census 2001 and Census 2011) have been uploaded on the website of the MoSPI. Further uploading of data is in progress.

3.5 Planning Commission:

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyse data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, was set up in the Planning Commission. Since the term of the AMA ended on 15th January, 2011, the Planning Commission has reconstituted the AMA and the newly reconstituted AMA. For formulation of strategy, the Planning Commission set up three Working Groups. Two meetings of Working group I and Working group II have been held and their reports would be acted upon by Working group III for making its recommendations.

(b) A comprehensive institutional structure for fostering skill development has been set up in Planning Commission to address the skill development needs of the country including minorities. It includes National Council on Skill Development, National Skill Development Coordination Board and a National Skill Development Corporation. The Ministry of Labour & Employment has informed that 1453 ITIs /ITCs affiliated to NCVT are in minority concentration areas with a capacity of 2,28,840 seats.

3.6 Department of Personnel and Training:

(a) Department of Personnel & Training has developed training modules for sensitization of government officials for the welfare of minorities. These modules have been sent to the Central/ State Training Institutes for training.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel & Training for posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas. Guidelines have also been issued by Ministry of Home Affairs, Ministry of Human Resource Development and Ministry of Health & Family Welfare advising States/UTs for similar action.

3.7 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report regarding anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes and submitted its Report.

(b) A Working Group in the National Advisory Council (NAC) drafted a Bill titled "Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice & Reparations) Bill, 2011". The NAC sent the Bill to Ministry of Home Affairs on 25.07.2011. The draft Bill is under examination in Ministry of Home Affairs.

3.8 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

For facilitating the flow of funds under the Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services for Urban Poor (BSUP) to towns and cities, having a substantial concentration of minority population, necessary steps have been taken to ensure that Detailed Project Reports (DPRs) for such towns and cities include adequate provisions for minorities.

(a) Under IHSDP, projects costing Rs.2235.83 crore are for 103 towns having a substantial minority population have been sanctioned upto 30th September, 2012.

(b) Under BSUP, Rs.7254.84 crore has been sanctioned for 17 towns (up to 30th September, 2012).

(c) Governments of Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act, while Arunachal Pradesh and Nagaland have informed that no Waqf property exists in these States.

3.9 Ministry of Labour and Employment :

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter- alia, includes home based workers.

3.10 Ministry of Culture :

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State Waqf Boards to review the list of waqf properties which are under the Archeological Survey of India.

3.11 Ministry of Health and Family Welfare :

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 16

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

3.12 Ministry of Panchayati Raj:

State Governments have been advised by Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Urban Development to improve representation of minorities in local bodies.

As per information furnished by Ministry of Panchayati Raj, the States/UTs of Uttarakhand, Kerala, West Bengal and Lakshadweep have mentioned that provisions for ensuring representation of minorities in District and Panchayat level exist. The State Governments of Himachal Pradesh and Orissa have informed that the matter is under consideration.

Ministry of Urban Development has informed that the State Governments of Kerala, West Bengal and Haryana have implemented the guidelines.

3.13 Ministry of Information & Broadcasting :

The Ministry of Information & Broadcasting has been regularly releasing features of various themes associated with minority welfare covering issues such as scholarship schemes and initiatives taken in pursuance of the Sachar Committee Report.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 17

CHAPTER 4

IDENTIFICATION OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (MCDs)

4.1 In 1987, a list of 41 minority concentration districts was drawn up based on a single criterion of minority population of 20 percent or more in a district as per 1971 Census for enabling focused attention of government programmes and schemes on these districts.

4.2 In order to ensure that the benefits of schemes and programmes of government reach the relatively disadvantaged segments of society, it was decided to identify districts on the basis of minority population of Census 2001 and backwardness parameters. A fresh exercise was, therefore, carried out based on population figures and the following backwardness parameters of 2001 Census:

Religion-specific socio-economic indicators at the district level:

(i) literacy rate;
(ii) female literacy rate;
(iii) work participation rate; and
(iv) female work participation rate.

Basic amenities indicators at the district level :

(i) percentage of households with pucca walls;
(ii) percentage of households with safe drinking water;
(iii) percentage of households with electricity; and
(iv) Percentage of households with water closet latrines.

4.3 Although female literacy and work participation are included in the overall literacy and work participation rates, these are important enough to be considered separately as they constitute independent indicators of the level of development, especially gender equity.

4.4 The process of identification of minority concentration districts has been carried out as follows:-

(i) (a) Districts with a 'substantial minority population' of at least 25% of the total population were identified in 29 States/UTs.

(b) Districts having a large absolute minority population exceeding 5 lakh and the percentage of minority population exceeding 20% but less than 25% were identified in 29 States/UTs.

(c) In the six States/UTs, where a minority community is in majority, districts having 15% of minority population, other than that of the minority community in a majority in that State/UT were identified.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 18

(ii) Thereafter, the position of these districts in terms of "backwardness" was evaluated against the two sets of socio-economic and basic amenities indicators. 90 Minority Concentration Districts(MCDs) having a substantial minority population, which are relatively backward and falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities indicators, have been identified in 2007 based on population data and the backwardness parameters of 2001 Census. Out of the 90 minority concentration districts, 53 districts have been classified in category 'A'. Category 'A' districts fall behind in both socio- economic and basic amenities parameters. The remaining 37 districts fall under category 'B' of which 20 districts fall behind in socio-economic parameters and 17 districts in basic amenities parameters These have been classified as sub-category 'B1' and 'B2' respectively. The lists of these districts are in Annex IV-A, IV-B and IV-C.

4.5 The Government while approving the identification of 90 MCDs directed for implementation of a special area development programme.

4.6 To sharpen the focus on minority concentration areas and to extend the benefit to other deserving areas, the Ministry is proposing to identify the blocks and towns having substantial minority population during 12th Five Year Plan.

4.7 A baseline survey was assigned to the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi to identify the 'development deficit' of these districts. The survey has been carried out by the research institutes affiliated to ICSSR, New Delhi.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 19

CHAPTER 5

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MsDP)

5.1 Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 2008-09. The programme aims at improving the socio-economic and basic amenity facilities for improving the quality of life of the people and reducing imbalances in the Minority Concentration Districts (MCDs). Identified 'development deficits' are addressed through a district specific plan for provision of better infrastructure for school and secondary education, sanitation, pucca housing, drinking water and electricity supply, besides beneficiary oriented schemes for creating income generating activities. Absolutely critical infrastructure linkages like connecting roads, basic health infrastructure, ICDS centers, skill development and marketing facilities required for improving living conditions and income generating activities and catalyzing the growth process are eligible for inclusion in the plan. The focus of this programme is on rural and semi-rural areas of the identified 90 minority concentration districts.

Inspection of site of school to be constructed at Khanpur Ghati under MsDP at Mewat

Public Meeting at DRDA Hall, Mewat to review implementation of programme of the Ministry.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 20

5.2 The programme is implemented by the Department in the State/UT dealing with minority affairs/welfare. Panchayati Raj Institutions/urban local bodies are involved in the implementation of the MsDP wherever the mechanism is established. The State may, however, decide to execute the project through any qualified, reputed, experienced agency, including renowned and widely accepted NGOs, justification for which should be mentioned in the proposal. It is the responsibility of the State Government/UT administration to ensure that staff required to operate the assets proposed under this programme are provided by them.

5.3 As far as possible, the focus of the programme is on providing appropriate social and economic infrastructure rather than targeting individual beneficiaries. In case schemes for individual benefits are taken up under the programme, there will be no divergence from existing norms for selection of beneficiaries from the list of BPL families in the district, so that benefits from the additional funds flow to all BPL families and not selectively to families of minority communities.

5.4 Financial assistance are sanctioned to the State Government/UT administration concerned on 100% grant basis in two installments linked with the satisfactory progress made as per approved Plan. Funds under the programme are released to the States/UTs only against the approved district development plans. Once the proposal is approved for support by the Ministry of Minority Affairs, the first installment is released. State share wherever applicable is given by the State Government.

Monitoring mechanism

5.5 The State Level Committee and the District Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme for the Welfare of Minorities under the chairmanship of the Chief Secretary and the Deputy Commissioner/Collector respectively also serves as Committees for this programme. The District Committee prepares the development plan for MCD. Both the District and State Level Committees ensure that there is no duplication of schemes, funds are not diverted, and funds under this programme are adequate for implementation of the plan.

5.6 An 'Empowered Committee' in the Ministry of Minority Affairs appraises and approves the projects in the plans. The Empowered Committee also serves as the Oversight Committee at the Centre and monitors the implementation of the programme. The State Level Committee constituted for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities headed by the Chief Secretary also serves as the Oversight Committee at the State/UT to monitor the implementation of the programme.

National and Regional Conferences

5.7 A National Conference of State Ministers dealing with Minority Welfare Department was held on 7th and 8th June, 2012 with a view to review the 11th Five Year Plan performance and also for introducing the 12th Five Year Plan strategy and programmes. This conference was also utilized as a platform for consultation with the State Governments for finalization of schemes and programmes to be implemented during 12th plan.

5.7.1 Apart from this a conference with State Government/UT officials was also held on 16.08.12. Further, Regional conferences were held at Patna, Lucknow, Kolkata were also held to ensure better

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 21

and speedy implementation of Multi-sectoral Development Programme.

Public Meeting at Mewat at construction site of a school under MsDP

Status of Implementation

5.8.1 Rs. 3780 crore was allotted for implementation of MsDP during 11th Five Year Plan. Projects proposals of Rs. 3733.90 crore were approved till 31st March 2012 for implementation in 90 MCDs and Rs. 2935.93 crore was released to the States/UTs till 31st March 2012. The programme has been continued during 2012-13. Projects of Rs. 893.85 crore have been approved and Rs. 504.94 crore has been released to the States/UTs during 2012-13 till 31.12.2012. The details of budgetary provisions, funds released and expenditure reported by the States/UTs for implementation of MsDP in MCDs since 2008 when funds were first released are given in the table below:-

(Rs. In Crore)

		Expenditure		**Utilization**	
Year	RE	By MoMA	Percentage	By States/UTs	Percentage
2008—09	280	270.85	96.73	269.24	99.41
2009—10	990	971.94	98.18	848.50	87.30
2010—11	1327.32	913.23	68.80	603.94	66.14
2011—12	1136.36	779.91	68.63	107.71*	13.81
2012—13 (upto 31st december, 2012)	535.20	504.94	94.34	12.74**	2.52
Total	—	**3440.87**	**80.60**	**842.13**	**53.54**

* Utilisation Certificates for funds released during 2011-12 are due from States/UTs by March, 2013.

** Utilisation Certificates for funds released during 2012-13 are due from States/UTs by March, 2014.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 22

5.8.2 The progress in implementation of projects approved till 31st March, 2012 is given below:

Items of work approved under MsDP	**No. of units approved**	**Work completed (C)**	**Work in progress (WIP)**	**(% of (C) + (WIP)**
Indira Awas Yojna	301221	168370	37416	68.31%
Health facilities CHC, PHC, PHSC, Labour Rooms	2531	1411	579	78.62%
Anganwadi Centres	27595	14927	5335	73.42%
Drinking Water Supply Handpumps, Ringwells, pipe water	35775	18094	2564	57.74%
Education: ➢ Additional Class Rooms ➢ School Buildings ➢ Construction of Hostels	13508 662 334	6234 237 44	2887 350 114	67.52% 88.67% 47.30%
	14504	**6515**	**3351**	**68.02%**
Skill Upgradation Construction / Upgradation of ITI, Polytechnic Institutes	71 ITIs 31 Poly.	3	16 15	26.76% 48.38%

In addition to this, 8019 IAY houses, 144 health centres, 1790 Anganwadi Centres, 15165 Drinking Water supply works, 27 school buildings, 918 additional classrooms, 102 hostels, 39 ITIs, and 12 polytechnics, have been approved during 2012-13 till December, 2012.

5.9 Approaches towards 12th Five Year Plan.

Based on the experience of implementation of the Programme in the 11th Five Year Plan and the feedbacks received from different sources the Ministry is in the process of making the programme more effective and focused on minority concentration areas and expanding it to other deserving areas like minority concentration towns/cities.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 23

CHAPTER 6

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

6.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. This scheme was launched on 1st April, 2008 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) on a 75:25 fund sharing ratio between the Centre and States Union Territories are provided 100% assistance under the Scheme. It is implemented through the State Governments/ Union Territory Administrations. Students with not less than 50% marks in the previous final examination, whose parents'/ guardians' annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh, are eligible for award of the Pre-matric scholarship under the scheme.

6.2 An outlay of Rs. 5000 crores has been provided in the XII Five Year Plan to award 2 core fresh scholarships and renewals during the plan period (2012-17). 30% of scholarships have been earmarked for girl students. An amount of Rs. 592.03 crore was released and 52.10 lakh scholarships were awarded during the year 2012-13 upto 31st December, 2012. Of this 51.84% scholarships catered to girl students.

6.3 It has been a constant endeavour of the Ministry to improve transparency in scholarship schemes. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) pertaining to different scholarship schemes have been uploaded on the website of the Ministry indicating the Scheme. Similarly, the list of scholarships awarded in States/UTs are being uploaded on their websites. Hyperlinks have been provided to the websites of the States/ Union Territories on the Ministry's website i.e. www.minorityaffairs.gov.in . The information on the Ministry's websites is regularly updated. To assist students, a helpline has been established which remains functional during office hours.

6.4 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial may be seen at **Annex V.**

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 25

CHAPTER 7

POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

7.1 The scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) with 100% central funding and is implemented through the State Government/Union Territory Administrations. Scholarship is awarded for studies in India in a government higher secondary school/college including residential government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned. Students with not less than 50% marks in the previous year's final examination, whose parents' / guardians' annual income does not exceed Rs. 2.00 lakh are eligible for award of scholarship. 30% of scholarships have been earmarked for girl students. In case sufficient number of girl students are not available, then eligible boy students are to be given these scholarships.

7.2 An outlay of Rs.2850.00 crore has been provided in the 12th Five Year Plan to award 25 lakh Fresh scholarships and Renewals during the plan period (2012-17). An amount or Rs. 175.69 crore has been released to award 3.03 lakh scholarships during the year 2012-13 (upto 31.12.2012). Of this 55.65% of the scholarships awarded were to girl students.

7.3 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial is at **Annex-VI.**

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 27

CHAPTER 8

MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

8.1 The Merit-cum-Means Scholarship Scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched in 2007. It is being implemented through State Governments/Union Territory Administrations. The entire expenditure is being borne by the Central Government. Scholarships are available for pursuing professional and technical courses, at under-graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by appropriate authority Under the scheme 60,000 scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals.

8.2 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by eligible boy students, if an adequate number of eligible girl students are not available.

8.3 85 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of Rs.20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions.

8.4 To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed Rs.2.50 lakhs.

Achievement

8.5 The financial and physical achievement since the inception of the Scheme and till 31st December, 2012 are as under:-

Year	Target	No. of Scholarship actually sanctioned				Amount (Rs. In crore)
		Fresh	Renewal	Total	Scholarship released to female students (%)	
2007–08 (launched)	20,000	17258	0	17258	5009 (29.02%)	40.90
2008–09	35,000	17099	9096	26195	8660 (33.06%)	64.73
2009–10	42,000	19285	16697	35982	11684 (32.47%)	97.51
2010–11	55,000	19518	21538	41056	14077 (34.29%)	108.75
2011–12	55,000	19505	22929	42476	15640 (36.82%)	115.72
2012–13*	60,000	40310	2647	42957	11881 (27.66%)	111.34
Total	**2,67,000**	**132975**	**72907**	**205924**		**538.95**

*Figures as on 31st December, 2012-13. Detailed State-wise/community-wise achievement is at Annex VII.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 29

CHAPTER 9

MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP

9.1 The Maulana Azad National Fellowship (MANF) for Minority Students was approved on 1st August, 2009. This scheme was launched on 11th April 2009 as a Central Sector Scheme (CSS). It is implemented through University Grants Commission (UGC). 100% Central Assistance is provided under the Scheme. The objective of the Maulana Azad National Fellowship is to provide integrated five year fellowships in the form of financial assistance to students from notified minority communities, as notified by the Central Government to pursue higher studies such as M.Phil and Ph.D. The Fellowship covers all Universities/Institutions recognized by the University Grants Commission (UGC). The Fellowship under the Maulana Azad National Fellowship for Minority students is on the pattern of University Grants Commission (UGC) Fellowship awarded to research students pursuing regular and full time M.Phil and Ph.D. courses In order to qualify for the award of JRF/ SRF the UGC norms would be applicable at pre-M.Phil and pre-Ph.D stage, respectively, including the minimum score of 50% at post graduate level. The income ceiling of the parents/guardian of the candidate for Maulana Azad National Fellowship for minority students will be Rs.2.5 Lakh per annum.

9.2 An outlay of Rs. 430 crores has been provided in the XII Five Year Plan to award 3780 fresh fellowhips and renewals during the plan period (2012-17). 30% of fellowships have been earmarked for girl students. An amount of Rs. 66.00 crore was released up to 31.12.2012.

9.3 It has been a constant endeavour of the Ministry to improve transparency in fellowships schemes. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) and help to till online application pertaining to fellowship scheme has been uploaded on the website of the UGC. Similarly, the list of fellowships awarded by UGC is being uploaded on its website i.e. www.ugc.ac.in.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 31

CHAPTER 10

FREE COACHING AND ALLIED SCHEME

10.1 The "Free Coaching and Allied Scheme for the candidates belonging to minority communities" was launched by this Ministry w.e.f. 17.7.2007. It was modified w.e.f. 16.10.2008 for a wider coverage.

10.2 The objective of the scheme is to enhance skills and knowledge of students and candidates from minority communities to get employment in Government Sector/ Public Sector Undertakings, jobs in private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels and remedial coaching in such institutions to complete courses successfully.

10.3 Under the Scheme, financial assistance is provided to coaching institutes in Government and private sector for imparting free coaching/training to candidates belonging to minority communities.

10.4 To avail benefits under this scheme candidates/students should belong to a minority community. The annual income of parents/guardians from all sources should not exceed Rs. 2.50 lakh. Candidates/students should have the requisite educational qualifications for coaching training course they want to persue.

10.5 An outlay of Rs. 63 crore was provided in the Eleventh Five Year Plan (2007-12) with a target to cover 24760 students/candidates under the scheme. Against this the achievement during the Eleventh Plan was Rs. 54.60 crore for 27876 students/candidates. During the Financial Year 2012-13, a provision of Rs. 14.42 crore has been made in the scheme. The Selection Committee of this Ministry has selected 83 Institutes and decided on a number of 6000 students/candidates. Upto 31st December, 2012 a total amount of Rs. 7.82 crore has been released during the year which includes release of 1st instalment to 27 Institutes for 3826 candidates.

10.6 All information pertaining to this Scheme is available on the website of this Ministry at www.minorityaffairs.gov.in.

10.7 The Table given below indicates types of coaching and financial assistance provided under the Scheme.

Sl. No.	Type of Coaching / training / remedial coaching	Coaching/training/remedial coaching fee	Amount of Stipend per month
1.	Group 'A' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	Rs.1500 /- for outstation candidates, Rs.750/-for local candidates
2.	Group 'B' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 15,000/-	-Do-
3.	Group 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 10,000/-	-Do-

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 32

4.	Entrance examination for technical/professional courses	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	-Do-
5.	Coaching/Training for jobs in Private Sectors	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/	-Do-
6.	Remedial Coaching / Tuition for the students pursuing technical/ professional courses	As charged by the institute where the student is admitted to pursue technical / professional course, for the extra tuition classes.	Not Applicable
7.	Coaching for recruitment of constables and equivalent in police/security forces and railways. (For a period not exceeding five days)	At nominal rates, as proposed by the institute and fixed by the committee	Rs. 100 /- per day for outstation candidates. Rs. 50/- per day for local candidates.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 33

Chapter-11

SCHEME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT OF MINORITY WOMEN

The scheme of "Leadership Development of Minority Women" is a new initiative of Ministry of Minority Affairs in the area of gender empowerment.

11.1 Ministry of Minority Affairs has started implementation of this scheme from the year 2012-13. The objective of the programme is to empower and instill confidence in women, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, banks, and intermediaries at all levels so that they are emboldened to move out of the confines of home and community and assume leadership roles and assert their rights, collectively and individually, in accessing services, facilities, skills and opportunities besides claiming their due share of development benefits for improving their lives and living conditions.

11.2 Eligible women belonging to notified minority communities viz. Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) are the target group. However, to further strengthen the mosaic of plurality in the society and bring about solidarity and unity through their own efforts to improve their lot, the scheme permits a mix of women from non-minority communities not exceeding 25% of a project proposal.

11.3 The scheme is implemented through registered Civil Societies, Public Trusts, Private Limited Non-Profit Companies, Universities/ Institutions recognized by University Grants Commission (UGC) and Training Institutes of Central and State Government including Panchayati Raj Institutions.

11.4 The proposals for shortlisting the eligible organizations are invited by the Ministry by calling Expression of Interest in National/State Dailies. The shortlisting is done by a Committee by assigning weightage to information submitted by organizations regarding mandatory criteria prescribed in para-14.1, 14.2, 14.3 & 14.4 of the Scheme Guidelines. The organizations are required to secure minimum 70% marks to get shortlisted. This is based on specific criteria. Therefore, this adds to objectivity in the scheme. The lists of shortlisted as well as rejected organizations are displayed on the Ministry's Website. Thereafter, the concerned State Governments/UT Administrations are requested to verify the credentials of shortlisted organizations on ground and forward their project proposals in the prescribed format to the Ministry within prescribed time limits. The project proposals received with due recommendations of concerned State Governments/UT Administrations are considered by an inter-ministerial Sanctioning Committee chaired by Secretary (Minority Affairs).

11.5 The leadership training modules invariably cover issues and rights of women, relating to education, employment, livelihood etc. under the Constitution and various Acts; opportunities, facilities and services available under schemes and programmes of the Central Government and State Government in the fields of education, health, hygiene, nutrition, immunization, family planning, disease control, fair price shop, drinking water supply, electricity supply, sanitation, housing, self-employment, wage employment, skill training opportunities, crimes against women etc.

11.6 The organization implementing the scheme are required to visit the village/locality periodically for providing nurturing/handholding service to the group of women imparted leadership development training so that they are guided in the use of tools and techniques taught to them and are able to extract the benefit from their efforts.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 34

11.7 Villages/ urban localities in rural/urban areas having a substantial percentage of minority population are selected by the organization for conducting the leadership development training programme.

11.8 Organization selected for carrying out training for leadership development of minority women has the responsibility to motivate, identify and select women to be trained in accordance with the criteria of the scheme from villages/localities having a substantial minority population. Although there is no annual income bar, woman/parent or guardian of woman having annual income not exceeding Rs.2.50 lakh from all sources would be given preference in selection. They should be between the age group of 18 years to 65 years.

11.9 Aadhaar number is required to be collected by the organization wherever it has been issued and indicated against the name of the woman selected for training. The Ministry is planning to take steps to make Aadhaar Number compulsory.

11.10 Under the scheme, two kinds of trainings namely, Non-Residential and Residential are supported by the Ministry in a batch of 25 women each. The training programme is for one week only.

11.11 The Ministry provides financial assistance of Rs.71550/- for Non-Residential training per batch and Rs.221250/- for Residential training per batch.

11.12 Training organization, in collaboration with the District Collector/ Deputy Commissioner/Sub-divisional Officer/Block Development Officer, may also organize workshop to sensitize government functionaries, bankers including Panchayati Raj functionaries etc. at the district, sub-division/block level etc. This should relate to women empowerment programme carried out by them under this scheme.

11.13 The monitoring is done by Ministry's officials, State Officials and the independent agencies engaged by the Ministry. The organizations are required to submit monthly/quarterly progress reports and project completion report to the Ministry. Further, the organization through the Global Positioning System (GPS) enabled mobile phone, are required to send photos of all important activities of the training programme.

11.14 The details of Budget Estimates (B.E.), Revised Estimates (R.E.) and funds released so far during 2012-13 are as follows:

(Rs. in crore)

Financial Year	**B.E.**	**R.E.**	**Expenditure** (as on 31.12.2012)
2012—13	15.00	12.80	10.45

11.15 During 2012-13 (till 31/12/2012), Rs.10.45 crore have been released to 64 (sixty four) organizations in 12 States for imparting Leadership Development Training to 36950 women. The State-wise/ UT-wise details of these organizations and the funds released to them are at **Annexure-VIII**.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 35

CHAPTER 12

RESEARCH/ STUDIES, MONITORING and EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY.

12.1 Ministry of Minority Affairs under the Central Sector Scheme 'Scheme of Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity' provides professional charges to those institutions/organizations which have the expertise and are willing to undertake purposeful studies on the problems, issues and requirement of notified minorities including baseline survey/surveys and also carrying out concurrent monitoring on the implementation of various schemes undertaken for minorities.

12.2 Financial support is also extended to organization(s) for holding Workshop/Seminar/Conference provided the theme of workshop/seminar/conference has direct relevance to the mandate of the Ministry.

12.3 The scheme also provides to carry out multi-media campaign involving print media, electronic media, outdoor publicity, etc. for dissemination of information to generate awareness relating to programmes, schemes and initiatives undertaken for notified minorities.

12.4 During 2012-13, the Ministry empanelled 37 (thirty seven only) expert organizations to carry out Research Studies, base line surveys, concurrent monitoring, evaluation and impact assessment of the programmes of the Ministry.

12.5 During current financial year till 31/12/2012, (4) four National Level workshops have been organized on the themes namely, Minorities Women Empowerment; Multi-culturalism and law; Understanding Minority rights, Constitution and Law; and Secularism, Minority rights and Constitution at Amethi, Aligarh, Dehradun and Hyderabad respectively. The workshop at Amethi was organized by Rajiv Gandhi Institute of Wastelands and Rural Development, Sultanpur and the remaining three workshops were organized by Rural Litigation and Entitlement Kendra, Dehradun.

12.6 The multi-media campaign was launched as per approved Media Plan during 2012-13. Upto 31.12.2012 print advertisements have been released in 1154 newspapers including English, Hindi, Urdu and other vernacular languages. Audio Visual Spots and jingles on schemes of the Ministry have been aired through All India Radio (AIR) Network and Private FM Channels across India. TV Commercials on schemes of the Ministry were telecast on Doordarshan Network including Regional and North East Kendras, and through digital cinema in 4475 theatres across India including 61 theatres in North East.

12.7 National Film Development Corporation (NFDC) has completed production of 5 (five) documentary films relevant to minorities. Documentary Films on Mother Teresa and Sufi Culture were telecast on Doordarshan Network on 27/8/2012, 01/9/2012 and 2/11/2012.

12.8 New pamphlets giving information on all schemes/programmes of Ministry and its subordinate organizations have been published in English, Hindi and Urdu for mass distribution.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 36

12.9 The details of Budget Estimates (B.E.), Revised Estimates (R.E.) and funds released so far during 2012-13 are as follows:

(Rs. in crore)

Financial Year	**B.E.**			**R.E.**			**Expenditure (as on 31.12.2012)**		
	Research Compo-nent	Media Compo-nent	Total	Research Compo-nent	Media Compo-nent	Total	Research Compo-nent	Media Compo-nent	Total
2012—13	7.30	32.70	40.00	2.30	31.00	33.30	0.18	23.42	23.60

12.10 All attempts have been made to demystify the programmes/schemes of the Ministry for the target group specifically and for general masses too.

12.11 During 2012-13 (till 31/12/2012), Rs.23.60 crore have been released to various agencies/organizations under the scheme for Research/Studies and Multi-media campaign. The agency/ organization-wise details and the funds released to them are at **Annexure-ix**

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 37

CHAPTER 13

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES/ SCHEMES IN NORTH-EASTERN STATES AND SIKKIM

13.1 The Ministry has been allocated an outlay of Rs. 3135 crore in B.E. 2012-13 for various plan schemes which has been reduced to Rs. 2200 crore in R.E. 2012-13.

The scheme-wise earmarked allocation for North Eastern States and Sikkim is given below :-

S. No.	Name of Schemes	Amount Earmarked (Rs. in Crore)	
		B.E 2012–13	R.E 2012–13
1.	Free Coaching & Allied Schemes for Minorities	2.00	1.40
2.	Grant-in-aid to State Channelising Agencies (SCA) engaged for implementation in NMDFC programme	0.20	0.06
3.	Research /studies , monitoring & evaluation of development Schemes, for Minorities including publicity (Professional Services)	0.30	0.30
4.	National Fellowship for Students from the Minority Community	7.00	6.60
5.	Computerization of records of State Waqf Boards	0.50	0.16
6.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	1.50	1.30
7.	Pre-Matric Scholarships for Minorities	90.00	75.00
8.	Post-Matric Scholarships for Minorities	50.00	32.50
9.	Multi Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts	111.10	70.00
10.	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	22.00	14.00
11.	Contribution to the Equity of NMDFC	10.00	10.00
12.	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	0.20	0.01
13.	Skill Development Initiatives	2.00	0.01
14.	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Services	0.50	0.01
15.	Strengthening of the State Waqf Boards	0.50	0.02
16.	Scheme for promotion of education in 100 minority concentration town/cities, out of 251 such town/cities identified as backward	5.00	0.01
17.	Village Development Programme for Villages not covered by MCB/MCD	5.00	0.01
18.	Support to District Level Institution in MCDs	2.50	0.01
19.	Free Cycle for Girls Students of Class IX	0.50	0.01
	Total	**310.80**	**211.41**

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 38

13.2 NMDFC gives special focus to easy availability of credit to the Minorities residing in North Eastern Region. NMDFC schemes are operational in the North Eastern States through SCAs with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under Term Loan and Micro credit schemes, out of Rs. 2078.46 crore provided to the minorities all over the country since inception till 31/12/2012, an amount of Rs. 139.81 (6.72%) has been disbursed to North Eastern States for 45,000 beneficiaries. In the current year 2012-13, out of total allocation of Rs. 440.05 crore in the country, an allocation of Rs. 43.94 Crore (9.98%) has been made for the North Eastern Region and up to 31st December 2012, an amount of Rs. 9.50 Crore has been released to NE region.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 39

CHAPTER 14

GRANT IN-AID SCHEME TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

14.1 The National Minorities Development and Finance Corporation implements its schemes through the State Channelising Agencies (SCAs). These agencies are nominated by the respective State Governments. The SCAs identify beneficiaries, channelize the lending and make recoveries from the beneficiaries. However, the most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

14.2 The Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improving the infrastructure of the SCAs during 2007-08. Under the scheme, assistance is provided on matching basis, the Central and the State Govt. contributing in the ratio of 90:10. The details of amount allocated and released by the Ministry for this scheme is as under:-

(Rs. in crore)

Year	BE	RE	Amount Released by the Ministry
2007-2008	10.00	10.00	10.00
2008-2009	5.00	2.30	0.00
2009-2010	2.00	2.00	2.00
2010-2011	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 41

CHAPTER 15

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

15.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July, 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7 Amendment) Act, 1956 consequent upon the recommendations of the States Reorganization Commission. Article 350-B envisages investigation by CLM of all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President upon these matters at such intervals as the President may direct, and the President cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government/ Administrations of States/UTs concerned. The CLM has its headquarters at Allahabad with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM interacts with States/Uts on all the matters pertaining to the issue concerning implementation of the Constitutional and nationally agreed Safeguards provided to linguistic minorities .48 Reports of the CLM have so far been laid in Parliament.

Shri K. Rahman Khan, Hon'ble Minister of Minority Affairs, Government of India, releasing the book by Dr. Nandlal Jotwani on CLM Organization

15.2 National Conference of Nodal Officers and Education Secretaries

The National Conference of Nodal Officers and Education Secretaries on "Implementation of the Safeguards for the Linguistic Minorities for Inclusive Development and National Integration" was held on 28th September 2012 at Allahabad. The National Conference highlighted the constitutional rights of linguistic minorities in the country to promote multilingualism and multiculturalism for inclusive development and national integration.

Former Justice Giridhar Malviya and former Justice N.N. Ganguli of the High Court, Allahabad lauded

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 42

the endeavour of the CLM in ensuring equal opportunities for the linguistic minorities in India.

15.3 Other activities:-

Shri K. Rahman Khan, Hon'ble Minister of Minority Affairs, Government of India, released a book "An Introduction to CLM Organization" by the CLM on 8.11.2012 at New Delhi. Speaking on the occasion, the Hon'ble Minister emphasized that effective implementation of the constitutional provisions relating to the functions of the CLM must be adhered to.

15.4 The CLM addressed the Linguistic Minority Associations in various States/U.T.s with a view to promoting minor languages, art and culture.

15.5 The CLM visited some States/U.T.s for on-the-spot inspection of implementation of the Constitutional Rights of the linguistic minorities. He also actively participated in various meetings of the Working Group as well as that of the Steering Committee of the Planning Commission, Government of India, on 'Empowerment of Minorities' during the course of formulation of the 12th Five Year Plan.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 43

CHAPTER 16

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

16.1 In January, 1978, Government of India, vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

16.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act, 1992.

16.3 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity provided that five members including the Chairperson shall be from amongst the minority communities. In accordance with Section 4 (1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

16.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/State Governments, for the protection of the interests of minorities and look into specific complaint regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

16.5 The present Commission consists of the following persons:-

1.	Shri Wajahat Habibullah	:	Chairperson
2.	Dr. H.T. Sangliana	:	Vice-Chairperson(Tenure ended on 14.12.2012)
3.	Vacant	:	Since 5.3.2012
4.	Shri Ajaib Singh	:	Member
5.	Shri Vinod Sharma	:	Member
6.	Ms. Syeda Bilgrami Imam	:	Member (Tenure ended on 31.12.12)
7.	Shri Keki N. Daruwalla	:	Member

16.6 The National Commission for Minorities, in accordance with Section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual Report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 44

State Governments/UT Administrations are forwarded to them to take necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992. The 18th Annual Report of the Commission for the Year 2010-11 is under finalization.

16.7 Till the 31st December, 2012 fourteen(14) Annual Reports of erstwhile Minorities Commission for the period 1978-79 to 1992-93 and seventeen (17) Reports of the Statutory Commission for the years 1993-94 to 2009-10 have been laid in Parliament. The first three Annual reports of the National Commission for Minorities, along with the Action taken Memoranda, were laid in both the Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry, thirteen Annual Reports along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein, were tabled in Parliament. The 18th Annual Report of the Commission for the year 2010-11 is under finalization.

16.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka , Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Utter Pradesh, Uttaranchal, Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Government of Punjab has set up non-statutory Commission. The Ministry has also requested the remaining State Governments/ Union Territory Administrations to set up such Commissions.

16.9 The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004, to confer constitutional status on the National Commission for Minorities and the National Commission for Minorities (Repeal) Biil, 2004 were introduced in the Lok Sabha in December, 2004. It was referred to the Standing Committee of Parliament. The Committee in its report had recommended that the Government should keep in view the observations made by the Supreme Court, in the case of Bal Patil Vrs UOI in its entirety, while finalizing the Constitution One Hundred and Third (Amendment) Bill, 2004.

16.10 The Supreme Court in its judgment in the Bal Patil case delivered on 08/08/2005, held: "Henceforth, before the Central Government takes decision on claims of Jains as a 'minority' under Section 2(c) of the Act, the identification has to be done on a state basis." In light of the above judgment, the report of the Standing Committee was examined in consultation with various other Ministries including the Ministry of Law & Justice. Thereafter official amendments to the Bill were prepared. Notice for moving official amendments, and for consideration and passing of these Bills, was initially given to the Lok Sabha on 11.05.2007.

In the meantime certain representations were received expressing concern on proposed official amendments to the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill, 2004. These representations were examined in consultation with the Ministry of Law & Justice. After consideration of representations notice for moving official amendments, and for consideration and passing of these Bills, was once again given to the Lok Sabha on 05.02.2009. However, with the dissolution of the 14th Lok Sabha, this notice could not be taken up and both these Bills together with the official amendments lapsed.

16.11 Further, Chairperson, NCM had sent a proposal to incorporate Chapters III and IV of the National Human Rights Commission Act, 1993 in the NCM Act to make NCM more effective and requested that the proposal for grant of Constitutional Status not be pursued further.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 45

CHAPTER 17

WAQF ADMINISTRATION AND CENTRAL WAQF COUNCIL

17.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Wakf Act, 1995, (erstwhile The Wakf Act, 1954) which came into force with effect from 1st January, 1996. The Act extends to whole of India except the State of Jammu and Kashmir. Thirty States have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J & K, which has its own Act. List of State/UT Waqf Boards constituted under the Wakf Act, 1995 is at Annexure x.

Interactive Meeting with Chairpersons & Chief Executive officers of state Wakf Boards

Scheme for computerization of the records of the State Waqf Boards

17.2 The Waqf properties are spread out all over the country but effective survey of waqf properties has not been carried out in most States. There is scope for large scale development of Waqf properties to ensure substantial income for the welfare schemes of the community.

17.3 The Joint Parliamentary Committee on Waqf in its 9th Report recommended computerization of the records of the State Waqf Boards.

17.4 In order to streamline record keeping of the waqf lands, introduce transparency and social audit and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of the State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to these Boards, including that of J&K was recommended by Joint Parliamentary Committee on Waqf. The proposal was approved on 25th November, 2009.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 46

17.5 The broad objectives of the scheme for computerization of Management of Waqf properties are as follows:-

a) Properties Registration Management.
b) Muttawalli Returns Management.
c) Leasing of Properties Management.
d) Litigations Tracking Management.
e) Documents Archiving & Retrieval Management.
f) GIS of Waqf Properties. Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muzzins, widows, girls marriages, scholarships, schools, hospitals, dispensaries, musafirkhanas, skill development centres etc.
g) Loans Management for development of Urban Waqf properties.

17.6 The schemes of computerization is to be applicable uniformly across all the 29 State Waqf Boards including Waqf Board of Jammu & Kashmir, making a special request for funding subject to availability of funds. The project also encompasses a handholding support period of 2 years with minimal financial support to hire some computer personnel by State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. An amount of Rs. 0.70 Crore has been released under the scheme during the year up to 31.12.2012. The Central Computing Facility has been set up in 25 SWBs and data entry is in progress. 1,82,233 Wakf proprieties have been registered in the central data base, preparation for digitization of 77,826 wakf records has also been completed and digitalization of records of 2 SWBS have been completed . In 2 SWBs the setting up of the Central Computing Facility is nearing completion.

CENTRAL WAKF COUNCIL

17.7 The Central Wakf Council was set-up as a Statutory Body in 1964 by the Government of India under the provisions of Section 8A of Wakf Act, 1954 (now read as sub-section 1 of the Section 9 of the Wakf Act, 1995) with the main objective to advise to the Government of India on matters pertaining to the working of the State Wakf Boards and proper administration of the Wakfs in the Country. The Council has a Chairperson, who is the Union Minister In charge of Wakfs, presently Shri K. Rahman Khan, Minister of Minority Affairs, Government of India is the Chairperson of Central Wakf Council. There are 20 other members of the Council from different categories as mentioned in the Wakf Act. The present Council was constituted on 12.05.2011 for a period of five years.

Vision

17.8 Protection, Conservation, effective administration, E-monitoring and sustainable use of Wakf.

Mission

17.9 To play pro-active role in protection of Wakf, retrieval of Wakf Properties, strengthening the scheme for development of Wakf, law making for betterment and creating new Wakf.

Advisory Role during the period under Report:

17.10 Under the scheme of the Computerization of the records of the State Wakf Board, the CWC has been mandated to play the role of facilitator on Wakf Management System of India (WAMSI) in co-ordination with the National Informatics Centre (NIC). The Central Computing Facility Centre

Sl. No.	Name of the projects	Amount (Rs.in lakhs)
1.	Development project of Dr. Zakir Hussain Colony, Muslim Jamath, Mulgunda, Naka Gadag (Karnataka)	27.00
2.	Development project of Millath Social Welfare & Education Society, Betgiri, Gadag (Karnataka)	45.00
3.	Development project of Azizur Rehman Khan Wakf No. 19-A, Rampur (U.P)	27.00
4.	Development project of Engineering College NUH, Mewat Haryana	65.00
5.	Development project of Muslim Hostel, Saraswathipuram, Karnataka	22.00
6.	Development project of Mahmuda Shiksha and Gramin Vikas Bahu Uddeshiya Wakf Sanstha, Nagpur Maharashtra	35.00
7.	Development project of Hyderia Masjid Mahallu Committee Ottapalam, Kerala	12.00
8.	Development project of Waqf Akhada Masjid, Dewas (M.P.)	20.00
9.	Development project of Masji-e-Ummul Husnain, Indira Nagar, Bangalore (Karnataka)	35.00
	Total	**288.00**

(CCF) installed in the Council has been inaugurated on 28.12.2012 by the Hon'ble Minister of Minority Affairs & Chairman, CWC.

17.11 Apart from taking up issues as per the objectives of the council it has also been participating in the development process of the society by way of implementing the following schemes:-

(i) Scheme for Development of Urban Wakf Properties:

Apart from taking up the issues as per the objectives of the Council, it has also been participating in the development process of the Community by implementing Welfare Schemes for the betterment of the Community.

Since 1975, the Council initiated a scheme of grant-in-aid received from the Government of India for developing the Wakf Properties on commercial line, with a view to augment the resources of the Wakf Institutions, enabling them to enlarge their welfare activities for the benefit of the Community. These projects carried out in a number of States. Under the scheme the Government of India has released total grant-in-aid amounting to Rs. 39.85 Crore.

(ii) Progress during the period under Report

Grants-in-aid amounting to Rs. 2.88 Crore, has been released up to 31.12.2012 to the following Wakfs:-

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 48

(iii) Minor Projects:

The scheme for the Development of Urban Wakf Properties envisages repayment of loan and donation @ 4% on the outstanding loan. The repayment of loan forms revolving fund of the Council, which is again utilized for advancing loan to the minor projects upto Rs. 50.00 lakh. The Council has been encouraging the State Wakf Boards to undertake more developmental projects with a loan upto Rs. 50.00 lakh. Under the scheme, the Council has advanced a total loan amounting to Rs. 5.29 Crore to 91 projects.

During the period under report, the Council has sanctioned Rs. 25.00 lakh under the above scheme for the Development project of Pattihara Jumma Masjid, Ottapalam, Palakkad, Kerala.

(iv) Educational Schemes:

The Central Wakf Council has been actively involved in carrying out the social and welfare obligations of the Community by undertaking various financial support programmes such as establishment and strengthening of ITIs and Vocational Training Centre by extending grant to the NGOs and Technical Institutions, financial assistance for developing Book Bank in school libraries etc. The programmes under the educational scheme are being financed out of the Education Fund of the Council.

During the year under report, a grant of Rs. 49.60 lakhs was sanctioned/released for various programmes.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 49

CHAPTER 18

THE DURGAH KHWAJA SAHEB, AJMER

18.1 The Durgah of Khwaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah Khwaja Saheb Act, 1955, provides for the administration, control and management of the Durgah Endowment of the Durgah Khwaja Moinuddin Chishty (R.A). Under this Central Act, the administration, control and management of Durgah Endowment has been vested in a representative Committee known as the Durgah Committee. The said Act and Bye Laws framed under the Act are available on the website: www.gharibnawaz.in. The last Durgah committee was constituted on 24th August, 2007, the tenure of which expired on 23rd August, 2012 after completion of a period of 5 years as per DKS Act, 1955. The new committee is under constitution.

18.2 Powers and Duties of the Durgah Committee

- To administer, control and manage the Dargah Endowment.
- To keep the building within the boundries of the Durgah Sharif and all buildings, houses and shops comprised in the Durgah Endowment in proper order and in a state of good repair.
- To receive all moneys and other income of the Durgah Endowment.
- To see that the Endowment funds are spent in the manner desired by the donors.
- To pay salaries, allowances and perquisites and make all other payments due out of , or charged on, the revenues or income of the Durgah Endowment.
- To determine the privileges of the Khadims and to regulate their presence in the Durgah by the grant of them licenses in that behalf, if the Committee thinks it necessary so to do.
- To determine the powers and duties of the Advisory Committee.
- To determine the functions and powers, if any, which the Sajjadanashin may exercise in relation to the Durgah.
- To appoint, suspend or dismiss servants of the Dargah Endowment.
- To make such provision for the education and maintenance of the indigent descendants of Khawaja Moin-ud-din Chishti and their families and the indigent Khadims and their families residing in India as the Committee considers expedient consistently with the financial position of the Durgah.
- To delegate to the Nazim such powers and functions as the Committee may think fit.
- To do all other such things as may be incidental or conducive to the efficient administration of the Durgah.

18.3 Management of Urs and Congregations:

The Annual Urs in May, 2012 and Mini Urs (Muharram) in December, 2012 were arranged successfully. Infrastructural arrangements were made by the Durgah Committee, Government of Rajasthan and the district administration, Ajmer.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 51

CHAPTER 19

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

19.1 The National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994 as a non-profit company under Section 25 of the Companies' Act, 1956. NMDFC provides concessional loans for self-employment and income generating activities to persons of minority communities, having a family income below double the poverty line which at present is Rs. 55,000 per annum and Rs. 40,000 per annum in urban and rural areas respectively. NMDFC provides loans through (i) State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State /UT Governments and (ii) through Non-Governmental Organizations (NGOs). The following are the schemes run by NMDFC:-

(i) The scheme of Term Loan is implemented through SCAs, for individual beneficiaries, wherein projects costing up to Rs. 5.00 Lakh are financed. Funds for this purpose are made available to the SCAs at an interest rate of 3% for further loaning to the beneficiaries at 6%.

(ii) Under the Educational Loan Scheme implemented through the SCAs, NMDFC provides Rs. 2,50,000 to the eligible candidates belonging to minority communities at a concessional interest rate of 3% per annum for pursuing professional and technical education. For educational loans, the funds are made available to the SCA at 1% for further loaning to the beneficiaries at an interest rate of 3% per annum.

(iii) Under micro financing scheme, implemented through SCAs as well as NGOs, micro-credit up to Rs. 25,000 is being given to each of the members of the Minority Self Help Groups (SHGs). Funds for this purpose are made available to the NGOs/SCAs at an interest rate of 1% per annum for further loaning at an interest rate of 5% per annum to the beneficiaries.

(iv) In addition, NMDFC is also implementing schemes of Vocational Training and Marketing Assistance through the SCAs for capacity building of the target groups for self employment as well as wage employment.

19.2 To implement its programmes, NMDFC has authorized Share Capital of Rs.1500 Crore out of which, the share of Govt. of India is Rs. 975.00 Crore (65%) and the share of State Governments/UTs is Rs. 390.00 Crore (26%) while the remaining Rs. 135.00 Crore (9%) is to be contributed by institutions / Individuals having interest in Minorities.

19.3 Govt. of India has, since inception till 31.12.2012, contributed Rs. 975.00 Crore (100%) to the equity of NMDFC, while Rs. 219.47 Crore (56.27%) has been contributed by the various State Governments / UTs during this period. An amount of Rs. 0.01 Crore has been contributed by Institutions / individuals having interest in Minorities.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 52

19.4 Achievements:

a. Since inception till 31/12/2012, NMDFC has given Term Loan assistance of Rs. 1589.67 Crore to 3,77,575 beneficiaries spread over 28 States and 4 Union Territories. In the current financial year 2012-13, an amount of Rs. 93.00 Crore has been disbursed to 9739 beneficiaries up to 31st December, 2012.

b. Micro Financing is being implemented by NMDFC since 1998-99 initially through NGOs and later on SCAs were also involved in implementation. Upto 31/12/2012, a total disbursement of Rs. 488.82 Crore has been made under the micro financing scheme for 4,76,469 beneficiaries. In the current financial year 2012-13, micro-credit of Rs. 92.25 Crore has been disbursed for 40998 beneficiaries up to 31/12/2012.

c. Since inception upto 31/12/2012, NMDFC has disbursed a consolidated amount of Rs. 2078.49 Crore to 8,54,046 beneficiaries. During the current financial year 2012-13, a consolidated amount of Rs. 185.25 Crore has been disbursed to 50737 beneficiaries till 31/12/2012.

d. A scheme for providing grants-in-aid to State Channelising Agencies (SCAs) for strengthening of their infrastructure was launched by the ministry in 2007-08. Assistance under this scheme is provided to SCAs for awareness campaigns, improvement in delivery system, training of manpower, debt recovery etc. Under the scheme, the assistance is on matching basis, the Central and the State Govt. contributing in the ratio of 90:10. An amount of Rs. 1.35 crore was released during 2011-12. For 2012-13, Rs. 2 crore have been allocated for the scheme.

e. The annual Report and audited accounts of NMDFC for 2011-12 were laid in the Lok Sabha on 20th December, 2012 and in the Rajya Sabha on 17th December, 2012.

19.5 In order to expand the coverage of NMDFC's programmes and schemes and to strengthen its operations, the Ministry with the approval of Cabinet, has taken action for 'Restructuring of NMDFC'. A Consultant was appointed to work out the detailed proposal of restructuring. The consultant submitted its final Reports in July, 2011. Thereafter, the Ministry constituted a High Level Committee (HLC) with members from Deptt. of Financial Services, NABARD and Reserve Bank of India, to finalize restructuring of NMDFC keeping in view the directions of Cabinet, suggestions of the Consultants and extant laws and guidelines of Reserve Bank of India. The final Report of HLC was approved by the then Minister of minority Affairs. On the basis of recommendations of HLC, a draft Note for the Cabinet was circulated for inter-ministerial consultations. However, on the advice of Planning Commission and the Deptt. of Expenditure (Ministry of Finance) that EFC approval be first sought, an EFC memorandum is under preparation.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 53

CHAPTER 20

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

20.1 Introduction:

Maulana Azad Education Foundation is a voluntary, non-political, non-profit making social service organisation established to promote education amongst the educationally backward minorities. It was registered as Society under the Societies Registration Act, 1860 in July 1989.

20.2 Main Objective: The aim of the Foundation is to formulate and implement educational schemes and plans for benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker sections in general.

20.3 Constitution of MAEF: The Hon'ble Minister of Minority Affairs is the Ex-Officio President, MAEF. There are 15 members in the General Body of MAEF which includes 06 Ex-Officio members and 09 members nominated by the President,MAEF. The management of its affairs is entrusted with its Governing Body which consists of 06 members including President, MAEF, Vice President, MAEF, Treasurer, MAEF and 03 members to be elected from amongst the members General Body.

20.4 Resources of MAEF: The only source of its income is interest earned from investment of the Corpus Fund of MAEF.

Corpus Fund: The MAEF has received total Corpus Fund of Rs.750 crore from the Govt. of India which is kept invested in fixed deposit with banks and interest earned thereon is utilized for implementation of educational schemes of MAEF.
The MAEF has also received Rs. 12 lakh as contribution towards its Corpus Fund from the HPCL, SAIL and IDBI Bank.

20.5 Existing Educational Schemes: MAEF is implementing the following two main schemes:

20.5.1 Grant-in-aid to NGOs for infrastructure development of educational institutions:

MAEF is providing grant-in-aid

- Construction/ Expansion of schools/ B.Ed. Colleges / VTC / ITI / Polytechnic and Hostel buildings
- Purchase of Science / Computer lab equipments / furniture
- NGOs running for at least three years & managing recognized educational institutions with more than 50% minorities students can apply.
- Maximum ceiling limit is Rs. 30 lakh.

20.5.2 Maulana Azad National Scholarship to meritorious girl students belonging to minorities:
Scholarship is given @ Rs.12,000/- per student (in two installments of Rs.6,000 each) to the girl students belonging to minorities based on the following criterion:

- Passed 10th class with minimum 55% marks
- Confirmed admission to class 11th class.
- Having Parents income less than Rupees one lakh per annum.
- Selection is made on merit basis based on State- wise quota.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 54

20.6 Achievements:

The schemes of MAEF have gained large popularity across the country. The MAEF is implementing its schemes directly without intervention of any intermediary agency. The benefits of its schemes have reached in almost every part of the country.

20.6.1 Grant-in-aid: Upto 31.12.2012 the MAEF has sanctioned Grant-in-aid of Rs.165.69 crore to 1261 NGOs spread over 27 States/UTs. Out of this, the Foundation has sanctioned Rs. 12.46 crore to 94 NGOs during the current financial year i.e., 2012-13. State-wise summary of Grant-in-aid sanctioned by MAEF upto 31.12.2012 (since inception) and during the current financial year 2012-13 are enclosed at Annexure – xi & xii respectively.

20.6.2 Scholarship: Upto 31.3.2012 the MAEF has sanctioned Scholarship of Rs. 90.24 crore to 77,003 girls students spread in 32 States/UTs under the scheme of Maulana Azad National Scholarship. The Foundation has sanctioned scholarship of Rs. 90.24 crores to 77,003 meritorious girl students belonging to the minorities from 2003-04 to 2011-12. State-wise summary of Scholarship sanctioned upto 2011-12 is enclosed at Annexure – xiii.

20.7 Other achievements during 2012-13:

- In addition to above, the MAEF has redesigned its website during the financial year 2012-13 making it more dynamic and incorporating complete information about MAEF.
- New modules for making online applications under grant-in-aid and scholarship schemes have also been introduced.
- During the current financial year 2012-13, the MAEF has received 30,585 applications of Scholarship online. Similarly 68 applications under Grant-in-aid scheme have been received online by MAEF.
- Status of pending proposals for grant-in-aid is placed on website which is updated on regular basis.

20.8 Provisional information for the period January, 2013 to March,2013:

- The applications received under Scholarship scheme during the current financial year 2012-13, are under process and likely to be sanctioned soon.
- For the current year (2012-13), the total quota of scholarship has been enhanced to 25,000 @ Rs.12,000/- each as compared to the quota of 20,000 last year.
- The target of sanctioning scholarship of Rs. 30 crore to 25,000 girl students (i.e., @ Rs. 12,000/-) is likely to be achieved.
- More than 150 proposals of NGOs for grant-in-aid are under process and it is likely that an additional amount of Rs.15 crore to at least 100 NGOs may be sanctioned as grant-in-aid by March,2013.

20.9 Vocational Training Centre for Women run by MAEF:

The Foundation is also running a Vocational Training Center for Women at Ajmeri Gate, Delhi where free training is provided to girls under various vocational courses like Cutting & Tailoring, Textile Designing, Beauty Culture, Arts & Crafts and Computers.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 55

20.10 Future Programmes:

- Establishment of Maulana Azad Public Schools
- Establishment of ITIs /Vocational Training Centres
- Establishment of Maulana Azad Chairs
- Establishment of Libraries
- Establishment of five Minority Universities
- Expansion of Scholarship programme

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 57

CHAPTER 21

GENDER SPECIFIC ISSUES AND GENDER BUDGETING

21.1 Ministry of Minority Affairs has started implementation of an exclusive scheme for "Leadership Development of Minority Women" from 2012-13. The objective of the programme is to empower and instill confidence in women, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, banks, and intermediaries at all levels. Till 31.12.2012, Rs. 10.45 Crore have been released to 64 organizations in 12 States for imparting leadership training to 36950 minority women under the Scheme for Leadership Development of Minority Women.

21.2 Keeping in view the fact of women being the weakest section among minorities, special focus is extended to credit needs of women by NMDFC. The micro financing scheme of NMDFC mainly focuses on poor minority women aiming their empowerment by way of meeting their credit needs in an informal manner through Non-Governmental Organizations and Self Help Groups. Since inception till 31/12/2012, NMDFC has assisted 4,76,469 beneficiaries with micro credit of Rs 488.82 Crore, out of which over 90% of the beneficiaries are women.

21.3 Mahila Samridhi Yojana

An exclusive Scheme of Mahila Samridhi Yojana links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to Rs.25000 with an interest rate of 4% per annum for starting their income generation activities.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 59

CHAPTER 22

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

22.1 In accordance with the provisions of Section 4(1) (b) of the Right to information Act, 2005 this Ministry has uploaded all the relevant information viz the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. in the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in.for information and guidance of the general public. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

22.2 To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions(FAQ), statistics of achievements under each Scheme / Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyperlink is provided in the website of the Ministry. Further, under the MsDP, the States/UTs submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes / programmes in the Ministry.

22.3 Because of the affirmative actions taken by the Ministry to bring about transparency, responsiveness and greater participation of civil society, the Cabinet Secretariat on 14th January 2011 has requested all Secretaries of all Ministries / Departments of the Government of India for adoption of the procedures implemented by the Ministry.

22.4 The Ministry of Minority Affairs has designated nine CPIOs and the three Joint Secretaries as Appellate Authorities under this Act. In 2012-13 (upto 31st December, 2012), 272 applications and 16 appeals under the RTI Act were received and disposed of. A quarterly Report of the status of RTI applications and appeals is regularly being uploaded on the website of the Central Information Commissioner.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 61

CHAPTER 23

POLICY DECISIONS AND ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING THE YEAR FOR THE BENEFIT OF THE PERSONS WITH DISABILITIES

23.1 The Ministry of Minority Affairs came in to existence on 29th January, 2006 to ensure more focused approach towards the issues relating to the minorities and to facilitate the formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of regulatory framework and development programmes for the benefit of the minority communities. The Ministry has a small set up consisting of sanctioned strength of only ninety eight officers and staff with one Secretary, three Joint Secretaries and one Joint Secretary-cum Financial Advisor (additional charge). The Ministry essentially is officer oriented and most of the middle level officers work on the Desk Officers' pattern.

23.2 Out of 98 sanctioned strength of officers/staff (most of which are filled from organized services) 66 posts have been filled up in the Ministry. Since inception of the Ministry only 3 posts of Peon (now designated as MTS) have been filled up from open market and one post of Assistant Director has been filled by absorption of the officer on deputation. Majority of the posts i.e. Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary, Section Officers, Assistants, Sr. PPS, PPS, PS, PA, Stenographers Grade 'D' are filled up through DoPT. The remaining posts are being filled through Deputation/Absorption. The question of reservation to the persons with disabilities does not arise. Provisions regarding reservation for persons with disabilities will, however, be complied with during recruitment in future. The Ministry of Minority Affairs is located in Paryavaran Bhawan, Lodhi Road, New Delhi, which is being maintained by C.P.W.D. and the C.P.W.D. may be complying with guidelines and instructions for the benefit of the Persons with disabilities.

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 63

CHAPTER 24

GOVERNMENT AUDIT

24.1 The Audit paragraphs of the C&AG which have appeared in its various Reports laid in Parliament relating to the accounts and transactions of the Ministry and NMDFC together with their status as on date are shown in the table below :-

S. No.	Report No.	Paragraph number and subject	Action taken
1.	Report No. 8 of 2012-13.	Para No. 9.4	"Fund Management" in Government companies formed under section 25 of the Companies Act, 1956. Reply sent to Principal Director of Commercial Audit and ex-officio Member, Audit Board-II, New Delhi on 6.3.2012. The revised thematic draft para was received from Pr. Director of Commercial Audit on 17.4.2012. The reply was sent on 08.05.2012 .

Lay english_Layout 1 26/03/13 3:04 PM Page 65

CHAPTER 25

RESULTS-FRAMEWORK DOCUMENT, CITIZEN'S CLIENT'S CHARTER AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

25.1 Pursuant to the announcement made in the President's address to both Houses of Parliament on 4th June 2009, the Prime Minister approved the outline of the Performane Monitoring and Evaluation System for the Government Departments on 11th September 2009.

According to this system, each Department is required to prepare a Results Framework Document consisting of priorities set out by the Minister concerned, President's address and announcements, agenda as spelt out by the Government from time to time. This Ministry completed the preparation of its first RFD for the year 2009-10 on 30th November 2009. This was the beginning of an exercise to bring about transparency and accountability in the Government with a shift from "reducing quantity of government" to "increasing quality of government".

Based on the evaluation of the performance of the Ministry during the year 2009-10, the Cabinet Secretariat has awarded the Ministry an overall composite score of 92.76% which was higher than the average composite score of 89.40 % for 59 Departments of the Government.

25.2 The Citizen's / Clients Charter of the Ministry for the year 2011-2012 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement was prepared and uploaded on the Cabinet Secretariat's website on 2nd May 2011. The RFD of the Ministry for the year 2012-13 has also been uploaded on the Cabinet Secretariat's website. The mid-term achievements under RFD 2012-13 were uploaded on 29th October 2012. As per the advice of Performance Management Division RFD of the year 2011-12 and corresponding achievement and composite score are as under.

25.3 A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 67

R F D

(Results-Framework Document)

for

Ministry of Minority Affairs

(2011-12)

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 69

Section 1:

Vision, Mission, Objectives and Functions

Vision

Empowering the minority communities and creating an enabling environment for strengthening the multi-cultural, multi-lingual and multi-religious character of our nation.

Mission

To improve the socio-economic conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has equal opportunity to participate actively in building a vibrant nation. To facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

Objective

1 Educational Empowerment of Minority communities

2 Area Development

3 Institutional Strengthening

4 Socio-economic empowerment of Minority Communities

Functions

1 Policy functions.

2 Monitoring function through regular meetings; Conferences; review mechanism etc.

3 Developmental initiatives (Area Development; Leadership Development for Minority women, socio-economic Development though education)

4 Regulatory function (NCM Act, Wakf Act, Dargah Act.)

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 70

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] Educational Empowerment of Minority communities	40.00	[1.1] Sanctioning of Pre-matric scholarships.	[1.1.1] Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	15.00	27	25	23	21	19
		[1.2] Sanctioning of Post-matric scholarships.	[1.2.1] Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	13.00	5.25	4.80	4.40	4.20	3.80
		[1.3] Sanctioning of scholarships under Merit-cum-means scheme.	[1.3.1] Number of scholarships sanctioned	number in thousand	4.00	20	18	16	14	12
		[1.4] Assistance for coaching under Free Coaching and allied scheme.	[1.4.1] Number of beneficiaries	number	2.00	5760	5184	4608	4032	3456
		[1.5] Fellowships under Maulana Azad National Fellowship for minority students.	[1.5.1] Number of Fellowships	number	4.00	756	680	574	452	326
		[1.6] Report on evaluation on scholarship scheme.	[1.6.1] Documentation report	Date	2.00	16/01/2012	01/02/2012	29/02/2012	15/03/2012	01/03/2012
[2] Area Development	31.00	[2.1] Approval of District Plans for Minority Concentration Districts in full.	[2.1.1] Number of District Plans approved in full	number of district plans	15.00	44	43	42	41	40
		[2.2] Documentation report of physical and financial achievement district-wise of the previous year.	[2.2.1] Documentation report	Date	6.00	01/10/2011	01/11/2011	01/12/2011	02/01/2012	01/02/2012
		[2.3] Construction of housing units under Indira Awas Yojna.	[2.3.1] Number of units	number	2.00	25086	22577	20069	17560	15052
		[2.4] Construction of Primary Health sub-centres.	[2.4.1] Number of units	number	1.00	136	122	109	95	82
		[2.5] Construction of additional class rooms in existing primary/secondary/ high schools.	[2.5.1] Number of units	number	1.00	1846	1661	1477	1292	1108

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
		[2.6] Construction of Anganwadis.	[2.6.1] Number of units	number	1.00	1144	1030	915	801	686"
		[2.7] Construction of Hand Pump ring Wells.	[2.7.1] Number of units	number	1.00	2127	1914	1702	1489	1276
		[2.8] Release of funds as percentage of budgeted amount.	[2.8.1] Documentation report	%	2.00	100	90	80	70	60
		[2.9] Formulation of terms of reference.	[2.9.1] Documentation report	Date	2.00	30/05/2011	15/06/2011	30/06/2011	15/07/2011	01/08/2011
[3] Institutional Strengthening	4.00	[3.1] Computerization of records of State Waqf Boards—completion of Central Computing Facilities and imparting of training.	[3.1.1] Number of State Waqf Boards	number	4.00	5	4	3	2	1
[4] Socio-economic empowerment of Minority Communities	10.00	[4.1] Leadership development of minority women.	[4.1.1] Number of beneficiaries	number	3.00	56850	51165	46048	41444	37300
		[4.2] Half yearly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee-A.	[4.2.1] Reports to be sent	Date	1.50	15/05/2011	31/05/2011	15/06/2011	30/06/2011	15/07/2011
		[4.3] Half yearly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee-B.	[4.3.1] Reports to be sent	Date	1.50	15/12/2011	16/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012
		[4.4] Half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme-A.	[4.4.1] Reports to be sent	Date	2.00	30/06/2011	15/07/2011	31/07/2011	16/08/2011	31/08/2011
		[4.5] Half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the	[4.5.1] Reports to be sent	Date	2.00	15/12/2011	16/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 72

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
		implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme- B.								
* Efficient Functioning of the RFD System	3.00	Timely submission of Draft for Approval	On-time submission	Date	2.0	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011
		Timely submission of Results	On- time submission	Date	1.0	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012
* Improving Internal Efficiency / Responsiveness / Service delivery of Ministry / Department	10.00	Implementation of Sevottam	Resubmission of revised draft of Citizens' / Clients' Charter	Date	2.0	15/12/2011	20/12/2011	25/12/2011	28/12/2011	31/12/2011
			Independent Audit of Implementation of Grievance Redress Mechanism	%	2.0	100	95	90	85	80
		Ensure compliance with Section 4(1) (b) of the RTI Act, 2005	No. of items on which information is uploaded by February 10, 2012	No	2.0	16	15	14	13	12
		Identify potential areas of corruption related to departmental activities and develop an action plan to mitigate them	Finalize an action plan to mitigate potential areas of corruption.	Date	2.0	10/02/2012	15/02/2012	20/02/2012	24/02/2012	29/02/2012
		Develop an action plan to implement ISO 9001 certification	Finalize an action plan to implement ISO 9001 certification	Date	2.0	10/02/2012	15/02/2012	20/02/2012	24/02/2012	29/02/2012
* Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework	2.00	Timely submission of ATNS on Audit Paras of C&AG	Percentage of ATNS submitted within due date (4 months) from date of presentation of Report to Parliament by CAG during the year.	%	0.5	100	90	80	70	60
		Timely submission of ATRs to the PAC Sectt. on PAC Reports.	Percentge of ATRs submitted within due date (6 months) from date of presentation of Report to Parliament by	%	0.5	100	90	80	70	60

* *Mandatory Objective(s)*

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 73

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
			"PAC during the year."							
		"Early disposal of pending ATNs on Audit Paras of C&AG Reports presented to Parliament before 31.3.2011."	"Percentage of outstanding ATNs disposed off during the year."	%	"0.5	100	90	80	70	60
		"Early disposal of pending ATRs on PAC Reports presented to Parliament before 31.3.2011"	"Percentage of outstanding ATRs disposed off during the year."	%	0.5	100	90	80	70	60
** Mandatory Objective(s)*										

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 75

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value FY 09/10	Actual Value FY 10/11	Target Value FY 11/12	Projected Value for FY 12/13	Projected Value for FY 13/14
[1] Educational Empowerment of Minority communities	[1.1] Sanctioning of Pre-matric scholarships.	[1.1.1] Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	15	20	25	28	30
	[1.2] Sanctioning of Post- matric scholarships.	[1.2.1] Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	3	4	4.80	5.75	6.50
	[1.3] Sanctioning of scholarships under Merit- cum-means scheme.	[1.3.1] "Number of scholarships sanctioned"	number in thousands	20	20	18	20	20
	[1.4] Assistance for coaching under Free Coaching and allied scheme.	[1.4.1] Number of beneficiaries	number	5760	5760	5184	5760	5760
	[1.5] Fellowships under Maulana Azad National Fellowship for minority students.	[1.5.1] Number of Fellowships	number	--	756	680	756	756
	[1.6] Report on evaluation on scholarship scheme.	[1.6.1] "Documentation report"	Date	--	--	01/02/2012	--	--
[2] Area Development	[2.1] Approval of District Plans for Minority Concentration Districts in full.	[2.1.1] Number of District Plans approved in full	number of district plans		13	15	43	--
	[2.2] Documentation report of physical and financial achievement district-wise of the previous year.	[2.2.1] Documentation report	Date		--	01/10/2010	01/11/2011	--
	[2.3] Construction of housing units under Indira Awas Yojna.	[2.3.1] Number of units	number		--	50000	22577	--
	[2.4] Construction of Primary Health sub-centres.	[2.4.1] Number of units	number		--	550	122	--

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 76

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value FY 09/10	Actual Value 10/11	Target Value Pro FY 11/12	Projected Value for FY 12/13	Projected Value for FY 13/14
	[2.5] Construction of additional class rooms in existing primary/secondary	[2.5.1] Number of units	number	–	2000	1661	–	–
	[2.6] Construction Anganwadis.	[2.6.1] Number of units	number	–	6000	1030	–	–
	[2.7] Construction of Hand Pump ring Wells.	(2.7.1) Number of units	number	–	–	1914	–	–
	[2.8]Release of funds as percentage of budgeted amount.	(2.8.1) Documentation report	%	–	–	90	–	–
	(2.9) Formulation of terms of reference.	(2.9.1)Documentation report	Date	–	–	15-6-2011	–	–
(3) Institutional Strengthening	(3.1) Computerization of records of State Waqf Boards—completion of Central Computing Facilities and imparting of training.	(3.1.1) Number of State Waqf Boards	number	–	15	4	–	–
(4) Socio-economic empowerment of Minority Communities	(4.1) Leadership development of minority women.	(4.1.1)Number of number beneficiaries	number	–	56850	51165	56850	56850
	(4.2) Half yearly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee-A.	(4.2.1) Reports to be sent	Date	–	15-11-2010	31-5-2011	15-2-2012	–
	(4.3) Half yearly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee-B.	(4.3.1) Reports to be sent	Date	–	–	16-1-2012	–	–

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 77

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value FY 09/10	Actual Value FY 10/11	Target Value FY 11/12	Projected Value for FY 12/13	Projected Value for FY 13/14
	[4.4] Half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme-A.	[4.4.1] Reports to be sent	Date	--	31/12/2010	15/07/2011	02/07/2012	--
	[4.5] Half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme-B.	[4.5.1] "Reports to be sent	Date	--	--	16/01/2012	--	--
* Efficient Functioning of the RFD System	Timely submission of Draft for Approval	On-time submission	Date	--	05/03/2010	07/03/2011	--	--
	Timely submission of Results	On- time submission	Date	25/05/2010	02/05/2011	03/05/2012	--	--
* Improving Internal Efficiency / Responsiveness / Service delivery of Ministry / Department	Implementation of Sevottam	Resubmission of revised draft of Citizens' / Clients' Charter	Date	--	--	20/12/2011	--	--
		Independent Audit of Implementation of Grievance Redress Mechanism	%	--	--	95	--	--
	Ensure compliance with Section 4(1) (b) of the RTI Act, 2005	No. of items on which information is uploaded by February 10, 2012	No	--	--	15	--	--
	Identify potential areas of corruption related to departmental activities and develop an action	Finalize an action plan to mitigate potential areas of corruption.	Date	--	--	15/02/2012	--	--

* Mandatory Objective(s)

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 78

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value FY 09/10	Actual Value FY 10/11	Target Value FY 11/12	Projected Value for FY 12/13	Projected Value for FY 13/14
	plan to mitigate them							
	Develop an action plan to implement ISO 9001 certification	Finalize an action plan to implement ISO 9001 certification	Date	--	--	15/02/2012	--	--
* Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework	Timely submission of ATNS on Audit Paras of C&AG	Percentage of ATNS submitted within due date (4 months) from date of presentation of Report to Parliament by CAG during the year.	%	--	100	90	--	--
	Timely submission of ATRs to the PAC Sectt. on PAC Reports.	Percentge of ATRs submitted within due date (6 months) from date of presentation of Report to Parliament by PAC during the year.	%	--	100	90	--	--
	Early disposal of pending ATNs on Audit Paras of C&AG Reports presented to Parliament before 31.3.2011.	Percentage of outstanding ATNs disposed off during the year."	%	--		90	--	--
		Percentage of outstanding ATRs disposed off during the year.	%	--	100	90	--	--
* Mandatory Objective(s)								

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 79

Section 4:

Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

The proposed measurement methodology for each action point and each success indicator under each objective is precise and has benn clearly defined in Sections 2 and 3 above.

The monitoring of the schemes through review meetings and since their implementation, has led the ministry to adopt the proposed measurement methodology as the same are measurable in real terms and therefore unambiguous.

Refer 2.3.1 Section 2:- Paragraph on dweling units under Indira Awas Yojna; MsDP is a special area development programme to address the development deficit in 90 minority concentration districts across the country through the top-up approach. The assets sanctioned and created under MsDP, IAY houses in the instant case, are in addition to the assets sanctioned and created under respective centrally sponsored schemes (CSSs). This is a demand based programme and reduction in the target is due to lower demand by the minority concentration districts.

Refer 2.4.1 Section 2:- Paragraph on lower targets in construction of primary health sub centers: as mentioned above, MsDP being a demand based special area development pogramme to address the development deficit in 90 minority concentration districts across the country, the lower targets in construction of primary health sub-centres had been due to lower demand by the MCDs due to availability of sufficient funds under National Rural Health Mission. Construction of ITIs:- The item entitled 'Consturction of ITIs' was not included in section 2 of RFD 2010-11 and 2011-12. However, forecasting and estimating of tentative requirements of funds for the construction of ITIs may not serve the purpose, as forecasting and estimation based on physical number of units may be more appropriate and outcome-oriented. Therefore, percentage release of funds with respect to the estimated requirements may not become criterion for target setting.

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 81

Section 5:

Specific Performance Requirements from other Departments

1. States/UTs will be required to submit proposals on time to the Ministry as laid down in the Clients /Citizen’s Charter of the Ministry for the calendar year 2011, to allow timely release of funds.

2. Timely release of funds including share by States/UT Governments to line departments / beneficiaries / NGOs is a pre-requisite for the success of the schemes / programmes.

3. The timely submission of utilization certificates of funds released to States / UTs under each scheme/programmee can only allow promnpt processing and release of further installment of funds to the States / UTs by the Ministry.

4. Appraisal and commemnts of concerned line Ministries to be obtained from projects related to their programmes / schemes.

5. States / UTs to regularly monitor and report on the implementation of the programmes.

6. Achievement of the target of 20,000 fresh scholarships under merit cum means scholarship is dependent on getting adequate proposals from State / UT governments towards Buddhists and Christian quota meant for them, as inter community diversion of unused quota is not permitted under the rules.

7. Achievement and performance under RFD would be subject to the condition that at least 85% of the sanctioned posts are filled up.

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 82

Section 6: Outcome/Impact of Department/Ministry								
Outcome/ Impact of Department/ Ministry	**Jointly responsible for influencing this outcome / impact with the following department (s) / ministry(ies)**	**Success Indicator**	**Unit**	**FY 09/10**	**FY 10/11**	**FY 11/12**	**FY 12/13**	**FY 13/14**
1 The possibility of developing a ' Human Development Index' for minorities (HDIMIN) will be explored which will replace all the Outcomes earlier suggested by the Task Force.	The PMD will take the lead in arranging a meeting between the World Bank/ UNDP officials and the officials of the Ministry of Minority Affairs for finding suitable mechanism / agencies for preparing HDIMIN for minorities.	Development of the Human Development Index for minorities (HDIMIN).	To be develo pe d.					

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:40 AM Page 83

Performance Evaluation Report (2011-12)

Objective	Weight	Action	Success	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achievement	Performan	
						Excelle	Very	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weighted Score
						100%	90%	80%	70%	60%			
1 Educational Empowerment of Minority communities	40.00	Sanctioning of Prematric scholarships.	Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	15.00	27	25	23	21	19	55.29	100.0	15.0
		Sanctioning of Postmatric scholarships.	Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	13.00	5.25	4.80	4.40	4.20	3.80	7.02	100.0	13.0
		Sanctioning of scholarships under Merit-cum-means scheme.	Number of scholarships sanctioned	number in thousand s	4.00	20	18	16	14	12	42.5	100.0	4.0
		Assistance for coaching under Free Coaching and allied scheme.	Number of beneficiaries	number	2.00	5760	5184	4608	4032	3456	7830	100.0	2.0
		Fellowships under Maulana Azad National Fellowship for minority students.	Number of Fellowships	number	4.00	756	680	574	452	326	755	99.87	3.99
		Report on evaluation on scholarship scheme.	Documentation report	Date	2.00	16/01/2012		29/02/2012	15/03/2012	01/03/2012	12/03/2012	0.0	0.0
2 Area Development	31.00	Approval of District Plans for Minority Concentration Districts in full.	Number of District Plans approved in full	number of district plans	15.00	44	43	42	41	40	24	0.0	0.0
		Documentation report of physical and financial achievement district-wise of the previous year.	Documentation report	Date	6.00	01/10/2011	01/11/2011	01/12/2011	02/01/2012	01/02/2012	19/05/2011	100.0	6.0
		Construction of housing units under Indira Awas Yojna.	Number of units	number	2.00	25086	22577	20069	17560	15052	38738	100.0	2.0
		Construction of Primary Health sub-centres.	Number of units	number	1.00	136	122	109	95	82	309	100.0	1.0
		Construction of additional class rooms in existing primary/secondary/high	Number of units	number	1.00	1846	1661	1477	1292	1108	2796	100.0	1.0

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 84

Performance Evaluation Report (2011-12)

Objective	Weight	Action	Success	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achievement	Performan	
						Excellent	Very	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weighted Score
						100%	90%	80%	70%	60%			
		schools.											
		Construction of Anganwadis.	Number of units	number	1.00	1144	1030	915	801	686	4400	100.0	1.0
		Construction of Hand Pump ring Wells.	Number of units	number	1.00	2127	1914	1702	1489	1276	3654	100.0	1.0
		Release of funds as percentage of budgeted amount.	Documentation report	%	2.00	100	90	80	70	60	69.13	69.13	1.38
		Formulation of terms of reference.	Documentation report	Date	2.00	30/05/2011	15/06/2011	30/06/2011	15/07/2011	01/08/2011	01/09/2011	0.0	0.0
3 Institutional Strengthening	4.00	Computerization of records of State Waqf Boards—completion of Central Computing Facilities and imparting of training.	Number of State Waqf Boards	number	4.00	5	4	3	2	1	1	60.0	2.4
4 Socio-economic empowerment of Minority Communities	10.00	Leadership development of minority women.	"Number of beneficiaries"	number	3.00	56850	51165	46048	41444	37300	0	0.0	0.0
		Half yearly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee-A.	Reports to be sent	Date	1.50	15/05/2011	31/05/2011	15/06/2011	30/06/2011	15/07/2011	13/05/2011	100.0	1.5
		Half yearly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee-B.	Reports to be sent	Date	1.50	15/12/2011	16/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012	23/12/2011	97.5	1.46
		Half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme-A.	Reports to be sent	Date	2.00	30/06/2011	15/07/2011	31/07/2011	16/08/2011	31/08/2011	19/05/2011	100.0	2.0

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 85

Performance Evaluation Report (2011-12)

Objective	Weight	Action	Success	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achievement	Performan	
						Excelle	Very	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weighted Score
						100%	90%	80%	70%	60%			
		Half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme-B.	Reports to be sent	Date	2.00	15/12/2011	16/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	29/02/2012		N/A	N/A
* Efficient Functioning of the RFD System	3.00	Timely submission of Draft for Approval	On-time submission	Date	2.0	07/03/2011	08/03/2011	09/03/2011	10/03/2011	11/03/2011	07/03/2011	100.0	2.0
		Timely submission of Results	On- time submission	Date	1.0	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	30/04/2012	100.0	1.0
* Improving Internal Efficiency / Responsiveness / Service delivery of Ministry / Department	10.00	Implementation of Sevottam	Resubmission of revised draft of Citizens' / Clients' Charter	Date	2.0	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2012	16/01/2012	100.0	2.0
			Independent Audit of Implementation of Grievance Redress Mechanism	%	2.0	100	90	80	70	60	39.2	0.0	0.0
		Ensure compliance with Section 4(1) (b) of the RTI Act, 2005	No. of items on which information is uploaded by February 10, 2012	No	2.0	16	15	14	13	12	14	80.0	1.6
		Identify potential areas of corruption related to departmental activities and develop an action plan to mitigate them	Finalize an action plan to mitigate potential areas of corruption.	Date	2.0	26/03/2012	27/03/2012	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	10/04/2012	0.0	0.0
		Develop an action plan to implement ISO 9001 certification	Finalize an action plan to implement ISO 9001 certification	Date	2.0	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012		N/A	N/A
* Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework"	"2.00"	"Timely submission of ATNS on Audit Paras of C&AG"	"Percentage of ATNS submitted within due date (4 months) from date of presentation of	%	0.5	100	90	80	70	60	100	"100.0"	0.5

* Mandatory Objective(s

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 86

Performance Evaluation Report (2011-12)

Objective	Weight	Action	Success	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achiev-ement	Performan	
						Excelle	Very	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weigh- ted Score
						100%	90%	80%	70%	60%			
			Report to Parliament by CAG during the year.										
		Timely submission of ATRs to the PAC Sectt. on PAC Reports.	Percentge of ATRs submitted within due date (6 months) from date of presentation of Report to Parliament by PAC during the year.	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		Early disposal of pending ATNs on Audit Paras of C&AG Reports presented to Parliament before 31.3.2011.	Percentage of outstanding ATNs disposed off during the year.	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5
		Early disposal of pending ATRs on PAC Reports presented to Parliament before 31.3.2011	Percentage of outstanding ATRs disposed off during the year.	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100.0	0.5

* Mandatory Objective(s

Total Composite 67.34

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 87

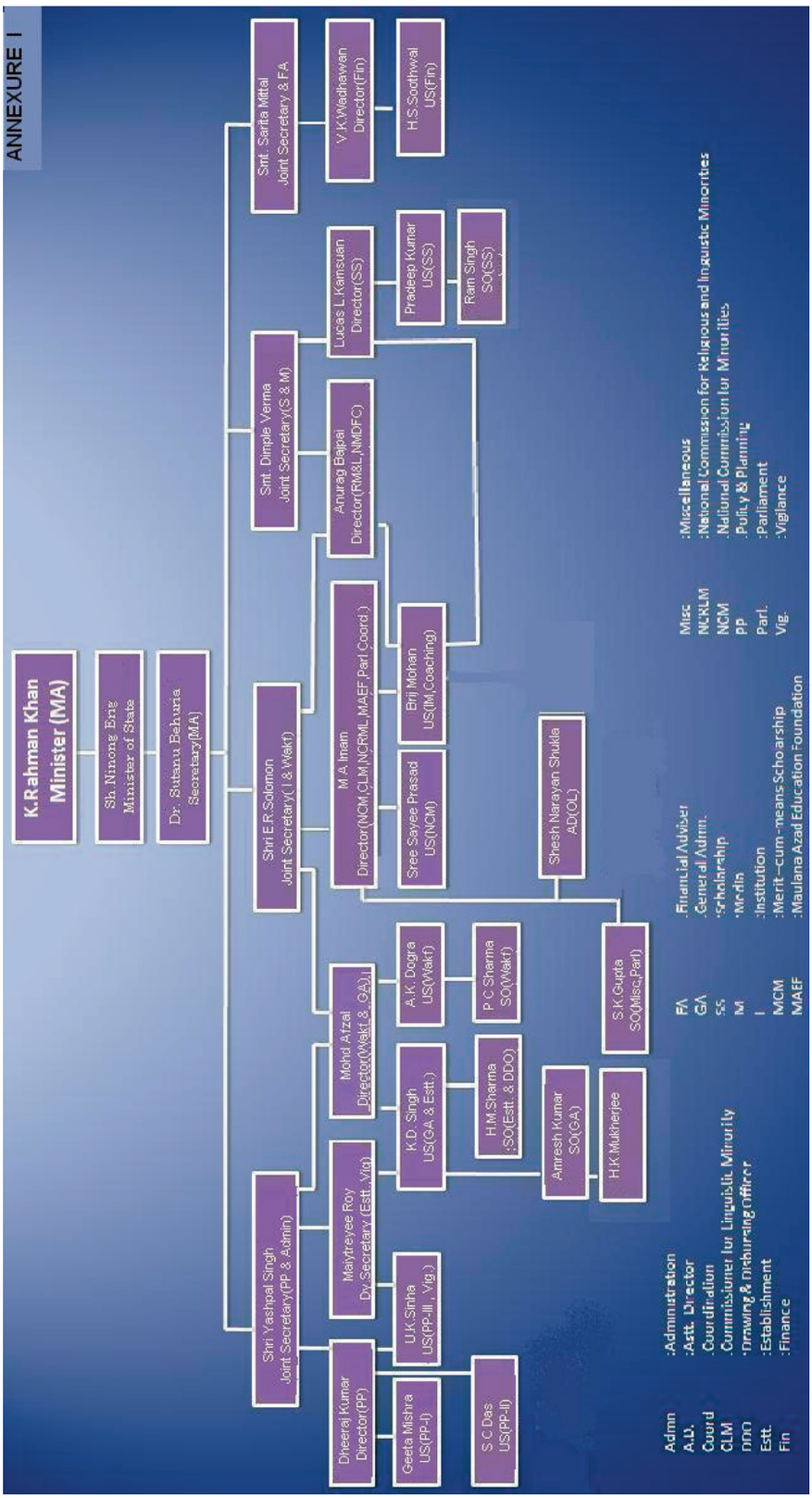

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 88

Annexure-II

S.NO.	POST/Pay Band/Grade Pay/Group	Sanctioned Strength	Men in position	Vacancies
01.	SECRETARY/`80,000/- Fixed/Gr. 'A'	01	01	Nil
02.	JOINT SECRETARY/G.P. 10000/- / Gr. 'A'	03	03	Nil
03.	DIRECTOR/DEPUTY SECRETARY/G.P. 8700/- / 7600/- Gr. 'A'	07	07	00
04.	UNDER SECRETARY/G.P. 6600/-/ Gr. 'A'	10	9	01
05.	ASSISTANT DIRECTOR/G.P. 5400/- / Gr. 'A'	03	NIL	03
06.	RESEARCH OFFICER/5400/- /Gr. 'A'	01	NIL	01
07.	JOINT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)/G.P.	01	NIL	01
08	ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE) G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	01	Nil
09.	SECTION OFFICER/G.P. 4800/-5400/- /Gr. 'B'	08	06	02
10.	SR. PRINCIPAL PRIVATE SECY., G.P. 7600/- Gr. 'A'	01	01	NIL
11.	PPS	03	02	01
12.	ASSISTANT/G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	10	09	01
13	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	04	01	03
14.	SENIOR INVESTIGATORS/G.P. 4200/-Gr. 'B' (NG)	04	01	03
15.	ACCOUNTANT/G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	01	01	Nil
16.	PRIVATE SECRETARIES/G.P. 4800/- / Gr. 'B'	04	04	Nil
17.	STENO GRADE 'C'/G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	07	07	NIL
18.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/G.P. 4600/- Gr. 'B' (NG)	01	01	Nil
19.	JUNIOR HINDI TRANSLATOR/G.P. 4600/- /Gr. 'B' (NG)	03	02	01
20.	STENO GRADE 'D'/G.P. 2400/- Gr. 'C'	05	NIL	05
21.	UDC. G.P. 2400/Gr. 'C'	01	NIL	01
22.	STAFF CAR DRIVER/G.P. 1900/- /Gr. 'C'	02	02	NIL
23.	MTS/G.P. 1800/- /Gr. 'D'	14	08	06
24.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU)/G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	NIL	01
25.	TRANSLATOR (URDU)/G.P. 4200/- /Gr. 'B' (NG)	01	NIL	01
26.	TYPIST (URDU)/G.P. 1900/- / Gr. 'C'	01	NIL	01
	Total	**98**	**66**	**32**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 89

Annexure-III

STATEMENT SHOWING SCHEME/PROGRAMME-WISE TWELFTH FIVE YEAR PLAN (2012-17) OUTLAY, BUDGET ESTIMATES, REVISED ESTIMATES, AND ACTUAL EXPENDITURE DURING 2012-13 (UPTO 31st DECEMBER,2012)

(Rs. in crore)

S. No	Name of Scheme/Programme	Twelfth Plan Outlay	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Actual Expenditure 2012-13 (Upto 31.12.2012)
A.	**Central Sector Schemes**				
1	Grant-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	1500.00	100.00	0.01	0.00
2	Coaching & Allied Scheme for Minorities	120.00	20.00	14.42	7.82
3	Contribution to the Equity of NMDFC	600.00	100.00	99.64	99.64
4	Research/Studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	220.00	40.00	33.30	23.60
5	Grant-in-aid to State Channelising Agencies(SCAs) engaged for implementation of NMDFC programme	10.00	2.00	0.66	0.00
6.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	75.00	15.00	12.80	10.45
7.	Maulana Azad National Fellowship for minority students	430.00	70.00	66.00	66.00
8.	Computerization of records of State Waqf Boards	17.00	5.00	1.65	0.70
9.	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	10.00	2.00	0.02	0.00
10.	Scheme for containing population decline of small Minorities	10.00	2.00	0.01	0.00
11.	Skill Development Initiatives	60.00	20.00	0.05	0.00
12.	Support for Students clearing Prelims conducted by UP"SC, SSC, State Public Services	18.00	4.00	0.02	0.00
13.	Strengthening of the State Waqf Boards	35.00	5.00	0.10	0.00
	Subtotal A (CS)	**2105.00**	**385.00**	**228.68**	**208.21**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 90

S. No	Name of Scheme/Programme	Twelfth Plan Outlay	Budget Estimates 2012-13	Revised Estimates 2012-13	Actual Expenditure 2012-13 (Upto 31.12.2012)
B.	**Centrally Sponsored Schemes**				
1	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	1580.00	220.00	184.07	111.35
2	Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts.	5788.00 (including Sl.No. 5 to 9)	999.00	649.56	504.94
3	Pre-matric Scholarships for Minorities	5000.00	900.00	795.78	592.53
4	Post-matric Scholarships for Minorities	2850.00	500.00	340.75	175.76
5.	Scheme for promotion of education in 100 minority concentration town/cities, out of 251 such town/cities identified as backward	Included at Sl. No. 2 above	50.00	0.04	0.00
6.	Village Development Programme for Villages not covered by MCB/MCD	-do-	50.00	0.04	0.00
7.	Support to District Level Institution in MCDs	-do-	25.00	0.04	0.00
8.	Free Cycle for Girls Students of Class IX	-do-	5.00	0.04	0.00
9	Secretariat (Information Technology)	-do-	1.00	1.00	0.44
Sub-total (CSS)		**15218.00**	**2750.00**	**1971.32**	**1385.02**
Grand Total (A+B)		**17323.00**	**3135.00**	**2200.00**	**1593.23**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 91

Annex-IV(A)

LIST OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (CATEGORY 'A' & 'B')

CATEGORY - 'A'			
List of districts which have both socio-economic and basic amenities parameters below national average			
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
1	1	Arunachal Pradesh	East Kameng
2	2	Arunachal Pradesh	Lower Subansiri
3	3	Arunachal Pradesh	Changlang
4	4	Arunachal Pradesh	Tirap
5	5	Assam	Kokrajhar
6	6	Assam	Dhubri
7	7	Assam	Goalpara
8	8	Assam	Bongaigaon
9	9	Assam	Barpeta
10	10	Assam	Darrang
11	11	Assam	Marigaon
12	12	Assam	Nagaon
13	13	Assam	Cachar
14	14	Assam	Karimganj
15	15	Assam	Hailakandi
16	16	Assam	Kamrup
17	17	Bihar	Araria
18	18	Bihar	Kishanganj
19	19	Bihar	Purnia
20	20	Bihar	Katihar
21	21	Bihar	Sitamarhi
22	22	Bihar	Pashchim Champaran
23	23	Bihar	Darbhanga
24	24	Jharkhand	Sahibganj
25	25	Jharkhand	Pakaur
26	26	Maharashtra	Parbhani

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 92

Annex-IV(A)

LIST OF MINORITY CONCENTRATION DISTRICTS (CATEGORY 'A' & 'B')

CATEGORY - 'A'			
List of districts which have both socio-economic and basic amenities parameters below national average			
Sl. No.	**Sub-group Sl. No.**	**States**	**Districts**
27	27	Manipur	Thoubal
28	28	Meghalaya	West Gora Hills
29	29	Orissa	Gajapati
30	30	Uttar Pradesh	Bulandshahar
31	31	Uttar Pradesh	Budaun
32	32	Uttar Pradesh	Barabanki
33	33	Uttar Pradesh	Kheri
34	34	Uttar Pradesh	Shahjahanpur
35	35	Uttar Pradesh	Moradabad
36	36	Uttar Pradesh	Rampur
37	37	Uttar Pradesh	Jyotiba Phule Nagar
38	38	Uttar Pradesh	Bareilly
39	39	Uttar Pradesh	Plllbhlt
40	40	Uttar Pradesh	Bahraich
41	41	Uttar Pradesh	Shrawasti
42	42	Uttar Pradesh	Balrampur
43	43	Uttar Pradesh	Siddharthnagar
44	44	Uttar Pradesh	Bijnor
45	45	West Bengal	Uttar Dinajpur
46	46	West Bengal	Dakshin Dinajpur
47	47	West Bengal	Maldah
48	48	West Bengal	Murshidabad
49	49	West Bengal	Birbhum
50	50	West Bengal	Nadia
51	51	West Bengal	South 24-Parganas
52	52	West Bengal	Barddhaman
53	53	West Bengal	Koch Bihar

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 93

Annex-IV(B)

CATEGORY - 'B'
Sub-category 'B 1'

List of districts which have socio-economic parameters below national average

Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
54	1	Arunachal Pradesh	Tawang
55	2	Arunachal Pradesh	West Kameng
56	3	Arunachal Pradesh	Papum Pare
57	4	Delhi	North East
58	5	Haryana	Mewat
59	6	Haryana	Sirsa
60	7	Karnataka	Gulbarga
61	8	Karnataka	Bidar
62	9	Madhya Pradesh	Bhopal
63	10	Uttar Pradesh	Lucknow
64	11	Uttar Pradesh	Saharanpur
65	12	Uttar Pradesh	Meerut
66	13	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar
67	14	Uttar Pradesh	Baghpat
68	15	Uttar Pradesh	Ghaziabad
69	16	Uttaranchal	Udham Singh Nagar
70	17	Uttaranchal	Hardwar
71	18	West Bengal	Haora
72	19	West Bengal	North 24 Parganas
73	20	West Bengal	Kolkata

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 94

Annex-IV(C)

Sub-category 'B 2'
List of districts which have basic amenities parameters below national average

Sl. No.	Sub-group Sl. No.	States	Districts
74	1	Andamans	Nicobars
75	2	Assam	North Cachar Hills
76	3	Jammu & Kashmir	Leh (Ladakh)
77	4	Jharkhand	Ranchi
78	5	Jharkhand	Gumla
79	6	Kerala	Wayanad
80	7	Maharashtra	Buldana
81	8	Maharashtra	Washim
82	9	Maharashtra	Hingoli
83	10	Manipur	Senapati
84	11	Manipur	Tamenglong
85	12	Manipur	Churachandpur
86	13	Manipur	Ukhrul
87	14	Manipur	Chandel
88	15	Mizoram	Lawngtlai
89	16	Mizoram	Mamit
90	17	Sikkim	North

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 95

Annexure-V

State/UT- wise & Community- wise distribution of Pre-matric scholarships for students belonging to the minority communities for the year 2012-13 (As on 31/12/2012)

S.No.	States/UTs	Muslim		Chris-tian		Sikh		Bud-dhist		Parsi		Total		Male	female	% of fe-male	Financial Allocation (` in crore)	Amount sanc-tioned (` in cr.)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A					
1	Andhra Pradesh	147400	230209	24800	17053	600	270	600	222	18	30	173418	247784	119018	128766	51.97	38.45	32.74
2	Arunachal Pradesh	400		4200		55		3000		18		7673	0			#DIV/0!	2.08	
3	Assam	174000	174000	20800	6881	400	89	1000	297	18	0	196218	181267	76129	105138	58.00	53.32	37.64
4	Bihar*	289600	36484	1200	15	400	0	400	0	18	0	291618	36499	17575	18924	51.85	64.66	
5	Chhattisgarh	8600	13782	8400	1974	1400	2184	1400	295	18	0	19818	18235	8720	9515	52.18	4.39	4.33
6	Goa	2000		7601		55		36		120		9812	0			#DIV/0!	2.18	
7	Gujarat	97000		6000		1000		400		120		104520	0			#DIV/0!	23.18	
8	Haryana	25800	26625	600	53	24800	16681	200	3	18	0	51418	43362	25712	17650	40.70	11.40	2.65
9	Himachal Pradesh	2600		200		1600		1600		18		6018	0			#DIV/0!	1.33	0.52
10	Jammu & Kashmir	143400		400		4400		2400		18		150618	0			#DIV/0!	33.40	
11	Jharkhand	78800	17519	23000	2455	1800	124	200	2	18	0	103818	20100	9106	10994	54.70	23.02	8.76
12	Karnataka	136400	330442	21200	45961	400	362	8400	1405	18	35	166418	378205	171383	206822	54.69	36.90	39.02
13	Kerala	166000	530053	127691	339695	55	55	36	36	18	18	293800	869857	399311	470546	54.09	65.14	65.89
14	Madhya Pradesh	81200		3600		3200		4400		18		92418	0			#DIV/0!	20.49	10.20
15	Maharashtra	216800	482659	22400	22892	4600	6608	123000	215790	476	592	367276	728541	342606	385935	52.97	81.44	54.14
16	Manipur	4000	4845	15599	9540	55	0	36	0	18	0	19708	14385	7538	6847	47.60	5.36	4.95
17	Meghalaya	2000	242	34399	19407	55	2	36	0	18	0	36508	19651	8600	11051	56.24	9.92	2.71
18	Mizoram	200	129	16400	23263	55	0	1600	2091	18	0	18273	25483	12578	12905	50.64	4.96	6.18
19	Nagaland	800	314	37799	18365	55	0	36	0	18	0	38708	18679	8965	9714	52.00	10.52	4.00
20	Odisha	16200	23235	19000	11341	400	48	200	49	18	0	35818	34673	16440	18233	52.59	7.94	3.97
21	Punjab	8000		6200		307240		800		18		322258	0			#DIV/0!	71.45	
22	Rajasthan	101000	174141	1600	285	17400	25428	200	31	18	0	120218	199885	109598	90287	45.17	26.66	22.56
23	Sikkim	200	0	800	1095	55	0	3201	2898	18		4274	3993	1960	2033	50.91	1.16	0.70
24	Tamil Nadu	73200	157076	79800	163668	200	0	200	0	18	0	153418	320744	147126	173618	54.13	34.02	33.81
25	Tripura	5400		2200		55		2000		18		9673	0			#DIV/0!	2.63	
26	Uttar Pradesh	649000	876715	4400	209	14400	3777	6400	2049	18	4	674218	882754	491084	391670	44.37	149.50	142.29
27	Uttarakhand	21400		600		4400		200		18		26618	0			#DIV/0!	5.90	2.95
28	West Bengal	427200	1130986	10800	20180	1400	2595	5200	11625	18	0	444618	1165386	535508	629878	54.05	98.58	111.87
29	Andaman & Nicobar	600		1600		55		36		18		2309	0			#DIV/0!	0.79	
30	Chandigarh	800		200		3000		36		18		4054	0			#DIV/0!	1.38	
31	Dadra & Nagar Haveli	200		200		55		36		18		509	0			#DIV/0!	0.17	
32	Daman & Diu	200	485	55	15	55	0	36	0	120	0	466	500	233	267	53.40	0.16	0.15
33	Delhi	34200		2800		11800		600		18		49418	0			#DIV/0!	6.64	
34	Lakshadweep	1200		55		55		36		18		1364	0			#DIV/0!	0.46	
35	Puducherry	1200		1400		55		36		18		2709	0			#DIV/0!	0.36	
Total:		2917000	4209941	507999	704347	405610	58223	167997	236793	1394	679	4000000	5209983	2509190	2700793	51.84	900.00	592.03

T= Target A= Achievement

*** Adjustment of Unspent of previous years.**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 96

Annexure-VI

State/UT- wise & community wise distribution of Post-matric Scholarships for Students belonging to the minority communities for the year 2012-13 (as on 31.12.2012)

Sl. No.	State/UT	Muslim		Christan		Sikh		Bud-dhist		Parsi		Total		No. of scholarships			Amount released (Rs.in crore)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	Male	Female	% age female	
1	Andhra Pradesh	35008	8005	5890	230	143	9	143	1	4	0	41188	8245	2631	5614	68.09	10.20
2	Bihar	68780	23961	285	8	95	9	95	52	4	1	69259	24031	12821	11210	46.65	7.90
3	Chhattisgarh	2043		1995		333		333		4		4708	0				1.21
4	Goa	475		1805		13		9		29		2331	0				0.61
5	Gujarat	23038	17586	1425	475	238	23	95	6	29	0	24825	18090	9344	8746	48.35	9.70
6	Haryana	6128	9	143	0	5890	15	48	0	4	0	12213	24	12	12	50.00	
7	Himachal Pradesh	618		48		380		380		4		1430	0				0.31
8	Jammu & Kashmir	34055		95		1045		570		4		35769	0				
9	Jharkhand	18715		5463		428		48		4		24658	0				4.19
10	Karnataka	32395	24882	5035	4518	95	4	1995	41	4	2	39524	29447	8697	20750	70.47	15.87
11	Kerala	39425	37050	30327	31587	13	2	9	20	4	4	69778	68663	24206	44457	64.75	17.55
12	Madhya Pradesh	19285	11622	855	203	760	357	1045	159	4	2	21949	12343	4275	8068	65.36	6.95
13	Maharashtra	51490		5320		1093		29213		113		87229	0				9.99
14	Orissa	3848	267	4513	5	95	0	48	6	4	0	8508	278	138	140	50.36	0.50
15	Punjab	1900		1473		72969		190		4		76536	0				
16	Rajasthan	23988	17990	380	144	4133	2631	48	12	4	0	28553	20777	9264	11513	55.41	13.61
17	Tamil Nadu	17385	14695	18953	18493	48	1	48	16	4	2	36438	33207	9512	23695	71.36	7.53
18	Uttar Pradesh	154135		1045		3420		1517		4		160121	0				22.23
19	Uttarakhand	5083		143		1045		48		4		6323	0				1.64
20	West Bengal	101460	67687	2565	1464	333	185	1235	873	4	2	105597	70211	32181	38030	54.17	30.58
21	Delhi	8123	327	665	0	2803	11	143	0	4	0	11738	338	117	221	65.38	0.17
22	Puducherry	285		332		13		9		4		643	0				
23	Andaman & Nicobar	142		380		13		9		4		548	0				
24	Chandigarh	190		48		713		9		4		964	0				
25	Dadra & Nagar Haveli	47		47		13		9		4		120	0				
26	Daman & Diu	47	48	13	4	13	0	9	0	28	0	110	52	29	23	44.23	0.05
27	Lakshdweep	283		13		13		9		4		322	0				
28	Arunachal Pradesh	95		993		13		713		4		1818	0				
29	Assam	41325	12364	4940	167	95	18	238	16	4	2	46602	12567	7483	5084	40.46	8.52
30	Manipur	950		3705		13		9		4		4681	0				1.49
31	Meghalaya	475		8170		13		9		4		8671	0				0.19
32	Mizoram	48	23	3895	4092	13	0	380	214	4	0	4340	4329	2143	2186	50.50	4.32
33	Nagaland	190		8977		13		9		4		9193	0				
34	Sikkim	48	0	190	186	13	0	760	378	4	0	1015	564	226	338	59.93	0.39
35	Tripura	1283		523		13		475		4		2298	0				
Total		**692785**	**236516**	**120649**	**61576**	**96336**	**3265**	**39907**	**1794**	**323**	**15**	**950000**	**303166**	**123079**	**180087**	**59.40**	**175.69**

Community/ies with the target of 11 or less scholarships has been inserted in response to Writ No. 315 (SM) 09 in Guwahati High Court.

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 97

Annexure-VII

State/UT- wise & Community- wise target (for fresh 60000 scholarships only) and achievement (both fresh & renewals) of Merit-cum means based scholarship scheme for students belonging to the minority communities for the year 2012-13

Sl. No.	State/UT	Muslim		Christan		Sikh		Bud-dhist		Parsi		Total		Male	Female	% age female	Amount sanctioned (Rs.in crore)
		T	A★	T	A★	T	A★	T	A★	T	A★	T	A★				
1	Andhra Pradesh	2211	1212	372	48	9	5	9	0	0	0	2601	1265	814	451	35.65	3.45
2	Arunachal Pardesh	6	0	63	0	0	0	45	0	0	0	114	0			0.00	
3	Assam	2610	1523	312	44	6	6	15	9	0	0	2943	1582	1233	349	22.06	4.42
4	Bihar	4344	4344	18	2	6	6	6	1	0	0	4374	4353	3962	391	8.98	11.98
5	Chattisgarh	129	0	126	0	21	0	21	0	0	0	297	0			0.00	0.00
6	Goa	30	0	114	0	0	0	0	0	3	0	147	0			0.00	0.00
7	Gujrat	1455	1658	90	81	15	12	6	1	3	1	1569	1753	1232	521	29.72	4.16
8	Haryana	387	387	9	6	372	236	3	0	0	0	771	629	536	93	14.79	1.68
9	Himachal Pardesh	39	34	3	2	24	27	24	7	0	0	90	70	43	27	38.57	0.20
10	Jammu & Kashmir	2151	1965	6	0	66	66	36	5	0	0	2259	2036	1428	608	29.86	5.22
11	Jharkhand	1182	854	345	28	27	14	3	1	0	0	1557	897	758	139	15.50	2.28
12	Karnataka	2046	2046	318	318	6	4	126	26	0	0	2496	2394	1177	1217	50.84	6.33
13	Kerala	2490	559	1917	469	0	0	0	0	0	0	4407	1028	342	686	66.73	2.65
14	Madhya Pradesh	1218	1362	54	59	48	57	66	2	0	0	1386	1480	930	550	37.16	3.95
15	Maharashtra	3252	3252	336	335	69	69	1851	111	12	5	5520	3772	2541	1231	32.64	9.82
16	Manipur	60	60	234	143	0	0	0	0	0	0	294	203	112	91	44.83	0.52
17	Meghalaya	30	17	516	233	0	0	0	0	0	0	546	250	118	132	52.80	0.75
18	Mizoram	3	2	246	36	0	0	24	6	0	0	273	44	25	19	43.18	0.11
19	Nagaland	12	4	567	464	0	0	0	0	0	0	579	468	290	178	38.03	1.39
20	Orissa	243	264	285	55	6	3	3	3	0	0	537	325	241	86	26.46	0.94
21	Punjab	120	0	93	0	4620	0	12	0	0	0	4845	0			0.00	0.00
22	Rajasthan	1515	1609	24	25	261	266	3	3	0	0	1803	1903	1475	428	22.49	4.87
23	Sikkim	3		12	12	0	0	48	39	0	0	63	51	21	30	58.82	0.14
24	Tamil Nadu	1098	1098	1197	1197	3	0	3	1	0	0	2301	2296	854	1442	62.80	5.52
25	Tripura	81	0	33	0	0	0	30	0	0	0	144	0			0.00	0.00
26	Uttar Pardesh	9735	10541	66	44	216	232	96	35	0	0	10113	10852	8493	2359	21.75	26.90
27	Uttrakhand	321	164	9	2	66	37	3	0	0	0	399	203	154	49	24.14	0.61
28	West Bengal	6408	4536	162	52	21	21	78	71	0	0	6669	4618	3998	682	14.57	12.40
29	Andaman & Nicobar	9	0	24	0	0	0	0	0	0	0	33	0			0.00	0.00
30	Chandigarh	12	4	3	0	45	7	0	0	0	0	60	11	1	10	90.91	0.08
31	Dadra & Nagar Haveli	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0			0.00	0.00
32	Daman & Diu	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	1	1	50.00	0.01
33	Delhi	513	286	42	5	177	119	9	0	0	0	741	410	299	111	27.07	0.98
34	Lakshadweep	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0			0.00	0.00
35	Puducherry	18	0	21	0	0	0	0	0	0	0	39	0			0.00	0.00
Total		**43755**	**37783**	**7620**	**3660**	**6084**	**1187**	**2520**	**321**	**21**	**0**	**60000**	**42957**	**31076**	**11881**	**27.66**	**111.34**

★ Community/ies with the target of 11 or less scholarships has been inserted in response to Writ No. 315 (SM) 09 in Guwahati High Court.

T= Target (only for fresh scholarship, **A**= Achievements

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 98

ANINEXUTE - VIII

SCHEME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT OF MINORITY WOMEN
State-Wise Releases of Grant-in-aid to NGOs/Institutions during 2012-13 (upto 31-12-2012)

State/ UT Sr. No.	States/ UTs	Name of Organisation	Location of Trainings (Name of DistrictS)	Amount Released (in Rs.)	Amount Released (in Rs.)
1	Uttar Pradesh	(i) Groupious Social Welfare Society	Bijnor	1967175	825
		(ii) Society for Computer Education	Barabanki	5701920	1800
		(iii) Maulana Azad Memorial Society	"Jalaun"	400680	200
		(iv) Allama Iqbal Edcational Society	Agra	851445	425
		(v) Tharu Janjati Mahila Evam Vikas samiti	Gonda, Shrawasti	1001700	500
		(vi) Nehru Yuva Kendra	Barabanki	3756375	1875
		(vii) Nirmal Indian Sewa Samiti	Lakhimpur Kheri	2504250	1250
		(viii) Shri Bholanath Sewa Sansthan	Sant Kabir Nagar	300510	150
		(ix) Antarrashtriya Pariwar Sewa Sansthan	Gorakhpur,Maharaj Ganj,Deoria, Siddharthnagar	1001700	500
		(x) Gorakhpur Bhartiya Shiksha Parishad	Gorakhpur	710430	250
		(xi) Manav Vikas Sewa Sansthan	Lucknow	4053000	1500
		(xii) Bahin	Fatehpur	250425	125
		(xiii) Pioneer Foundation	Lucknow	3005100	1500
		(xiv) Anchal Women Welfare Society	Lucknow	1502550	750
		(xv) Purvanchal Social Development Society	Maharajganj	400680	200
		(xvi) Unity Technical Institute Society	Lucknow	250425	125
		(xvii) Gopal Shikshan Evam Gramin Vikas Sansthan	Fatehpur	915390	300
		(xviii) Pragati PathGamini	Lakhimpur Kheri	1552635	775
		(xix) Sarva Sukhai ujjawal Gramoud-hyog Sewa sansthan	Sidharth Nagar	1001700	500
		(xx) Premlata Manju Tiwari Purva Madhyamik Vidyalay Samiti	Mau	400680	200
		(xxi) Sadbhawana Samiti	Lucknow	1001700	500
		(xxii) Development Services Interna-tional	Ghaziabad, Bulandshehar,JP Nagar, Phek, Darrang	1930950	650
		(xxiii) Sai Sewa Sansthan	Siddtharth nagar , Maharajganj	2049600	500
		(xxiv) Mahila Eovm Bal Vikas Sansthan	Maharajganj	765135	225
		(xxv) Institute for Socialist Education	Lucknow	500850	250
		(xxvi) Shiva Audhogik Vikas Sewa Sansthan	Gorakhpur	1020180	300

		(xxvii) Institute of Entrepreneurship Development	Rampur , Moradabad, Bijnor, JP nagar, Sahranapur, Mujaffar Nagar, Balrampur, Bahraich, Bareilly, Meerut , Siddharth Nagar, Pilibhit, Baghpat, Ghaziabad, Lakhimpur, Barabanki, Lucknow, Budaun, Bulandsehar, Shahjahanpur	8198400	2000
		(xxviii) Tirupati Educational and Welfare Society	Meerut	11275950	3850
		(xxix) Bal Bharti Academy	Meerut	12605880	4200
			Anand(Gujarat)		
2	Uttarakhand	(i) EDARA Shabab-e-Islami	Dehradun	460005	125
		(ii) Himalayan Institute for Rural Awakening	Haridwar	4099200	1000
		(iii) Manav Sewa Samaj	Dehradun	150255	75
		(iv) Balajee Sewa Sansthan	Dehradun	305130	100
		(v) Gramin Kshetra Vikash Samiti	Tehri Garhwal	460005	125
3	Rajasthan	(i) Srijan Sansthan	Bharatpur	2800875	875
			Dhoulpur		
			Alwar		
			Dausa		
		(ii) Jaipur Sewa Foundation	Tonk	929250	150
		(iii) Will and Way Deveopment Institute	Jaipur	250425	125
		(iv) Self Development Institute	Nagaur	1024800	250
		(v) Chankya Yuva Sangh	Jaipur	250425	125
		(vi) R.K.Sansthan	Sawai Madhopur	250425	125
		(vii) Navjeevan Society	Bharatpur	250425	125
4	Karnataka	(i) Consortium of Minorities Association	Belgaum	1275225	375
		(ii) Mamatha Makkala Mandira	Ramnagar	450765	225
		(iii) Parivarthana Rural Development Society	Shimoga	464625	75
5	Odisha	(i) Arun Institute of Rural Affairs	Sambalpur	400680	200
		(ii) Sampark	Puri	250425	125
		(iii) Nilachal Seva Pratisthana	Puri	869925	225
		(iv) Nikhila Utkal Harijan Adivasi Seva Sangha	Bhadrak	250425	125
6	Gujarat	(i) Navjeevan Trust	Rajkot	500850	250
		(ii) Matushri Chandramati Pratishthan	Ahmedabad	250425	125
		(iii) Rural Development Foundation	Anand	300510	150
		(iv) Bramha Samaj Seva Trust	Kutch	400680	200
		(v) Kaira Social services society	Anand	1010940	400
			Khera		

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 100

7	Madhya pradesh	(i) Human Welfare Organisation	Bhopal	1994895	525
		(ii) Indo-European Chamber of Commerce and Industry	Bhopal	1302210	650
		(iii) Shanti Niketan Sikhsa Samithi	Gwaloir	601020	300
		(iv) Suman Shiksha Yevam Samaj Kalyan Samiti	Gwalior , Datia , Bhind	601020	300
		(v) Shri Krishna Gramotthan Samiti	Morena , Sehore , Shivpuri	1452465	725
8	Kerala	(i) Janasree Sustainable Development Mission	Kottamyam, Idukki, Thrissur, Tmakulam, Kozikode, Pal-palakkadu, Malappuram, Wayanad, Alappuzha, Kollam, Thrivanathapura, Pathanamthitta, Kannur, Kasarkadu		350
9	Maharashtra	(i) Jankalyan Vikas Mandal	Nanded	710430	250
		(ii) Mehmooda Shikshan and Mahila Gramin Vikas	Nagpur City, Timki, Ansar Nagar, Dobi Nagar, Bhal-darpura, Takia Diwanshah, Jama Masjid, Haidry Road, Naya Bazar Kamptee and Boriyapura.	715050	200
10	Manipur	(i) Kuki Christian Church	Senapti, Sadar hills, Chandel Nagar, Bhaldarpura, Takia Di-wanshah, Jama Masjid, Haidry Road, Naya Bazar Kamptee and Boriyapura.	5538540	1300
11	Chattisgarh	(i) Samarpit – Centre for Poverty Alleviation and Social Research	Research	450765	225
12	Tamil Nadu	(i) Center for Alternate Rural Employment Trust (CARE)	Namakkal	450765	225
Total :				**104519520**	**36950**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 101

Annexure-IX

SCHEME FOR RESEARCH/STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY

Details of Funds Released to various Agencies/Organizations during 2012-13 (till 31.12.2012)

Sl. No.	Component	Name of Agency/Organization	Purpose	Location	Amount Released in Rs. (till 31.12.2012)
1	**Research**	Rajiv Gandhi Institute of Wastelands and Rural Development, Sultanpur	1(one) National Workshop	Amethi, Sultanpur (UP)	567360
		Rural Litigation and Entitlement Kendra, Dehradun	3 (three) National Workshops	Dehradun, Aligarh and Hyderabad	1220400
	Sub-Total	**-**	**-**	**-**	**1787760**
2	**Media**	Directorate of Advertising and Publicity (DAVP), Ministry of Information and Broadcasting	Print Ads; Multimedia Campaign through Digital Cinema, Private FM Channels, Exhibition Vans, LCDs, Hoardings/Flex etc. and Websites.	All over India	138660015
		All India Radio (Broadcasting Corporation of India)	Broadcast of Jingles and audio spots on schemes/ programmes	All Over India	56000000
		Doordarshan (Broadcasting Corporation of India)	TV Commercials/ video spots on schemes/ programmes	All over India	37200000
		Doordarshan (Broadcasting Corporation of India)	Broadcast of Documentary Film on Mother Teresa	All over India	280900
		National Film Development Corporation (NFDC)	Completion of 5 (five) Documentary films	---	1991641
		Nirman Advertising Pvt. Limited, New Delhi	Two Creatives for advertisments	---	64674
	Sub-Total	-	-	-	234197230
	Grand Total	-	-	-	235984990

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 102

Annexure-X

List of States Wakf Boards

S.No	Name of State/UT
1.	Punjab Wakf Board
2.	Karnataka State Board of Wakf
3.	Chhattisgarh State Waqf Board
4.	Maharashtra State Board of Wakfs
5.	Tamilnadu Wakf Board
6.	Board of Wakfs, West Bengal
7.	Assam Board of Wakfs
8.	Orissa Board of Wakf
9.	Tripura Board of Wakf
10.	Himachal Pradesh Wakf Board
11.	UP Sunni Central Waqf Board
12.	Bihar State Sunni Wakf Board
13.	Bihar State Shia Wakf Board
14.	Puducherry State Wakf Board
15.	Kerala State Wakf Board
16.	Haryana Wakf Board
17.	Wakf Board Manipur
18.	Madhya Pradesh Wakf Board
19.	Delhi Wakf Board
20.	Lakshadweep State Wakf Board
21.	Andaman and Nicobar Islands Wakf Board
22.	Uttarakhand Wakf Board
23.	Rajasthan Board of Muslim Wakf
24.	Jharkhand State Waff Boards
25.	Meghalaya Board of Wakfs
26.	UP Shia Wakf Board
27.	Andhra Pradesh State Wakf Board
28.	Dadra & Nagar Haveli Wakf Board
29.	Chandigarh Wakf Board
30.	Gujarat State Wakf Board

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 103

Annexure- XI

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Summary of State-wise Sanction of Grant-in-aid Upto December,2012

(Since Inception)

S.No.	State/U.Ts	No. Of NGOs	Amount of Grant Sanctioned (` in Lakh)
1	Andaman	3	35.00
2	Andhra Pradesh	71	1142.55
3	Arunachal Pradesh	1	30.00
4	Assam	20	304.00
5	Bihar	38	609.71
6	Chattisgarh	1	25.00
7	Delhi	12	93.55
8	Goa	3	53.00
9	Gujarat	71	1004.12
10	Haryana	32	400.10
11	Himachal Pradesh	1	1.00
12	Jammu & Kashmir	15	226.42
13	Jharkhand	10	158.00
14	Karnataka	96	1381.06
15	Kerala	69	1234.00
16	Madhya Pradesh	44	489.78
17	Maharashtra	170	2229.58
18	Manipur	18	258.00
19	Meghalaya	2	30.00
20	Nagaland	4	68.50
21	Orissa	8	47.62
22	Punjab	6	61.67
23	Rajasthan	19	302.50
24	Tamil Nadu	31	465.78
25	Uttaranchal	11	141.00
26	Uttar Pradesh	475	5360.91
27	West Bengal	30	416.40
	TOTAL	**1261**	**16569.25**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 104

Annexure- XII

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION
Summary of State-wise Sanction of Grant-in-aid during 2012-13
(Apr.2012 to December,2012)

Sr. No.	State Name	Grant in Aid (₹ in Lakh)	No. of NGO's
1	**ANDHRA PRADESH**	86.00	**5**
2	**GUJARAT**	50.00	**5**
3	**JHARKHAND**	25.00	**2**
4	**KARNATAKA**	52.90	**6**
5	**KERALA**	132.00	**9**
6	**MADHYA PRADESH**	40.00	**2**
7	**MAHARASHTRA**	157.75	**16**
8	**MEGHALAYA**	15.00	**1**
9	**NAGALAND**	40.00	**2**
10	**RAJASTHAN**	30.00	**1**
11	**TAMILNADU**	27.00	**2**
12	**UTTAR PRADESH**	384.00	**31**
13	**WEST BENGAL**	15.00	**1**
14	**UTTRAKHAND**	31.00	**3**
15	**Bihar**	75.00	**3**
16	**HARYANA**	35.00	**2**
17	**MANIPUR**	40.00	**2**
18	**ORISSA**	10.00	**1**
		1,245.65	**94**

English Tabel F_Layout 1 26/03/13 11:41 AM Page 105

Annexure-XIII

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION
Statewise Summary of Grant-in-Aid sanctioned upto 31.12.2011

S.No.	State/U.Ts	Amount Sanctioned(` in Lakh)	No. Of NGOs
1	Andaman	35.00	3
2	Andhra Pradesh	1033.55	64
3	Assam	266.00	18
4	Bihar	534.71	35
5.	Chattisgarh	25.00	1
6	Delhi	93.55	12
7	Goa	53.00	3
8	Gujarat	948.12	65
9	Haryana	334.10	28
10	Himachal Pradesh	1	1
11	Jammu & Kashmir	226.42	15
12	Jharkhand	93.00	6
13	Karnataka	1317.16	88
14	Kerala	1047.00	57
15	Madhya Pradesh	434.78	41
16	Maharashtra	1961.83	150
17	Manipur	188.00	15
18	Meghalaya	15.00	1
19	Nagaland	28.50	2
20	Orissa	37.62	7
21	Punjab	61.67	6
22	Rajasthan	272.50	18
23	Tamil Nadu	438.78	29
24	Uttaranchal	110.00	8
25	Uttar Pradesh	4873.91	435
26	West Bengal	401.40	29
	TOTAL	**14831.60**	**1137**